द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

(एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

2021-2022

आत्मनिर्भर भारत हेतु एमएसएमई को सशक्त बनाना – बेंगलुरु में एसआरआई फंड की स्थापना की पहली वर्षगांठ के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

सीआईएन नं. : यू 65990डीएल2020जीओआई368828

अध्यक्ष	**सुश्री अल्का नांगिया अरोड़ा** (20 जून, 2022 तक) **श्री पी. उदयकुमार** (20 जून, 2022 से 31 जुलाई, 2022 तक) **श्री गौरांग दीक्षित** (1 अगस्त, 2022 से प्रभावी)
मुख्य कार्यकारी निदेशक	श्री सरवण कुमार अनणथन (17 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी)
निदेशक	• श्री गौरांग दीक्षित, निदेशक • श्री अतीश कुमार सिंह सरकारी नामित निदेशक • श्री राजीब कुमार सेन सरकारी नामित निदेशक (8 जुलाई, 2022 तक) • डॉ. इशिता गांगुली त्रिपाठी सरकार नामित निदेशक (8 जुलाई, 2022 से प्रभावी) • श्री सरवण कुमार अनणथन (19 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी)
कंपनी सचिव	सुश्री निष्ठा गोयल
सांविधिक लेखापरीक्षक	मैसर्स देविंदर के. जैन एंड एसोसिएट्स
मुख्य बैंकर	भारतीय स्टेट बैंक
पंजीकृत कार्यालय	एनएसआईसी भवन ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट नई दिल्ली– 110 020
कॉर्पोरेट वेबसाइट	www.nvcfl.co.in

निदेशक मंडल

श्री गौरांग दीक्षित, अध्यक्ष (डीआईएन : 08535482)

श्री गौरांग दीक्षित भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के एक एसोसिएट सदस्य हैं और व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर भी हैं। श्री दीक्षित को 1 अगस्त, 2022 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएसआईसी (एनवीसीएफएल की एक होल्डिंग कंपनी) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। आपके पास वित्त एवं लेखा, आंतरिक लेखापरीक्षा, कॉरपोरेट प्लानिंग, सतर्कता और सरकारी तथा प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के वाणिज्यिक विभाग के क्षेत्र में 35 वर्ष से अधिक का अनुभव है। उन्होंने क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ–साथ कॉरपोरेट कार्यालय में भिन्न–भिन्न पदों पर कार्य किया। आपने वित्त एवं लेखा, कॉरपोरेट प्लानिंग, आंतरिक लेखापरीक्षा और प्रशासन प्रभाग प्रमुख के रूप में कार्य किया। आप नई स्कीमों के लिए नीति निर्धारण/दिशानिर्देश तैयार करने तथा मौजूदा स्कीमों को सशक्त बनाने में भी शामिल रहे हैं। आपने निगम की निधि संबंधी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए बैंकों, वित्तीय संस्थानों से निधियाँ/संसाधन जुटाने से संबंधित कार्य भी किया है।

आपने विशेष प्रयोजन वाहन एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड (एनएसआईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) का गठन करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी, ताकि आत्मनिर्भर भारत फंड (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए भारत सरकार की फंड स्कीम की फंड) का कार्यान्वयन किया जा सके।

श्री गौरांग दीक्षित एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड के बोर्ड के पदेन अध्यक्ष भी हैं।

श्री अतीश सिंह, सरकारी नामिति निदेशक (डीआईएन : 06789077)

श्री अतीश सिंह, संयुक्त सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय – सिविल सेवा को नागरिक प्रशासन, नीति निर्माण और कार्यान्वयन, संस्थागत विनियमन और उत्पाद विकास में 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है (1997–2021)।

उन्होंने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न मामलों पर कार्य किया है जैसे कि एमएसएमई क्रेडिट के लिए नीति निर्माण और निष्पादन, विश्व बैंक के साथ बातचीत, 4 बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) हेतु एमएसएमई क्षेत्र में वित्तीय सहायता के लिए केएफडब्ल्यू और राष्ट्रीय विकास बैंक, शिकायत निवारण/समाधान और प्रारंभिक सहायता हेतु चैंपियन पोर्टल की शुरुआत, जेड प्रमाणन पर सुधारित एमएसएमई योजना का विकास और निष्पादन, लीन प्रक्रियाएँ, ऊष्मायन, आईपीआर और डिजाइन आदि। वे देश भर में पीपीपी मोड पर 20 नए प्रौद्योगिकी केंद्रों और 100 विस्तार केंद्रों की स्थापना का हिस्सा थे। उन्होंने ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) पर ब्लॉक चेन प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए वित्त मंत्रालय और आरबीआई के साथ समन्वय किया। उन्होंने आरबीआई, राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र और वित्त मंत्रालय के समन्वय से फिनटेक निकायों में अभिनव उत्पाद विकास किया है। उन्होंने मंत्रालय में सामान्य प्रशासन, सतर्कता और स्थापना से संबंधित मामलों से संबंधित कार्यों को भी संभाला। वह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चिकित्सा सेवा प्रदाताओं को कोविड प्रबंधन में संसाधन प्रदान करने के लिए एक पोर्टल covidwarriors.gov.in के संचालन और प्रबंधन का हिस्सा थे।

श्री अतीश सिंह को दिनांक 28 अगस्त 2020 से एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीएफसीएल) के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो एनएसआईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

डॉ. इशिता गांगुली त्रिपाठी, सरकारी नामिति निदेशक (डीआईएन : 09661006)

डॉ. इशिता गांगुली त्रिपाठी, अतिरिक्त विकास आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई) भारतीय आर्थिक सेवा 1999 बैच की एक अधिकारी हैं। पिछले 23 वर्षों में, उन्होंने वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, सड़क परिवहन मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उन्होंने अर्थशास्त्र और जनसंख्या अध्ययन विषयों में दो स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है और उन्होंने आईआईटी दिल्ली से प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में पीएचडी पूर्ण किया है।

डॉ. इशिता गांगुली त्रिपाठी को दिनांक 8 जुलाई, 2022 से एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीएफसीएल) के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो एनएसआईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

श्री सरवण कुमार अनणथन, निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (डीआईएन : 09769378)

श्री सरवण कुमार अनणथन आईआईएम–बैंगलोर से स्नातकोत्तर हैं, उनके पास बी.ई. की डिग्री है, और वे जीएआरपी–यूएसए से जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स से सीएआईआईबी की डिग्री धारक हैं और उन्होंने न्यूयॉर्क में मेरिल लिंच ग्लोबल मुख्यालय में प्रबंधन विकास कार्यक्रम में भाग लिया। उनके पास वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, एआईएफ, एमएसएमई सेक्टर, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, रिस्क मैनेजमेंट, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ट्रेजरी मैनेजमेंट और कॉरपोरेट नियोजन में 32 वर्ष से ज्यादा का पेशेवर अनुभव है।

श्री **अनणथन** को 17 अक्टूबर 2022 को श्री फंड (एमएसएमई के लिए भारत सरकार की फंड ऑफ फंड स्कीम) को लागू करने के लिए एनवीसीएफएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने आईसीआईसीआई वेंचर्स और आईसीआईसीआई बैंक में एक वरिष्ठ प्रबंधन पेशेवर के रूप में कार्य किया और एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट, एलआईसी नोमुरा फंड्स मैनेजमेंट आदि में मुख्य निवेश अधिकारी के रूप में कार्य किया है।

वे विभिन्न परामर्शदात्री कार्य समूह समिति के सदस्य थे, जैसे (क) 2011 में जीवन बीमा क्षेत्र के लिए निवेश के पुनर्गठन पर आईआरडीएआई हेतु, (ख) एआईएफ फंड विकसित करने पर सेबी हेतु, और (ग) 2010 और 2013 के बीच अमेरिकन इंटरनेशनल एश्योरेंस (एआईए)–हांगकांग की कोर निवेश समिति के सदस्य रहे। उन्होंने मार्च 2013 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज से सर्वश्रेष्ठ एआईएफ फंड के लिए व्यक्तिगत रूप से 'विश्व वित्त' पुरस्कार प्राप्त किया था। 'विश्व वित्त', अर्थात् यूके आधारित निवेश प्रकाशन ने उपरोक्त पुरस्कार प्रदान किया था।

अध्यक्ष महोदय का संदेश

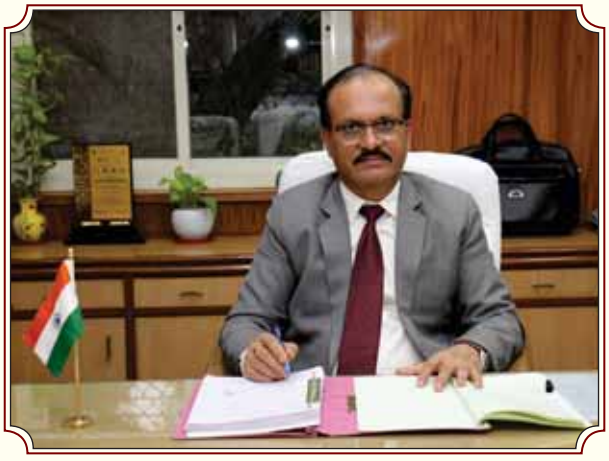

प्रिय शेयरधारकों,

''एनएसआईसी वेंचर्स कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल)'' की दूसरी वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष हेतु आपकी कंपनी की बोर्ड की रिपोर्ट और उसके लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ–साथ लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट तथा उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां आपके साथ साझा की गई हैं। मैं आपकी अनुमति चाहता हूं कि उन्हें पढ़ा हुआ मान लें।

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफ़एल) को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था, जो कि एमएसएमई हेतु रु. 10,000 करोड़ अर्थात् सेल्फ रिलायन्ट इंडिया (एसआरआई) फंड की निधियों की निधि योजना को निष्पादित करने के लिए भारत के माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज का एक हिस्सा थी।

एसआरआई फंड को 1 सितंबर 2021 को श्रेणी–II वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के रूप में नियामक, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत किया गया है। इसके बाद, एंकर निवेशक (एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार), प्रायोजक (एनएसआईसी), एआईएफ़ कंपनी (एनवीसीएफ़एल) और निवेश प्रबंधक (एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड– एसवीएल) के बीच 12 अक्टूबर 2021 को योगदान समझौते को निष्पादित किया गया था।

एसआरआई निधि मदर निधि – डॉटर निधि में संचालित होता है, जिसमें एसआरआई निधि को मदर निधि के रूप में जाना जाता है जो विभिन्न डॉटर निधि (सेबी के साथ कैट I या कैट II निधि के रूप में पंजीकृत निजी इक्विटी फंड) को पूंजी प्रतिबद्धता प्रदान करता है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार, मदर निधि – डॉटर निधि संरचना के तहत, एसआरआई निधि द्वारा निवेशित प्रत्येक इकाई के लिए, डॉटर निधि को 4 यूनिट निवेश करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, डॉटर निधियों के माध्यम से एमएसएमई में कुल 5 इकाइयों का निवेश किया जाएगा।

एमएसएमई को वित्त पोषण की तरह इक्विटी/इक्विटी बढ़ाने और एमएसएमई व्यवसायों के तेजी से विकास का समर्थन करने के लिए, और इस तरह अर्थव्यवस्था को प्रज्वलित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु एसआरआई फंड का उद्देश्य इक्विटी या सेमी–इक्विटी के रूप में विकास पूंजी द्वारा एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह निधि प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने हेतु एमएसएमई का समर्थन करने के लिए है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एनवीसीएफ़एल ने दिनांक 01 सितंबर, 2021 से सेबी पंजीकरण प्राप्त किया, इसलिए, कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियाँ दिनांक 01 सितंबर, 2021 से शुरू हुईं। तदनुसार, वर्ष 2021–2022 के दौरान, कंपनी ने रु. 201.60 लाख रुपये के परिचालन से अपना राजस्व दर्ज किया और अपना पहला लाभ (कर से पहले) रु. 230.94 लाख रुपये और कर के बाद लाभ रु.190.27 लाख रुपये अर्जित किया।

31 मार्च 2022 तक, कंपनी का शुद्ध मूल्य पिछले वर्ष के रु. 538.90 लाख की तुलना में रु. 729.17 लाख रुपये था। 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर आय (ईपीएस) पिछले वर्ष के रु. (10.18) की तुलना में रु. 31.71 थी।

मुझे यह बताते करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए रु.57.08 लाख (पीएटी के 30:) के लाभांश की सिफारिश की है, जो इस वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

योगदान समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद से, एसआरआई फंड की विधिवत गठित निवेश समिति (आईसी) की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। दिनांक 30 नवंबर 2022 तक, रुपये 4,895 करोड़ के एसआरआई फंड प्रतिबद्धता के साथ 33 डॉटर निधियों को सूचीबद्ध किया गया है। लगभग, 127 एमएसएमई में एसआरआई फंड योगदान से रु. 306 करोड़ पहले ही इन डॉटर निधियों द्वारा नियोजित किए जा चुके हैं।

मैं उनके निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन के लिए एमएसएमई मंत्रालय, सेबी, डीपीई, एनएसआईसी लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं एमएसएमई के विकास को सुविधाजनक

बनाने और बढ़ावा देने हेतु इस पहल में उनके योगदान के लिए अपने सभी हितधारकों को निष्ठापूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं नियंत्रक एवं महलेखापरीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी से जुड़े अन्य पेशेवरों को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं इस अवसर पर कंपनी के बोर्ड में अपने सहयोगियों और सभी अधिकारियों को उनके सर्वसम्मत समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं एनवीसीएफएल–एसआरआई फंड को एमएसएमई को और अधिक मजबूत करने तथा इसके दृष्टिकोण व मिशन को हासिल करने हेतु शुभकामनाएं देता हूँ।

ह./–
(गौरांग दीक्षित)
अध्यक्ष
डीआईएन : 08535482

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 16 दिसंबर, 2022

बोर्ड की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारक,

आपके निदेशक वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के साथ बोर्ड की दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्न हैं।

1. संचालन अवलोकन

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत, भारत सरकार की एक मिनी रत्न कंपनी; राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। अपनी पहली योजना आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड के लिए एनवीसीएफएल भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियमन, 2012 ('विनियमन') के अंतर्गत, श्रेणी–2 वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में 1 सितंबर 2021 को पंजीकृत की गयी है। एसआरआई फंड मदर/डॉटर फंडों का एक संयोजन है। भारत सरकार एकमात्र एंकर निवेशक है और यह मदर फंड में चरणबद्ध तरीके से 10,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक बजटीय सहायता प्रदान करती है मदर फंड के पैनल में सम्मिलित होने के बाद डॉटर फंड में धनराशि जुटाई जाएगी और इस तरह जुटाई गई धनराशि के प्रत्येक 4 इकाई के लिए, वे मदर फण्ड से 1 इकाई मांगने के लिए पात्र होंगे। तब संपूर्ण 5 इकाईयाँ एमएसएमई में निवेश के लिए डॉटर फण्ड में उपलब्ध होंगी।

एसआरआई फंड का उद्देश्य एमएसएमई को इक्विटी/इक्विटी जैसे वित्तपोषण में वृद्धि करने और एमएसएमई व्यवसायों के तीव्र विकास का समर्थन करने के लिए इक्विटी या अर्ध–इक्विटी के स्वरुप में विकास पूंजी के रूप में डॉटर फंड के माध्यम से एमएसएमई को वित्तपोषण की सहायता प्रदान करना है और इसके द्वारा अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों का निर्माण करना है।

12 अक्टूबर 2021 को कोष के संचालन के लिए एक योगदान समझौते और निवेश प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस योजना में एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार, एनएसआईसी और एनवीसीएफएल इसके

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड की पहली वार्षिक सामान्य सभा (एजीएम) 26 नवंबर, 2021 को आयोजित की गई थी।

योगदानकर्ता हैं और इसे एक पृथक 'एसोसिएशन ऑफ पर्सन' के रूप में माना जाता है। इस संबंध में कंपनी के वार्षिक वित्तीय विवरणों के नोट–29 में उपयुक्त रहस्योद्घाटन किए गए हैं।

2. वित्तीय अवलोकन

एनवीसीएफएल ने 1 सितंबर 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) का पंजीकरण प्राप्त किया। इसलिए, कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियाँ सेबी पंजीकरण की तिथि, अर्थात 1 सितंबर 2021 से आरंभ हुईं। तदनुसार, कंपनी ने वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के संचालनों से प्राप्त अपने राजस्व रु. 201.60 लाख होने की सूचना दी। कंपनी ने रु. 230.94 लाख का अपना पहला लाभ (कर पूर्व) और रु. 190.27 लाख का कर पश्चात लाभ अर्जित किया।

पिछले वित्तीय वर्ष के साथ, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के अंकेक्षित वित्तीय विवरणों का सारांश निम्नानुसार दिया गया है:–

(ईपीएस को छोड़कर रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष
1.	प्रचालनों से राजस्व	201.60	0.00
2.	अन्य आय	69.37	11.06
3.	व्यय	40.03	69.38
4.	कर पूर्व लाभ/(हानि)	230.94	(58.32)
5.	कर व्यय	40.67	2.78
6.	कर पश्चात लाभ/(हानि)	190.27	(61.10)
7.	कुल मूल्य	729.17	538.90
8.	प्रति शेयर आय (रुपयों में)	31.71	(10.18)

3. लाभांश

निदेशक मंडल ने 28 जुलाई, 2022 को हुई अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए रु. 57.08 लाख (पीएटी का 30 प्रतिशत) के लाभांश की संस्तुति की है। अनुशंसित लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

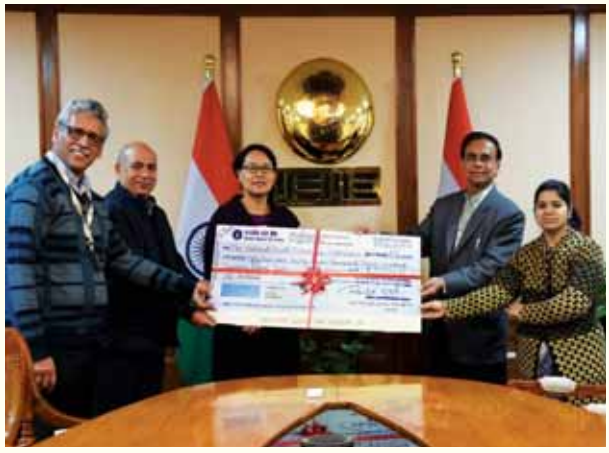

एनवीसीएफएल ने वर्ष 2021–22 के लिए अपना पहला लाभांश चेक सीएमडी, एनएसआईसी को प्रस्तुत किया।

4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (जे) के संदर्भ में आरक्षित निधि में स्थानांतरण

आपके निदेशक किसी भी राशि को आरक्षित निधि में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

5. कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत के बीच हुई कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हो, जिसके साथ वित्तीय विवरण और रिपोर्ट की तिथि का सम्बन्ध है

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तिथि से संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत के बीच कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं हुई।

6. जमा राशि

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के अंतर्गत आने वाले नियमों के साथ पढ़ी गयी किसी भी जमा राशि को स्वीकार नहीं किया है।

7. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

8. धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी या निवेश के विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत, कोई ऋण नहीं

दिया है या कोई गारंटी नहीं दी है या कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की है और/या कोई निवेश नहीं किया है और इसलिए उक्त प्रावधान लागू नहीं होते है। इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा किए गए निवेश के विवरण नोट वर्ष 2021–22 के लिए अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के लेखों की टिप्पणियों में से टिप्पणी 7 में उल्लिखित किया गया है।

9. शेयर पूंजी

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रु. 10 करोड़ है और कंपनी की प्रदत्त (पेड–अप) शेयर पूंजी रु. 6 करोड़ रुपये है जिसे 100/– प्रत्येक के दर से 6,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है और संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (धारक कंपनी) और उसके नामांकित व्यक्तियों ने अपने पास रोक रखा है।

10. प्रबंधक वर्ग की चर्चा और विश्लेषण

प्रबंधक वर्ग की चर्चा और विश्लेषण पर एक पृथक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **"अनुबंध –क"** के रूप में संलग्न है।

11. मानव संसाधन प्रबंधन

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान किसी स्थायी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की है। हालांकि, धारक कंपनी, अर्थात् एनएसआईसी लिमिटेड ने अपने कुछ कर्मचारियों को परिचालन सुविधा और कंपनी के दिन–प्रतिदिन के मामलों के प्रबंधन के लिए अंशकालिक/पूर्णकालिक आधार पर तैनात किया है, जो पेशेवर हैं और वित्तीय विशेषज्ञता रखते हैं।

कंपनी ने निदेशकों या प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों या कंपनियों और प्रतिष्ठानों आदि के साथ किसी भी सामग्री, वित्तीय या वाणिज्यिक लेनदेन नहीं किया है, जिसमें वे प्रत्यक्ष रूप से या अपने रिश्तेदारों के माध्यम से निदेशक और/या भागीदार के रूप में रुचि रखते हैं।

12. कर्मचारियों के विवरण

कंपनी का कोई भी कर्मचारी कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के अंतर्गत, निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा था।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं।

13. ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय का संरक्षण

आपकी कंपनी में कोई निर्माण गतिविधि नहीं है, इसलिए ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और अवशोषण के संरक्षण पर कोई खर्च नहीं होता है। इसके अतिरिक्त, समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी की कोई विदेशी मुद्रा आय और व्यय के लेनदेन नहीं है।

14. संबंधित पक्षों के साथ किए गए अनुबंधों और व्यवस्थाओं के विवरण

वित्तीय वर्ष के दौरान, संबंधित पक्षों के साथ व्यवस्थाएँ/लेन–देन व्यापार के सामान्य क्रम में और आमने–सामने बातचीत के आधार पर थे। कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार निर्धारित प्रपत्र एओसी–2 में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) में संदर्भित संबंधित पार्टी लेनदेनों के रहस्योद्घाटन और अनुबंधों या व्यवस्थाओं के विवरण इस रिपोर्ट के लिए **"अनुबंध – ख"** के रूप में संलग्न हैं।

15. सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मैसर्स देविंदर कुमार. जैन एंड एसोसिएट्स को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया है। वैधानिक लेखा परीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर अपनी रिपोर्ट दी है। इस प्रकार से, अंकेक्षित वित्तीय विवरण, नकदी प्रवाह का विवरण और आवश्यक अनुबंधों के साथ लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी, अवलोकन या आपत्ति नहीं है।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर सी एंड एजी की टिप्पणियाँ, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग होंगी।

16. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी के संचालनों को प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित करने के लिए कंपनी आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं की एक उपयुक्त प्रणाली बनाए रखती है। आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड की निवेश प्रक्रिया को कुशल और पारदर्शी तरीके से और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जारी संचालनीय दिशानिर्देशों के पूर्ण अनुपालन में लागू करने के

लिए कंपनी के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) है। विवरण का उल्लेख रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में भी किया गया है।

17. वार्षिक विवरणी

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, निर्धारित प्रारूप में वार्षिक विवरणी http://www.nvcfl.co.in/AnnualReport वेबसाइट लिंक पर उपलब्ध है।

18. जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने एसआरआई फंड (कंपनी की पहली योजना) से जुड़े जोखिमों की पहचान करने के लिए एक सुपरिभाषित जोखिम प्रबंधन नीति निर्धारित की है। वार्षिक रिपोर्ट में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में अधिक विवरण दिए गए हैं। कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति को http://www.nvcfl.co.in//pdfs/Risk_Mgmt_Policy_30082022.pdf पर देखा जा सकता है।

19. निदेशक मंडल

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान और अब तक आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

क) श्री गौरांग दीक्षित को 1 अगस्त, 2022 से कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

ख) डॉ. इशिता गांगुली त्रिपाठी को 8 जुलाई, 2022 से श्री राजीव कुमार सेन के स्थान पर एनवीसीएफएल के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशकों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया है।

ग) श्री राजीब कुमार सेन ने 8 जुलाई 2022 को एनवीसीएफएल बोर्ड के निदेशक के रूप में अपना पद छोड़ दिया।

घ) श्री विजयेंद्र ने 23 सितंबर 2021 को एनवीसीएफएल के अध्यक्ष के रूप में अपना पद त्याग दिया।

ङ) 23 सितंबर 2021 को श्रीमती अल्का नांगिया अरोड़ा को कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने 20 जून, 2022 तक एनवीसीएफएल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है।

च) श्री. पी. उदयकुमार को 20 जून, 2022 को कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि, अर्थात 31 जुलाई, 2022 तक एनवीसीएफएल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है।

छ) श्री सर्वन कुमार अनणथन को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 19 अक्टूबर, 2022 से वह कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं।

वर्ष 2021–22 के दौरान निदेशक मंडल की छह बैठकें आयोजित की गई थी। बैठकों का विवरण कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है जो इस रिपोर्ट के **"अनुबंध–ग"** के रूप में संलग्न है।

20. निदेशकों का दायित्व संबंधी विवरण

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ग) के अपेक्षाओं के अनुसरण में निदेशक मंडल इस बात की पुष्टि करता है कि:
- अनुसरण में 2021–22 वार्षिक लेखे तैयार करते समय, सारवान विपथनों से संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरणों के साथ–साथ लागू होने वाले लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उनको लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय और आकलन किए हैं जो तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं, ताकि वित्त वर्ष के अंत में कारपोरेशन की अद्यतन तथा उस अवधि में निगम के लाभ या हानि की सही और उचित तस्वीर प्रस्तुत की जा सके;
- निदेशक मंडल ने निगम की परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए और कपट तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और उनकी रोकथाम करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के रख–रखाव के लिए उपयुक्त और पर्याप्त सावधानी बरती है;
- वित्तीय विवरण, सतत कारोबार के आधार पर तैयार किए गए हैं;
- निदेशकों ने लागू होने वाले सभी कानूनों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की और यह प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

21. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई) के अंतर्गत एक आवेदन प्राप्त हुआ और उसका निपटान कर दिया गया है।

22. नियामकों / न्यायालयों / न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और विशेष आदेश

कंपनी के खिलाफ नियामकों/अदालत/न्यायाधिकरणों द्वारा भविष्य में आपकी कंपनी की चालू प्रतिष्ठान की स्थिति और संचालन को प्रभावित करने वाला कोई महत्वपूर्ण और विशेष आदेश पारित नहीं किया गया है।

23. आभार

आपके निदेशक एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार, सेबी, एमसीए के प्रति उनके दिशा–निर्देश और समर्थन के लिए आभारी हैं। निदेशक भी एनएसआईसी लिमिटेड (धारक कंपनी) को उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। कंपनी वैधानिक लेखा परीक्षकों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, निवेश प्रबंधक, कानूनी सलाहकार के प्रति उनके महत्त्वपूर्ण योगदान के लिए भी आभार व्यक्त करती है। निदेशक कंपनी के दीर्घस्थायी प्रदर्शन को सुनिश्चित करने में कंपनी के सभी हितधारकों के बहुमूल्य योगदान और प्रयासों के लिए भी उनकी ईमानदारी से सराहना और धन्यवाद करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह./–
(गौरांग दीक्षित)
अध्यक्ष
डीआईएन : 08535482

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 16 दिसंबर, 2022

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी के प्रदर्शन सहित "प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण" पर एक रिपोर्ट निम्नांकित है:

क) (i) उद्योग संरचना और आधुनिक विकास

पिछले दो वित्तीय वर्ष (2020–21 और 2021–22) कोविड–19 महामारी के कारण विश्व अर्थव्यवस्था के लिए कठिन रहे हैं। संक्रमण की बार–बार लहरों के परिणामस्वरूप व्यापक आपूर्ति–श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न हुआ और एमएसएमई से सम्बंधित उत्पादन चक्र अधिक प्रभावित हुआ। हाल ही में, उभरते हुए भू–राजनीतिक परिदृश्य से प्रेरित मुद्रास्फीति ने सामान्य रूप से उद्यमों के लिए और विशेष रूप से एमएसएमई के लिए चुनौतीपूर्ण समय उत्पन्न कर दिया है।

दुनिया भर की सरकारों द्वारा अपने सम्बंधित अर्थव्यवस्थाओं को नए सिरे से आरंभ करने और फिर से जगाने के लिए ठोस प्रयास करने के बाद भी, वैश्विक आर्थिक वातावरण अभी भी अनिश्चित बना हुआ है। विश्व बैंक की नवीनतम ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था नए युग में प्रवेश कर रही है, जो मुख्य रूप से महामारी और अन्य वैश्विक संकट से होने वाली क्षति के कारण क्षीण विकास और उच्च मुद्रास्फीति की लंबी अवधि बन सकती है।

वित्त वर्ष 2022–23 में भारत के लिए दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुमानों से पता चलता है कि भारत में उद्योग का सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) (खनन और निर्माण सहित) 2020–21 में 7 प्रतिशत तक की वृद्धि के अनुबंध के बाद 2021–22 में 11.8 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है।

31 मार्च, 2022 तक भारत में लगभग 6.3 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) हैं, जिनमें से उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत एमएसएमई की संख्या 1.16 करोड़ इकाई (28 अक्टूबर 2022 तक) थी। अधिकांश पंजीकृत एमएसएमई सेवा उद्यम हैं, जो 64 प्रतिशत के आसपास है, जबकि शेष 36 प्रतिशत में विनिर्माण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, पंजीकृत उद्यमों में से लगभग 95 प्रतिशत सूक्ष्म उद्यम हैं, इसके पश्चात छोटे उद्यम 4.5 प्रतिशत और मध्यम आकार के उद्यम 0.50 प्रतिशत हैं।[1]

(ii) उद्योग क्षेत्र का महत्त्व (एमएसएमई)

एमएसएमई क्षेत्र, विनिर्माण और सेवाएँ दोनों, अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और देश के सामाजिक–आर्थिक विकास में एक प्रमुख योगदानकर्ता हैं। भारत की 6.3 करोड़ एमएसएमई संस्थाएँ निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी हैं –

- देश के कुल विनिर्माण उत्पादन का लगभग 45 प्रतिशत;
- सभी निर्यात का लगभग 40 प्रतिशत; तथा
- राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30 प्रतिशत[2]।

भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके शानदार योगदान के बाद भी, भारत में एमएसएमई को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि तेजी से बदलती प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल बिठाना, उनकी बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के मुद्दे और अंत में ऋण और इक्विटी दोनों के वित्त के स्रोतों की उपलब्धता और पहुंच।

"भारत के एमएसएमई का वित्तपोषण" 2018[3] पर आईएफसी की रिपोर्ट का अनुमान है कि एमएसएमई द्वारा ऋण और इक्विटी वित्त दोनों की कुल मांग 87.7 ट्रिलियन रुपये होने का अनुमान है, जिसमें

---

[1] स्रोत: भारत में एमएसएमई उद्योग – बाजार में हिस्सेदारी, रिपोर्ट, विकास और कार्यक्षेत्र। आईबीईएफ, 13 जून 2022 को एक्सेस किया गया।

[2] स्रोत: मई 2022, मे इनसाइडर (msme.gov.in) 15 जून 2022 को एक्सेस किया गया

[3] स्रोत: नवंबर 2018 को जापान सरकार की साझेदारी में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी), भारत के एमएसएमई को वित्त पोषण – भारत में एमएसएमई की ऋण आवश्यकता का अनुमान।

69.3 ट्रिलियन रुपये का ऋण और 18.4 ट्रिलियन रूपए की इक्विटी सम्मिलित है।

बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म जो असंगठित क्षेत्र से एसएमई को एक विनियमित और संगठित क्षेत्र में सूचीबद्ध करने में सक्षम बनाता है, द्वारा सूचित किया गया कि 360 सूचीबद्ध एसएमई कंपनियों ने पिछले 10 वर्षों के दौरान 3,823.96 करोड़ रुपये की धनराशि एकत्रित की। उपरोक्त अवधि के दौरान, बीएसई के आईपीओ इंडेक्स में भी 13000 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।[4]

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर, इमर्ज एसएमई कंपनियों के लिए एक नया मंच है जो कि बहुत आवश्यक विकास पूंजी जुटाने, परिपक्व होने और बाद में एनएसई के मुख्य बोर्ड में स्थानांतरित करने के लिए प्रारंभिक चरण के उपक्रमों और गुणवत्तायुक्त छोटी कंपनियों को प्रस्ताव देता है। वित्तीय वर्ष 2021–2022 में, इमर्ज ने 31 एमएसएमई की सूची देखी, जिन्होंने रु. 503.37 करोड़ जुटाया था।[5]

हालांकि, एमएसएमई क्षेत्र के लिए वित्त पोषण की समग्र आवश्यकता की तुलना में जुटाई गयी ये राशि बहुत कम है।

(iii) इस क्षेत्र में विकास

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि घरेलू व्यापार को एक सुदृढ़ वित्तीय प्रोत्साहन की आवश्यकता है, जैसे कि भारत सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र में बड़े मूल्य के निवेश को वापस लाने की प्रत्याशा में कई उपायों की घोषणा की गई:

- भारत सरकार ने एमएसएमई के लिए फंड ऑफ फंड्स स्कीम बनाई, ताकि विभिन्न प्रकार के फंडों को कम सेवा वाले एमएसएमई की ओर मोड़ा जा सके और व्यावहारिक एवं उच्च विकास वाले एमएसएमई की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस योजना को आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड योजना का नाम दिया गया और इसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) द्वारा एक स्पेशल पर्पस व्हीकल अर्थात् एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड के माध्यम से प्रशासित किया जाना था।
- एमएसएमई को विशेष रूप से सरकारी ई–मार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से अपने उत्पादों को ई–कॉमर्स साइट पर बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

ख) आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में, वित्त मंत्री ने 2021–2022 के बजट भाषण में, एमएसएमई के लिए फंड ऑफ फंड (एफओएफ) योजना की घोषणा की थी, जिसमें भारत सरकार द्वारा रु. 10,000 करोड़ का योगदान दिया जाना था और 5 बार में रु. 50,000 करोड़ तक का लाभ पहुँचाया जाना था।

एमएसएमई मंत्रालय (एमओएमएसएमई) को कार्यान्वयन मंत्रालय के रूप में नामित किया गया और आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) के रूप में नामित फंड ऑफ फंड को एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के माध्यम से सहारा दिया जाना था।

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल), एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी, और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड को लागू करने के लिए निर्मित एक एसपीवी है।

'आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड' ("फंड" या "एसआरआई फंड") को एनवीसीएफएल की पहली योजना के रूप में गठित की गयी है। एसबीआईसीएपी वेंचर्स लिमिटेड ("निवेश प्रबंधक") को एमएसएमई क्षेत्र को विकास पूंजी प्रदान करने के उद्देश्य से 'फंड ऑफ फंड्स' को संचालित करने के लिए नियत प्रक्रिया के बाद निवेश प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है।

यह फंड इक्विटी, अर्ध–इक्विटी और ऋण के माध्यम से एमएसएमई को विकास पूंजी के रूप में आगे के प्रावधान के लिए डॉटर फंड को धनराशि की सहायता प्रदान करना है, जिसे सेबी के सम्बंधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमति प्रदान की जा सकती है। एसआरआई फंड द्वारा डॉटर फंड को बैक–एंडेड आधार पर उपलब्ध कराई गई धनराशि की प्रत्येक इकाई के

[4] स्रोत: परिचय (bsesme.com) 19 जून 2022 को एक्सेस किया गया। और BSE SME Brochure.cdr

[5] स्रोत: https://archives.nseindia.com/emerge/sme_brochure.pdf 13 जून 2022 को एक्सेस किया गया।

लिए डॉटर फंड अपने स्वयं के स्रोतों से चार इकाई फंड जुटाएगा। इस प्रकार से, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए रु. 10,000 करोड़ के कोष में वृद्धि करते हुए रु. 50,000 करोड़ की धनराशि एमएसएमई को सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। एसआरआई फंड के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. एमएसएमई को सेबी के सम्बंधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत, प्राप्त अनुमति के अनुसार इक्विटी, अर्ध इक्विटी और ऋण वित्तपोषण में वृद्धि करना;

2. एमएसएमई के व्यवसायों में तीव्र वृद्धि को समर्थन प्रदान करना और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में जान फूँकना और रोजगार के अवसर पैदा करना;

3. ऐसे उद्यमों का समर्थन करना जिनमें एमएसएमई वर्ग से आगे निकल कर सक्षम होने और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बनने की क्षमता है; तथा

4. ऐसे एमएसएमई का समर्थन करना जो सम्बंधित प्रौद्योगिकियों, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करते हैं।

ग) परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन

12 अक्टूबर, 2021 को एंकर इन्वेस्टर (भारत सरकार), प्रायोजक (एनएसआईसी), एआईएफ कंपनी (एनवीसीएफएल) और निवेश प्रबंधक (एसबीआईसीएपी वेंचर्स लिमिटेड) के बीच एसआरआई फंड के लिए योगदान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

योगदान समझौते पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद, 14 और 21 अक्टूबर, 2021 को एसआरआई कोष की विधिवत गठित निवेश समिति (आईसी) की बैठकें आयोजित की गईं। इसके बाद, निवेश समिति की दस (10) और बैठकें 31 मार्च 2022 तक आयोजित की गई हैं।

	डॉटर फण्ड की संख्या	मूल्य
डॉटर फंड के लिए प्रारंभिक आईसी अनुमोदन प्राप्त हुआ	25	रु. 3,665 करोड़
डॉटर फंड के लिए प्राप्त अंतिम आईसी अनुमोदन	23	रु. 3,465 करोड़
पैनलबद्ध डॉटर फंड	20	रु. 3,200 करोड़

यह उल्लेख करना उचित होगा कि पैनलबद्ध डॉटर फंड्स द्वारा उठाई गई मांग के अनुसार फंड का वितरण कई चरणों में होगा। डॉटर फंड्स ने बाद के वित्तीय वर्ष में उपयोग के लिए 31 मार्च 2022 तक एसआरआई फंड से 177 करोड़ रुपये निकालने का अनुरोध किया।

घ) जोखिम, चिंताएँ और खतरे

एनवीसीएफएल और इसके निवेश प्रबंधक ने एसआरआई फंड के लिए जोखिम के आकलन, निगरानी और प्रबंधन के लिए एक सुदृढ़ ढाँचे को अपनाया है। यह ढाँचा एक जोखिम मैट्रिक्स प्रदान करता है जो किसी फण्ड के लिए जोखिम की सभी श्रेणियों, जोखिम के विवरण, प्रत्येक जोखिम के घटित होने की संभावना, परिणाम; यदि जोखिम वास्तव में घटित होता है, जोखिम रेटिंग, जोखिम शमन तंत्र और जोखिम की निगरानी की आवधिकता को सूचीबद्ध करता है।

एसआरआई फंड के लिए निगरानी किए जाने वाले प्रमुख जोखिम हैं – प्रतिबद्धता जोखिम, वितरण जोखिम, पोर्टफोलियो जोखिम, पुनर्निवेश जोखिम, अनुपालन जोखिम, फंड स्तर पर एकाग्रता जोखिम, फंड स्तर पर विदेशी मुद्रा जोखिम, फंड और डॉटर फंड स्तर पर लीवरेज जोखिम, फंड और डॉटर फंड स्तर पर वसूली जोखिम, डॉटर फंड स्तर पर रणनीति जोखिम, डॉटर फंड स्तर पर प्रतिष्ठा जोखिम, फंड और डॉटर फंड स्तर पर पर्यावरणीय, सामाजिक और कॉर्पोरेट प्रशासन जोखिम।

एसआरआई फंड द्वारा डॉटर फंड के लिए प्रतिबद्ध राशि को पूर्ण राशि के रूप में और साथ ही डॉटर फंड द्वारा जुटाए जाने वाले लक्षित कोष के प्रतिशत के रूप में, जो भी कम हो, दोनों में व्यक्त किया जाता है। एक पैनलबद्ध डॉटर फंड के लक्षित कोष की राशि को बढ़ाने में असमर्थ होने की स्थिति में, गिरावट राशि प्रतिशत क्लॉज द्वारा बाधित हो जाएगी और तदनुसार, एसआरआई फंड से गिरावट कम होगी और यह पूर्ण रूप से व्यक्त की गई प्रतिबद्धता की राशि के बराबर नहीं हो सकती।

निवेश प्रबंधक और कानूनी सलाहकार के परामर्श से एनवीसीएफएल फंड के संचालन में उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए नियंत्रण के विभिन्न उपायों को अपना रहा है, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है:

क) फंड के लिए एक व्यापक निवेश नीति अपनाई गई है;

ख) डॉटर फंड में निवेश करने के लिए एक व्यापक निवेश प्रक्रिया को अनुमोदित किया गया है;

ग) बोर्ड द्वारा एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) टेम्प्लेट तैयार और अनुमोदित किया गया

है, जिसके आधार पर विभिन्न पक्ष फंड के संबंध में अपनी भूमिका और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करती हैं।

घ) डॉटर फंड के मनोनयन के लिए पात्रता मापदंड बोर्ड द्वारा विकसित और अनुमोदित किया गया है;

ङ) संचालन दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रत्येक डॉटर फण्ड में अधिकतम एक्सपोजर की सीमा निर्धारित की गई है;

च) जहाँ पर हितों के टकराव की सूचना मिलती है, वहाँ पर प्रस्तावों के लिए बोर्ड का अनुमोदन माँगा जाता है;

छ) सीएजी द्वारा स्वतंत्र लेखापरीक्षक की नियुक्ति की गई है;

ज) स्वतंत्र लेखापरीक्षक को बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

झ) उचित कानूनी परामर्श लेकर संरचनागत जोखिमों को कम किया जाता है;

एसआरआई फंड में परिभाषित भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के साथ, एसआरआई फंड एडवाइजरी बोर्ड, एनवीसीएफएल बोर्ड और निवेश समिति (स्वतंत्र आईसी सदस्य सहित) की देखरेख में एक सुदृढ़ प्रशासन ढाँचा है। साथ ही, प्रत्येक डॉटर फंड, जैसा कि साइड लेटर के अंतर्गत आवश्यक है, अपनी निवेश प्राप्तकर्ता कंपनियों के लिए एक पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासन मानकों ("ईएसजी") नीति/ढांचे को विकसित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि वित्तीय जोखिम प्रबंधन और पर्यावरण एवं सामाजिक सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियाँ विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हें किसी भी भौतिक उल्लंघन और भ्रष्टाचार विरोधी/धन–शोधन विरोधी, पर्यावरण, सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रामाणिकता के पहलुओं पर रिपोर्ट करना आवश्यक है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, एनवीसीएफएल ने बिना किसी व्यवधान के कोविड–19 महामारी के दौरान भी अपना कार्य जारी रखा। लॉकडाउन की पाबंदियों के दौरान, वर्क फ्रॉम होम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य आवश्यक प्रावधान किए गए। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ऐसे किसी भी संभावना की परिकल्पना नहीं करती जिसके कारण कोविड–19 कंपनी के व्यवसाय और उसके परिणामों को प्रभावित करेगा। आपकी कंपनी भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन की बारीकी से निगरानी जारी रखेगी, जिसका कंपनी पर कोई वित्तीय प्रभाव पड़ सकता है।

ङ) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

एसआरआई फंड अच्छी तरह से परिभाषित एक पारदर्शी निवेश प्रक्रिया का अनुसरण करता है जिसे विस्तृत एफएक्यू के एक भाग के रूप में एनवीसीएफएल और एसवीएल वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। निवेश प्रक्रिया को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है:

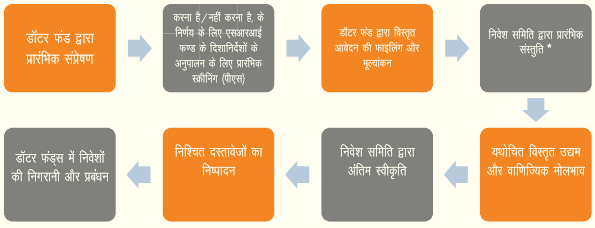

* हितों के टकराव के प्रकरण में, इस तरह के टकराव के लिए बोर्ड प्राधिकरण द्वारा पालन किया जाएगा

स्वतंत्र पेशेवर एजेंसी द्वारा किए गए यथोचित विस्तृत उद्यम के निष्कर्षों पर विचार करने के बाद निवेश समिति को अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया है – यथोचित विधिक उद्यम, यथोचित वित्तीय उद्यम और यथोचित कर उद्यम।

च) दृष्टिकोण

एसआरआई फंड संभावित डॉटर फंड्स के एक तंत्र का निर्माण कर रहा है। कोष का वितरण डॉटर फण्ड की निवेश अवधि के दौरान कई चरणों में संपन्न होगा।

एसआरआई फंड के स्तर (इसके योगदानकर्ताओं के लिए) और डॉटर फंड के स्तर (एसआरआई फंड के लिए) पर विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के साथ एक नए फंड के लिए मंच स्थापित किया जा रहा है।

इच्छित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, एसआरआई फंड उपयुक्त उद्योग मंचों के साथ बातचीत करेगा और उनकी प्रतिक्रिया माँगेगा।

ह./–
(गौरांग दीक्षित)
अध्यक्ष
डीआईएन : 08535482

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 16 दिसंबर, 2022

फॉर्म - एओसी-2
वार्षिक अनुपालन से संबंधित पक्ष के लेनदेन

(अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र जिसमें उनके प्रावधान के अंतर्गत, आमने–सामने के कुछ लेन–देन सम्मिलित हैं

1. आमने–सामने संपन्न नहीं हुए अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देनों के विस्तृत विवरण:

   एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड ने अपने संबंधित पक्षों के साथ कोई अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन नहीं किया है जो वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आमने–सामने संपन्न नहीं हुए।

2. वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आमने–सामने संपन्न हुए भौतिक अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देनों का विस्तृत विवरण:

क्र. सं.	संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/ लेनदेनों की प्रकृति	अनुबंधों/ व्यवस्थाओं/ लेनदेनों की अवधि	अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेनों की मुख्य शर्तें; मूल्य सहित, यदि कोई हो:	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो:	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:
1.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (धारक कंपनी)	एनवीसीएफएल की ओर से जनशक्ति समर्थन लागत, मुद्रण और स्टेशनरी, यात्रा, संवहन एवं वाहन शुल्क और धारक कंपनी द्वारा उठाए गए मनोरंजन व्यय की प्रतिपूर्ति। (करों को छोड़कर)	जारी लेनदेन	जनशक्ति समर्थन लागत – रु. 28.57 लाख प्रिंटिंग और स्टेशनरी, यात्रा, संवहन एवं वाहन शुल्क और मनोरंजन – रु. 0.05 लाख (सभी राशियाँ वास्तविक आधार पर)	प्रयोजनीय नहीं है, क्योंकि अनुबंध व्यापार के सामान्य क्रम में और आमने–सामने बातचीत के आधार पर किया गया था।	शून्य
2.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (धारक कंपनी)	एनएसआईसी को भुगतान किया गया किराया (करों को छोड़कर)	11 महीने के लिए समझौता	किराया रु. 0.12 लाख (अर्थात् 1000/– प्रति माह, कर अतिरिक्त)		
3.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (धारक कंपनी)	कंपनी निगम पर भुगतान किए गए विज्ञापन और प्रचार और शुल्क एवं करों की प्रतिपूर्ति (करों को छोड़कर)	एक बार लेनदेन	विज्ञापन और प्रचार – रु. 13.67 लाख कंपनी निगमन पर चुकाए गए शुल्क और कर – रु. 10.83 लाख (सभी राशियां वास्तविक आधार पर)		

ह./–
(गौरांग दीक्षित)
अध्यक्ष
डीआईएन : 08535482

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 16 दिसंबर, 2022

कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट

एनवीसीएफएल कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को इक्विटी/अर्ध–इक्विटी/इक्विटी जैसे संरचित उपकरणों के माध्यम से विकास पूंजी प्रदान करने के लिए कंपनी की पहली योजना है। योजना/दिशानिर्देशों का विवरण www.nvcfl.co.in पर उपलब्ध है। एनवीसीएफएल के पास संचालन के दिशानिर्देशों सहित, फंड के दस्तावेजों में निर्धारित निवेश के दिशानिर्देशों के अनुरूप सभी निवेश प्रस्तावों को संसाधित करने के लिए एक पेशेवर और स्वतंत्र निवेश प्रबंधक है। मानक संचालन प्रणाली बोर्ड द्वारा तैयार एवं अनुमोदित किया गया है। डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, कॉर्पोरेट प्रशासन पर एक रिपोर्ट नीचे दी गई है:–

1. निदेशक मंडल

कंपनी संघ अनुच्छेद के अंतर्नियम की अनुच्छेद 81 के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या 3 से कम और 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड के के संदर्भ में, कंपनी का एक स्वतंत्र बोर्ड होगा जिसमें अध्यक्ष के रूप में सीएमडी एनएसआईसी, दो सरकारी नामित निदेशक, एक एनएसआईसी नामित निदेशक और एक पेशेवर सीईओ होगा।

31 मार्च, 2022 को बोर्ड में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

क्र. सं.	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	निदेशक का नाम	पदनाम
1	03165567	श्रीमती अल्का नांगिया अरोड़ा	अध्यक्ष
2	07669981	श्री राजीब कुमार सेन	निदेशक
3	06789077	श्री अतीश कुमार सिंह	निदेशक
4	08535482	श्री गौरांग दीक्षित	निदेशक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान और अब तक, निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:–

क) श्री गौरांग दीक्षित को 1 अगस्त, 2022 से कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

ख) 8 जुलाई, 2022 को डॉ. इशिता गांगुली त्रिपाठी को श्री राजीव कुमार सेन के स्थान पर एनवीसीएफएल के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक में से एक के रूप में नियुक्त किया गया है।

ग) 8 जुलाई 2022 को श्री राजीब कुमार सेन ने एनवीसीएफएल के बोर्ड में निदेशक का पद छोड़ दिया।

घ) 23 सितंबर 2021 को श्री विजयेंद्र ने एनवीसीएफएल के अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ दिया।

ङ) 23 सितंबर 2022 को श्रीमती अलका नांगिया अरोड़ा को कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने 20 जून, 2022 तक एनवीसीएफएल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है।

च) 20 जून, 2022 को श्री. पी. उदयकुमार को कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि, अर्थात् 31 जुलाई, 2022 तक एनवीसीएफएल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है।

छ) श्री सरवण कुमार अनणथन को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 19 अक्टूबर, 2022 से वह कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं।

सभी निदेशकों को कंपनी से कोई भी पारिश्रमिक पाने का अधिकार नहीं हैं, क्योंकि वे धारक कंपनी में अपने पद के अनुसार निदेशक के पद को सुशोभित कर रहे हैं और/या फिर उन्हें एमएसएमई मंत्रालय द्वारा नामित किया गया है।

2. बोर्ड के बैठकों की संख्या, बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की छह (6) बैठकें आयोजित की गईं। i) 28 जून, 2021, ii) 19 अगस्त, 2021, iii) 23 सितंबर, 2021, iv) 28 अक्टूबर, 2021, v) 22 नवंबर, 2021 और vi) 11 मार्च, 2022.

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति और निदेशकों द्वारा आयोजित अन्य निदेशकों की संख्या का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	बोर्ड बैठक			31 मार्च, 2022 तक अन्य निदेशकों की संख्या (एनवीसीएफएल के अतिरिक्त)
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	बोर्ड की बैठकों की संख्या जिसमें भाग लिया गया	26/11/2021 को आयोजित एजीएम में उपस्थिति	
1.	श्री विजयेंद्र, अध्यक्ष (23.09.2021 तक)	2	2	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	श्रीमती अल्का नांगिया अरोड़ा, अध्यक्ष (23.09.2021 से प्रभावी)	4	4	हाँ	2
3.	श्री राजीब कुमार सेन, निदेशक	6	5	हाँ	1
4.	श्री अतीश कुमार सिंह, निदेशक	6	6	नहीं	–
5.	श्री गौरांग दीक्षित, निदेशक	6	6	हाँ	1

3. लेखा परीक्षा समिति की बैठक

यह कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी मापदंड के अंतर्गत नहीं आती है, इसके लिए एक लेखा परीक्षा समिति के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है।

4. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

चूंकि, कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी मापदंड के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व ("सीएसआर") समिति का गठन करने की आवश्यकता नहीं है।

5. संबंधित पक्षकारों के साथ अनुबंधों और व्यवस्थाओं का विवरण

वित्तीय वर्ष के दौरान, संबंधित पक्षों के साथ व्यवस्थाएँ/लेन–देन व्यापार के सामान्य क्रम में और आमने–सामने के आधार पर थे। कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार निर्धारित प्रपत्र एओसी–2 में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) में संदर्भित संबंधित पक्ष के लेनदेनों और अनुबंधों या व्यवस्थाओं के प्रकटीकरण बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

6. कारपोरेट सुशासन संबंधी सरकारी उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुपालन के विवरण

केंद्र सरकारी क्षेत्र उद्यमों के लिए कारपोरेट सुशासन संबंधी सरकारी उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं का कंपनी द्वारा विधिवत पालन किया गया है। इस बारे में मैसर्स कुमार वाधवा एण्ड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र इस रिपोर्ट के साथ **"अनुबंध –I"** के रूप में संलग्न है, जिसमें कारपोरेट सुशासन संबंधी सरकारी उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अधीन निर्धारित शर्तों के अनुपालन की पुष्टि की गई है।

7. कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ

इस रिपोर्ट में प्रकटीकरण यदि कोई हो के अलावा, कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले ऐसे कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं, जो कंपनी के उस वित्तीय वर्ष के अंत, जिनसे से वित्तीय विवरण संबंधित हैं और जिस तारीख की यह रिपोर्ट है, के बीच हुई हों।

ह./–
(गौरांग दीक्षित)
अध्यक्ष
डीआईएन : 08535482

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 16 दिसंबर, 2022

कॉरपोरेट सुशासन अनुपालन प्रमाण-पत्र

सेवा में,

सदस्यगण

एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड

रजि. पताः एनएसआईसी ओखला इंडस्ट्रीयल एस्टेट फेज–III

नई दिल्ली–110020

हमने, भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए केंद्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज) के लिए कॉरपोरेट सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों में उल्लिखित, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के संबंध में एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड, सीआईएनः U65990DL2020GOI368828 के कॉरपोरेट सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा प्रबंधकवर्ग द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उक्त दिशानिर्देशों में उल्लिखित कॉरपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

कॉरपोरेट सुशासन प्रणाली की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच, भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय, सरकारी उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए केंद्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉरपोरेट सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों में उल्लिखित कॉरपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकृत प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करने तक सीमित थी। यह न तो कंपनी के वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा है और न ही इन पर राय की कोई अभिव्यक्ति।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन, न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में या उस दक्षता या प्रभावकारिता के बारे में कोई आश्वासन है, जिससे प्रबंधक वर्ग ने कंपनी के कारोबार का संचालन किया है।

कृते कुमार वाधवा एण्ड कंपनी
कंपनी सचिव

ह./–
(संजय कुमार)
प्रबंधन साझेदार
सदस्यता सं.: 9211
सी.पी. सं.: 7027
यूडीआईएनः एफ009211डी000955585

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 12.09.2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्य

एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने, **एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड** ('कंपनी') के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2022 को यथास्थिति तुलन–पत्र और उसी तिथि को समाप्त लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन विवरण और नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ और ऐसी अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं। ('वित्तीय विवरण')।

हमारे अभिमत में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त उक्त वित्तीय विवरण, यथा अपेक्षित तरीके से, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित सूचना देते हैं और 31 मार्च, 2022 को यथास्थिति निगम के कारोबार की, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, सहित इसकी हानियों इक्विटी में परिवर्तन तथा इसके नकदी प्रवाह की, भारत में आमतौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखाकंन मानकों के अनुरूप सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

मूल अभिमत

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानक (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ में वर्णित हैं। हम, नैतिकता अपेक्षाओं, जो अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से सुसंगत हैं, के साथ–साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई नैतिकता संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और नैतिकता संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं। हम विश्वास करते हैं कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किया है, वह हमारी मूल अभिमत उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित है।

महत्वपूर्ण विषय

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणी–27 की ओर भी ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें कोविड–19 महामारी की स्थिति से संबंधित स्थितियों के कारण वित्तीय प्रभाव के प्रबंधन के आंकलन और अनिश्चितताएँ स्पष्ट की गई हैं जिसके लिए उत्तरवर्तीय अवधि के प्रभाव के निश्चित आंकलन उन परिस्थितियों पर अत्याधिक निर्भर हैं जब वे उत्पन्न होती हैं।

हम, वित्तीय विवरणों पर नोट 29 की ओर भी ध्यान आकर्षित करते हैं, जो एक एआईएफ योजना के रूप में एसआरआई निधि की स्थापना के संबंध में तथ्यों की व्याख्या करता है, जो कंपनी द्वारा शुरू की गई है और एक अलग उपक्रम है और वित्तीय विवरणों में वर्णित राशि की भी व्याख्या करती है जो संबंधित अंशदाताओं द्वारा एसआरआई निधि में अंशदान के रूप में प्राप्त की गई थी, लेकिन ऐसी राशि जो कंपनी के बैंक खाते में प्राप्त हुई थी।

उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारा अभिमत सीमित नहीं है।

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अलावा सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में, बोर्ड रिपोर्ट के अनुबंधों सहित बोर्ड रिपोर्ट में शामिल की गई सूचना शामिल है परंतु इसमें वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य सूचना शामिल नहीं की गई है और हम उस पर किसी भी रूप में कोई आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी, ऊपर पहचान की गई अन्य सूचना को पढ़ना है और ऐसा करने में, यह विचार करना कि क्या अन्य सूचना एकल अकेले वित्तीय विवरणों के या लेखापरीक्षा में प्राप्त की गई हमारी जानकारी के साथ सारवान रूप से असंगत है या अन्यथा सारवान रूप से गलत विवरण देने के रूप में प्रतीत होती है। यदि जो कार्य हमने किया है, यदि उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष देते हैं कि इस अन्य सूचना का कोई सारवान मिथ्या विवरण है तो हमारे लिए उस तथ्य की सूचना देना आवश्यक है। इस संबंध में हमें कुछ भी सूचित नहीं करना है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ

ये वित्तीय विवरण, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकंन मानकों सहित भारत में आमतौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य–निष्पादन, की सही और सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित

मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमिताओं का पता लगाने और उनकी रोकथाम के लिए, समुचित लेखांकन नीतियों के चयन और अनुप्रयोग ऐसे निर्णय लेने और अनुमान लगाने, जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हों, ऐसे उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिज़ाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण, जो वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए सुसंगत लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और परिपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रचालरत हों, जो सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हों और सारवान मिथ्याकथन, चाहे धोखाधड़ी के कारण या गलती के कारण, से मुक्त हों, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड का रखरखाव भी शामिल है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन एक चलते रहने वाले प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखे जाने की कंपनी की योग्यता का मूल्यांकन करने, चलते रहने वाले प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण, जैसा लागू हो और लेखांकन के चलते रहने वाले आधार का उपयोग करने, जब तक प्रबंधन के परिसमापन करने की या प्रचालन बंद करने की मंशा न रखे या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य वास्तविक विकल्प न हो, के लिए भी जिम्मेदार है।

यह निदेशक मंडल, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ

हमारे उद्देश्य, इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या पूरे वित्तीय विवरण, सारवान मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या गलती के कारण और लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन, आश्वासन का एक उच्च स्तर है परंतु यह गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा, सदैव किसी सारवान मिथ्या कथन का पता लगा लेगी, जब यह मौजूद हो। मिथ्या कथन, धोखाधड़ी या गलती से उत्पन्न हो सकता है और उसे सारवान तभी माना जाता है यदि अलग–अलग या स्वीकृत रूप से उनसे, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक विषयों को प्रभावित करने की संभावना हो।

लेखांकन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय का उपयोग करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संदेह बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के सारवान मिथ्या कथन के जोखिमों की पहचान करना और उनका मूल्यांकन करना, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या गलती के कारण और, इन जोखिमों के प्रति लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार करना और लागू करना तथा ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना, जो हमारे अभिमत के लिए एक आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित है। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप किसी सारवान मिथ्या कथन का पता न लगाए जाने का जोखिम गलती के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम की तुलना में उच्चतर होता है, क्यों कि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूकें, मिथ्य निरूपण या आंतरिक नियंत्रणों का अधिक्रमण शामिल हो सकता है।
- ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार करने की दृष्टि से, जो परिस्थितियों में समुचित हों, लेखापरीक्षा से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण की समझबूझ प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम की धारा 143 (3)(i) के अंतर्गत, हम इस पर भी अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या निगम के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उन नियंत्रणों का प्रचालनरत प्रभावीपन मौजूद हैं।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के चल रहे प्रतिष्ठान आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह पता लगाना कि क्या घटनाओं या शर्तों से संबंधित कोई सारवान अनिश्चितता मौजूद है, जो चल रहे प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखे जाने की निगम की योग्यता पर महत्त्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सारवान अनिश्चितता मौजूद है तो हमारे लिए यह आवश्यक होगा कि हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में, वित्तीय विवरणों में संबंधित विगोपनों की ओर ध्यान आकर्षित करें या यदि ये प्रकटीकरण हमारा अभिमत संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएँ या स्थितियाँ निगम के लिए चल रहे प्रतिष्ठान के रूप में जारी न रहने का कारण बन सकती हैं।
- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण, संरचना और विषय–वस्तु का मूल्यांकन करना और क्या वित्तीय विवरण, किसी ऐसे तरीके से, जो उचित प्रस्तुतिकरण प्राप्त करता है, से अंतर्निहित लेन–देनों और घटनाओं को प्रदर्शित कर रहा है।

हम अन्य मामलों के साथ–साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्त्वपूर्ण कमी, जिसका पता हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान लगाते हैं, सहित सारवान लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में अभिशासन के प्रभार वाले व्यक्तियों के साथ पत्र–व्यवहार करते हैं।

हम अभिशासन के प्रभार वाले व्यक्तियों को एक विवरण भी उपलब्ध कराते हैं, जो हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ संकलित किया है और उनके साथ पत्र व्यवहार करने के लिए सभी संबंध और अन्य मामले, जो हमारी स्वतंत्रता के संबंध में तर्क संगत समझे जाते हैं और जहाँ लागू हों, संबंधित रक्षोपाय भी उपलब्ध कराते हैं।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. जैसाकि अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') द्वारा अपेक्षित है, हम उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक एक विवरण "अनुबंध–क" देते हैं।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम लागू सीमा तक यह सूचित करते हैं कि:

   (क) हमने वे सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे।

   (ख) हमारे अभिमत में कंपनी ने कानून द्वारा यथा अपेक्षित उचित लेखा–बहियाँ रखी गई हैं, जैसाकि लेखा–बहियों की जांच करने से हमें पता चला है।

   (ग) इस रिपोर्ट से संबंधित अन्य व्यापक आय सहित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण इक्विटी में परिवर्तन विवरण नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

   (घ) 'हमारे अभिमत में, वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इण्ड एएस), जैसा भी लागू हो, का अनुपालन करते हैं।

   (ङ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या सा. का. नि. (जीएसआर) 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, इस अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान इस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

   (च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों के प्रचालनात्मक प्रभावीपन के संबंध में अनुबंध–ख के रूप में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें;

   (छ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 के उपबंध, एक सरकारी कंपनी होने के कारण, इस कंपनी पर लागू नहीं होते।

   (ज) अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट के संबंध में, अनुबंध–ग में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें;

   (झ) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षकों) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे अभिमत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

i. कंपनी में कोई ऐसे लंबित मुकदमे नहीं है जिनका वित्तीय स्थिति पर प्रभाव होगा।

ii. कंपनी के पास व्युत्पत्ति संविदाओं सहित कोई ऐसी दीर्घावधि संविदा नहीं था, जिनके लिए कोई महत्त्वपूर्ण अनुमानित हानियाँ थी।

iii. कोई ऐसी राशियाँ नहीं थीं, जिन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

iv. कंपनी ने प्रतिवेदन अवधि के दौरान किसी लाभांश का भुगतान नहीं किया है अथवा घोषणा नहीं की है।

v. (क) प्रबंधन ने प्रतिवेदित किया है, कि अपने सर्वोत्तम संज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में, विदेशी संस्थाओं सहित ("मध्यवर्ती संस्थाएँ"), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में प्रलेखित किया गया हो या अन्यथा किसी भी फंड को अग्रिम तौर पर दिया या ऋण या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि से, या शेयर प्रीमियम, या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है, कि मध्यवर्ती संस्था:

   - 'प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं में ("अंतिम लाभार्थियों")

उधार देगा या निवेश करेगा; अथवा

- अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई प्रतिभूति प्रदान करेगा।

(ख) प्रबंधन ने प्रतिवेदित किया है, कि अपने सर्वोत्तम संज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("वित्त पोषक पार्टियां") शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में प्रलेखित किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनीः

- प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वित्त पोषक पार्टियों द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं में ("अंतिम लाभार्थियों") उधार देगा या निवेश करेगा; अथवा
- अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई प्रतिभूति प्रदान करेगा

(ग) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जैसा कि उन परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उपखंड (डी) (i) और (डी) (ii) के तहत अभ्यावेदन में शामिल किसी भी सामग्री व विषयवस्तु में कोई गलत या त्रुटिपूर्ण उल्लेख किया गया हो।

देवन्द्र कुमार जैन एण्ड एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 007799एन

ह./–
सीए डी.के. जैन
साझेदार
सदस्यता सं. 083417
यूडीआईएनः 22083417एएनएक्सवीओआई6264

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28/07/2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड के सदस्यों को हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित अनुबंध क

उपरोक्त वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 पर रिपोर्ट

(i) (क) (क) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण संबंधी मात्रात्मक विवरणों और अवस्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए समुचित प्रलेखों का अनुरक्षण किया है।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अमूर्त संपत्तियों का पूर्ण विवरण दर्शाते हुए समुचित प्रलेखों का अनुरक्षण किया है।

(ख) जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है, प्रबंधन द्वारा अपनाए गए सत्यापन के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार, अवधि के दौरान प्रबंधन द्वारा स्थिर परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया गया है, जो हमारे अभिमत में, उचित अंतरालों पर सभी स्थिर परिसंपत्तियों को वास्तविक सत्यापन उपलब्ध कराता है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार इस सत्यापन पर कोई सारवान विसंगति जानकारी में नहीं आई है।

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के स्वामित्व में कोई अचल संपत्ति नहीं है।

(घ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के प्रलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के प्रलेखों की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 और इसके अधीन बनाए गए नियम के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही प्रक्रियाधीन या लंबित नहीं है।

(ii) (क) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के व्यवसाय में कोई भौतिक माल–सूची शामिल नहीं है और तदनुसार आदेश के अनुच्छेद 3 (ii) (ए) में निर्दिष्ट आवश्यकताएं कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के प्रलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को वर्तमान संपत्तियों की प्रतिभूति सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (ii) (बी) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(iii) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के प्रलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारों या किसी अन्य पक्ष को कोई गारंटी या प्रतिभूति सुरक्षा प्रदान नहीं की है।

कंपनी ने एक निधि में निवेश किया है और ऐसी निधि को एक प्रतिभूति–रहित ऋण प्रदान किया है, जिसके संबंध में:

(क) हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने एसआरआई फंड को ऋण की प्रकृति में एक अग्रिम प्रदान किया है, जो कंपनी द्वारा स्थापित पहली एआईएफ योजना है तथा भारत सरकार के साथ–साथ कंपनी की धारिता/नियामक कंपनी (द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) एसआरआई फंड में योगदानकर्ता

के रूप में शामिल है। कंपनी ने एसआरआई फंड का एक अलग बैंक खाता खोलने के एकमात्र उद्देश्य के लिए वर्ष के दौरान एसआरआई फंड को रु. 1.25 लाख की अग्रिम राशि दी है, जहाँ इस तरह के फंड को जमा करना बैंक द्वारा निर्धारित एक पूर्व शर्त थी और इस तरह की शेष रु. 1.25 लाख की राशि बकाया थी। वर्ष के दौरान किसी भी अन्य पार्टी को कोई अन्य ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया गया है।

(ख) हमारे अभिमत में, कंपनी द्वारा एसआरआई फंड में किए गए निवेश और वर्ष के दौरान एसआरआई फंड को ऋण देने संबंधी नियम और शर्तें, प्रथम दृष्टया, कंपनी के हित के प्रतिकूल नहीं हैं।

(ग) कंपनी द्वारा दिए गए ऋण के संबंध में, मूलधन के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान की कोई विशिष्ट अनुसूची निर्धारित नहीं की गई है।

(घ) कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में, तुलन पत्रों की तिथि के अनुसार कोई अतिदेय राशि बकाया नहीं है।

(ङ) कंपनी द्वारा दिया गया कोई भी ऋण, जो वर्ष के दौरान देय हो गया है, का नवीनीकरण या विस्तार नहीं किया गया है, या उसी पार्टी को दिए गए मौजूदा ऋणों के अतिदेय को निपटाने के लिए कोई नए ऋण नहीं दिए गए हैं।

(च) जैसा कि ऊपर अनुच्छेद (iii) (ए) में उल्लिखित है, कंपनी ने एक अनुषंगी पार्टी, एसआरआई फंड को ऋण की प्रकृति में रु. 1.25 लाख का अग्रिम प्रदान किया है। संबंधित अनुषंगी पार्टी को इस तरह का अग्रिम, मांग पर चुकाने योग्य है और यह कंपनी द्वारा दिए गए कुल ऋण या अग्रिम के सौ प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी प्रमोटर को कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया गया है और ऐसी किसी भी पार्टी को कोई ऋण और अग्रिम नहीं दिया गया है जहाँ चुकौती की शर्तें या अवधि निर्दिष्ट नहीं है।

(iv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने ऋणों, निवेशों, गारंटियों और प्रतिभूतियों के संबंध में लागू होने की सीमा तक, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के उपबंधों का पालन किया है।

(v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 धारा 73 से 76 तक के उपबंधों और अन्य सुसंगत उपबंधों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथा उल्लिखित कोई जमा राशियाँ स्वीकार नहीं की हैं। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(v) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(vi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, केन्द्र सरकार ने, कंपनी द्वारा किए गए क्रियाकलापों में से किसी क्रियाकलाप के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप–धारा (1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों का रखरखाव विनिर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(vi) लागू नहीं है।

(vii) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकार्डों को हमारी जांच के आधार पर, आय कर और अन्य सारवान सांविधिक देय धनराशियों सहित अवविवादित सांविधिक देय धनराशियों के संबंध में लेखा बहियों में काटी गई/उपर्जित धनराशियाँ आमतौर पर कंपनी द्वारा समूचित प्राधिकरणों के पास नियमित रूप से जमा की गई हैं।

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, 31 मार्च, 2022 को यथास्थिति कोई अविवादित भुगतानयोग्य धनराशियाँ, भुगतान योग्य होने की तारीख से 6 महीने से अधिक की अवधि तक बकाया नहीं थी।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऐसे आयकर, बिक्रीकर, वस्तु एवं सेवाकर और उप–कर सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और मूल्य वृद्धित कर कोई देय धनराशि नहीं है, जो किसी विवाद के कारण समुचित प्राधिकरणों के पास जमा नहीं की गई हैं।

(viii) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के प्रलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने आय कर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में किसी भी लेनदेन को वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पण या खुलासा नहीं किया है, जो पहले खाता बहियों में आय के रूप में दर्ज नहीं किया गया था।

(ix) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसारः

(क) कंपनी ने किसी भी ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(ix)(ए) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान, या सरकार, या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर या इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरुआत में कोई बकाया सावधि ऋण नहीं है और इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(ix)(सी) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(घ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, अल्पावधि के आधार पर जुटाई गई धनराशि का, प्रथम दृष्टया तौर पर, कंपनी द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए, वर्ष के दौरान उपयोग नहीं किया गया है।

(ङ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, कंपनी ने सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई, फर्म या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।

(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(एफ) पर रिपोर्टिंग कंपनी लागू नहीं है।

(x) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने इस अवधि के दौरान सार्वजनिक प्रस्ताव या अगला सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण निवेशों सहित) आरंभ करके कोई धनराशि नहीं जुटाई। तदनुसार आदेश का पैरा 3(x)(ए) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के प्रलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने इस अवधि के दौरान शेयरों का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी तौर पर नियोजन या पूर्ण या आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(x)(बी) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xi) (क) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस अवधि के दौरान कंपनी पर या कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई अथवा प्रतिवेदित नहीं की गई है।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 13 के अधीन निर्दिष्ट प्रपत्र एडीटी–4 में केंद्र सरकार कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

(ग) जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई मुखबिर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xii) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(xiii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी पर लागू होने वाली सीमा तक अधिनियम की धारा 177 और 188 का अनुपालन किया है और ऐसे लेनदेनों के ब्यौरे, लागू होने वाले लेखाकंन मानकों द्वारा यथा अपेक्षित, वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए हैं।

(xiv) (क) हमारे अभिमत में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नहीं है और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली रखे जाने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) हमारे अभिमत में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास लेखापरीक्षा की जाने वाली अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली मौजूद नहीं थी और तदनुसार किसी आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार नहीं किया गया है।

(xv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 द्वारा कवर किए गए निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्ति के साथ कोई गैर–नकदी लेनदेन नहीं किए हैं।

(xvi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–(आईए) के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से एक वैकल्पिक

निवेश कोष (एआईएफ) की स्थापना के लिए प्रमाण पत्र दिनांक 1 सितंबर 2021 के माध्यम से आवश्यक नियामक अनुमोदन प्राप्त कर लिया है और मास्टर निर्देश – आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधानों से छूट के अनुसार, जैसा कि समय–समय पर अद्यतन किया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने विशेष रूप से (एआईएफ) को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकरण से छूट दी है। तदनुसार, अनुच्छेद 3 (xvi) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xvii) कंपनी को चालू वित्त वर्ष में कोई नकद घाटा नहीं हुआ है। वित्तीय विवरणों के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी को रु. 61.09 लाख का नकद नुकसान हुआ था।

(xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

(xix) वित्तीय अनुपात, काल प्रभावान और वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रापण तथा वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तारीखों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी व निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी के अनुसार और समर्थक साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तिथि के अनुसार कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है और जो यह दर्शाता हो कि कंपनी तुलन पत्रों की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है तथा जब कभी वे तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हो जाते हैं। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के संबंध में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे उल्लेख करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं, कि तुलन पत्रों की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा, जब कभी भी वे देय हों, अदायगी कर दी जाएगी।

(xx) हमारे अभिमत में और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(xx) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

देवन्द्र कुमार जैन एण्ड एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 007799एन

ह./–
सीए डी.के. जैन
साझेदार
सदस्यता सं. 083417
यूडीआईएनः 22083417एएनएक्सवीओआई6264

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28/07/2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए एनएसआईसी वेंचर कैपीटल लिमिटेड के सदस्यों को हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित अनुबंध ख

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2022 तक "कंपनी" की स्थिति के अनुसार एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतारिक वित्तीय नियंत्रणों रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उस तारीख को समाप्त वर्ष के कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ मिलाकर लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में प्रबंधक–वर्ग की जिम्मेदारी

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा संबंधी दिशा–निर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए कंपनी का प्रबंधक–वर्ग जिम्मेदार होता है। इस जिम्मेदारी में ऐसा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, लागू करना और बनाए रखना भी शामिल है जो इसके कारोबार का विधिवत और प्रभावी रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहा हो। इसमें निगम की नीतियों, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, कपट और त्रुटि का निवारण तथा पता लगाना, लेखाकरण अभिलेखों की यथार्थता और पूर्णता तथा अधिनियम के अधीन अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित कंपनी के आंतारिक वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पणी ("मार्गदर्शक टिप्पणी") तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा, दोनों पर प्रयोज्य सीमा तक लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित माने जाने वाले भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की है। इन मानकों और मार्गदर्शक टिप्पणी द्वारा यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा का नियोजन इस प्रकार करें, जिनसे यह उपयुक्त आश्वासन प्राप्त हो कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण स्थापित किए गए हैं और उनका संचालन किया गया एवं क्या ऐसे नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उसकी प्रचालन प्रभावोत्पादकता के बारे में लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएँ अपनाना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करने, जोखिम, जिनसे महत्त्वपूर्ण हानि होती है, का निर्धारण तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय प्रणाली की प्रचालन प्रभावोत्पादकता की जांच तथा मूल्यांकन एवं निरूपण शामिल है। चयन की प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षणों के निर्णयों पर आधारित होती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों की महत्त्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी हो या त्रुटि हो, के जोखिमों का निर्धारण भी शामिल करना है।

हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त किया है, वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की हमारी लेखापरीक्षा की अर्हक मूल अभिमत उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन देने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए बनाई गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) अभिलेखों को उचित विवरणों, यथार्थता से बनाए रखने से संबंधित हों और जिनमें निगम की परिसंपत्तियों के लेन–देन या निपटान को सही तरीके से दर्शाया गया हो, (2) इस संबंध में उचित आश्वासन दे कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक लेन–देनों को दर्ज किया गया है और कंपनी की प्राप्तियों और व्यय को निगम के प्रबंधक वर्ग और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किया जाता है और (3) अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग

या निगम की परिसंपत्तियों के निपटान का निवारण करने या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन देता है, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएँ

प्रबंधन की मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रण अधिभावी करने सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाओं से त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्त्वपूर्ण मिथ्या कथन किया जा सकता हो और जिसका पता नहीं लग पाया हो, शामिल है। इसके अलावा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर किसी मूल्यांकन को भविष्य में दर्शाना, जिससे जोखिम हो सकता है और जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में बदली हुई स्थितियों में अपर्याप्त हो सकता है या जिनसे नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा में गिरावट आ सकती हो।

अभिमत

हमारे अभिमत में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों हेतु वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, 31 मार्च 2022 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे और जो इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर वित्तीय प्रतिवेदन हेतु मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरण मानदंड के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण पर आधारित हैं।

देवन्द्र कुमार जैन एण्ड एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 007799एन

ह./–
सीए डी.के. जैन
साझेदार
सदस्यता सं. 083417
यूडीआईएनः 22083417एएनएक्सवीओआई6264

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28/07/2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए एनएसआईसी वेंचर कैपीटल लिमिटेड के सदस्यों को हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित अनुबंध ग

31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर रिपोर्ट।

क्र. सं.	निर्देश	उत्तर
I	क्या कंपनी में सभी लेखांकन लेन–देन आईटी प्रणाली के जरिए प्रोसेस करने की प्रणाली विद्यमान है? यदि हाँ तो वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हैं, के साथ–साथ लेखाओं के एकीकरण पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन–देनों की प्रसंस्करण के प्रभावों का उल्लेख किया जाए।	हाँ, कंपनी में सभी लेखांकन लेन–देन आईटी प्रणाली के जरिए प्रोसेस करने के लिए प्रणाली विद्यमान है। कंपनी लेखांकन के लिए टेली, सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार आईटी प्रणाली के बाहर कोई लेखांकन लेन–देन प्रोसेस नहीं किया गया है/ना ही बाहर लेकर गए हैं।
II	क्या ऋण की अदायगी के लिए कंपनी की देयता के कारण, कंपनी को ऋणदाताओं द्वारा दिए गए कर्जों/ऋणों/ब्याज आदि की छूट/बट्टेखाते डालने के मामलों या मौजूद ऋण की कोई पुनर्संरचना की गई है ? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर किसी मौजूदा ऋण या कंपनी ने इस अवधि के दौरान ऋण दाताओं से कोई ऋण स्वीकार नहीं किया है।
III	क्या केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों से विशिष्ट स्कीमों के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों को उचित ढंग से लेखे में लिया गया है/शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार उनका उपयोग किया गया है? विपथन के मामलों की सूची दें।	हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और प्रलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को 12 अक्टूबर 2021 के योगदान समझौते के अनुसार, एसआरआई फंड में अपने योगदान के रूप में केंद्र सरकार से धनराशि प्राप्त हुई है। एसआरआई फंड की ओर से कंपनी द्वारा किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति को छोड़कर, इसका समुचित लेखा–जोखा रखा है और एक अलग बैंक खाते में रखा गया है तथा तुलन–पत्र की तिथि के अनुसार इसका उपयोग नहीं किया गया है।

देवन्द्र कुमार जैन एण्ड एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 007799एन

ह./–
सीए डी.के. जैन
साझेदार
सदस्यता सं. 083417
यूडीआईएन: 22083417एएनएक्सवीओआई6264

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28/07/2022

अनुपालन संबंधी प्रमाणपत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लेखाओं की लेखापरीक्षा की है और प्रमाणित किया जाता है कि हमने, हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/उप–निर्देशों का पालन किया है।

देवन्द्र कुमार जैन एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्याः 007799एन

ह./–
सीए डी.के. जैन
साझेदार
सदस्यता सं. 083417
यूडीआईएनः 22083417एएनएक्सवीओआई6264

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28/07/2022

टिप्पणियाँ, जो 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

नोट–1: कॉरपोरेट सूचना एवं लेखांकन का आधार

क. कंपनी सूचना

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड ('एनवीसीएफएल' या 'कंपनी'), एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, जो भारत में अवस्थित है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत 28 अगस्त, 2020 को निगमित की गई है। कंपनी भारत सरकार के एक उद्यम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ('एनएसआईसी'), के अंतर्गत एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट, फेस–III, नई दिल्ली–110020 (भारत) में स्थित है। दिनांक 1 सितंबर 2021 से, एनवीसीएफएल को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') के साथ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 ('विनियम') के तहत आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड ("योजना" या "निधि") नामक इसकी पहली योजना के लिए श्रेणी II वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में पंजीकृत किया गया और पंजीकरण संख्या IN/AIF2/21-22/0924 प्राप्त हुई है। इस योजना में भारत सरकार, एनएसआईसी और कंपनी इसके योगदानकर्ता हैं और इसे एक अलग 'एसोसिएशन ऑफ पर्सन' (व्यक्तियों का संघ) के रूप में माना गया है। इस योजना का उद्देश्य इक्विटी, अर्ध–इक्विटी और ऋण के माध्यम से एमएसएमई को विकास पूंजी के रूप में सहायता के प्रावधान के लिए संतति/अनुषंगी निधियों (डॉटर फंड) को वित्त पोषण सहायता प्रदान करना है।

ख. लेखांकन का आधार

I. अनुपालन कथन

कंपनी अधिनियम, 2013 ("एक्ट") के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हुए वित्तीय विवरण तैयार किया जाएगा। यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली 2015 और इस अधिनियम के अन्य संबन्धित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए भारतीय लेखाकरण मानकों का निर्धारण अधिनियम के अनुच्छेद 133 अंतर्गत किया गया है।

II. तैयार करने और प्रस्तुत करने का आधार

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण एक चल रहे प्रतिष्ठान के रूप में उपार्जित आधार पर और ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों के और वित्तीय देयताओं, जिन्हें सुसंगत भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत यथापेक्षित रिपोर्ट की प्रत्येक तिथि के अंत में उचित मूल्य पर मापा जाता है। इन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों / समय के लिए लगातार लागू किया गया है।

हालांकि, मास्टर निदेश – आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट के अनुसार कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकरण से छूट दी गई है, जैसा कि समय–समय पर अद्यतन किया जाता है, दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए अपने वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III की डिवीजन III का पालन किया है। डिवीजन III एनबीएफसी पर लागू होता है जैसा कि कंपनियों (भारतीय लेखा मानक नियम) 2015 में परिभाषित किया गया है, जिसमें उद्यम पूंजी निधि कंपनियाँ शामिल हैं और कंपनी को एआईएफ की स्थापना के विशिष्ट उद्देश्य के साथ एक उद्यम पूंजी निधि कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था और दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के दौरान सेबी से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में था। दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी को विधिवत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है और यह एक स्वीकृत/मान्य एआईएफ है।

III. निर्णयों और अनुमानों का उपयोग

कम्पनी की लेखांकन नीतियों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे अनुमान लगाएगा और कल्पना करेगा, जो वित्तीय विवरणों की तिथि को यथास्थिति आकस्मिक देयताओं के विगोपन और परिसंपत्तियों

तथा देयताओं की रिपोर्ट की गई धनराशियों, रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व और खर्चों की धनराशि तथा वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों को प्रभावित करेगा। हालांकि ये अनुमान प्रबंधन की वर्तमान कार्यक्रमों और कार्यवाहियों की सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित हैं, परंतु वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में किए गए किसी संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें ये परिणाम स्पष्ट हो जाएँ।

IV. महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान और प्रबंधन निर्णय

लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग में, कम्पनी के प्रबंधन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह परिसंपत्तियों और देयताओं की लागत धनराशियों के बारे में निर्णय करे, अनुमान लगाए और कल्पना करें, जो अन्य स्रोतों से आसानी से स्पष्ट न हो सके। ये अनुमान और कल्पनाएँ ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित है, जिन्हें सुसंगत माना जाता है। लेखांकन नीतियाँ, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई धनराशियों पर सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, लागू करने में उपयोग किए गए अनुमान, अनिश्चितता और महत्त्वपूर्ण निर्णयों के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में सूचना नीचे दी गई है:

- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) अमूर्त परिसंपत्तियाँ: परिसंपत्तियों के स्वरूप, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोग, परिसंपत्ति की परिचालनात्मक स्थिति, प्रतिस्थापन के पिछले इतिवृत्त और अनुरक्षण सहायता को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की गई प्रत्येक तिथि को पीपीईज और अमूर्त परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्य और अनुमानित उपयोगी जीवनकाल का मूल्यांकन किया जाता है। समीक्षा करने पर प्रबंधन, मूल्यहास/ मौद्रिकीकरण के परिकलन के लिए दिया गया उपयोगी जीवनकाल और अवशिष्ट मूल्य स्वीकार करता है।

- आय करः भुगतान की जाने वाली प्रत्याशित धनराशि / अनिश्चित कर स्थितियों के लिए वसूल की गई धनराशि सहित आय कर के लिए प्रावधान निर्धारित करने में अनुमान शामिल होते हैं। स्थगित कर परिसंपत्ति का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्याशित भावी लाभप्रदाता के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं।

- वित्तीय परिसंपत्तियों की हानिः व्यापार प्राप्य और ऋण और अग्रिम सहित वित्तीय साधनों की हानि का मूल्यांकन, प्रत्याशित हानि और चूक के जोखिम के बारे में लगाए गए अनुमानों के आधार पर किया जाता है। हानिकरण के परिकलन के लिए इनपुट का चयन, अनुमान, पिछले इतिवृत्त, बाजार स्थितियों और रिपोर्ट की जाने वाली प्रत्येक तिथि के अंत में भावी अनुमानों पर विचार करते हुए प्रबंधन के निर्णय पर आधारित है।

- गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों का हानिकरण (पीपीई): गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों के हानिकरण का मूल्यांकन उन परिसंपत्तियों की वसूलीयोग्य धनराशि के अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वसूलीयोग्य धनराशि का परिकलन करने में उपयोग किए गए अनुमान प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होते हैं।

- सुनिश्चित लाभ योजनाएं और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभः वर्तमान में, होल्डिंग कम्पनी एनएसआईसी से प्रतिनियुक्ति पर आए दो कर्मचारियों के अलावा, ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जो कम्पनी के पे रोल पर हो और सभी सेवानिवृत्ति लाभ एनएसआईसी द्वारा प्रदान किए जाते हैं और प्रतिपूर्ति आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किए जाते हैं।

- वित्तीय विलेखों का उचित मूल्य मापनः जब वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्यों के आधार पर नहीं मापे जा सकते तो ऐसी स्थिति में प्रबंधन इसके उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए अन्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है।

ये तकनीकें लागू करने के लिए इनपुट, जहां कही संभव हो, अवलोकनयोग्य बाजारों से प्राप्त किए जाते हैं, परंतु जहाँ ऐसा करना व्यवहार्य नहीं है, उचित मूल्य स्थापित करने में निर्णय का उपयोग किया जाता है। इन निर्णयों में परिशोधन जोखिम, क्रेडिट जोखिम और सचलता जैसे इनपुटों पर विचार शामिल हैं।

- प्रावधान और आकस्मिकताएँ: अन्य प्रावधानों की मान्यता और मापन, संसाधनों के बहिर्वाह की संभाव्यता के मूल्यांकन और रिपोर्टिंग की तिथि को ज्ञात परिस्थितियों तथा पिछले अनुभव पर आधारित होते हैं। इसलिए, भविष्य की किसी तिथि को संसाधनों का वास्तविक बहिर्वाह, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानित आंकड़ों से भिन्न हो सकता है।

- निधि द्वारा व्यय की प्रतिपूर्ति: निधि द्वारा किए गए खर्चों हेतु निधि में से प्रतिपूर्ति की गई राशि, जो निधि की ओर से कंपनी द्वारा वहन की जाती है, निधि दस्तावेजों के अनुसार, निधि के व्यय के सापेक्ष उचित व्यय खाते की प्रस्तुति के 30 (तीस) कैलेंडर दिनों के भीतर, जो उपयुक्त चालान और/या रसीदों द्वारा समर्थित हो, एनवीसीएफएल की विधिवत प्रतिपूर्ति की जाती है और इसे कंपनी के बही खातों में समायोजित किया जाता है।

V. कार्यात्मक और प्रस्तुतिकरण मुद्रा

ये भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों, जो भारत की मुद्रा है और कम्पनी की कार्यात्मक मुद्रा है।

नोट–2: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने में लागू की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक साथ जो नीचे दिया गया है। वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत की गई सभी अवधियों के लिए निरंतर लागू किया गया है।

2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) – मूर्त पीपीईज

2.1.1 आरंभिक मान्यता और मापन

I. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मदों को आरंभतः लागत आधार पर मान्यता दी जाती है। उत्तरवर्ती मापन से संचित मूल्यास, पट्टा समाप्ति समायोजन और संचित हानिकरण हानियाँ, यदि कोई हैं। घटाकर निकाली गई लागत पर मापन किया जाता है। उक्त लागत में ऐसा व्यय शामिल है जो प्रत्यक्षतः परिसंपत्ति को स्थान तक लाने और इसके अभीष्ट उपयोग के लिए आवश्यक कार्य स्थिति में लाने के कारण हुआ है।

II. जब पीपीई की किसी मद के भागों का उपयोगी जीवनकाल भिन्न होता है तो उन्हें ऐसे संघटकों का पता लगाकर अलग से मान्यता जाती है।

III. उक्त लागत में ऐसा व्यय शामिल है जो प्रत्यक्षतः परिसंपत्ति को स्थान तक लाने और इसके अभीष्ट उपयोग के लिए आवश्यक कार्य स्थिति में लाने के कारण हुआ है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की विनिर्दिष्ट मद के प्रत्यक्षतः कारण उधार लेने की लागतें (उधार ली गई निधियों, यदि कोई हो, के अस्थायी निवेश पर आय घटाने के पश्चात) उन मदों के प्रति पूंजीकृत की जाती है।

2.1.2 उत्तरवर्ती लागतें

उत्तरवर्ती खर्च को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत धनराशि में वृद्धि के रूप में मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना हो कि लगाई गई लागत से प्राप्त होने वाले भावी आर्थिक लाभ उद्यम में प्राप्त होंगे और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकती है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी मद के प्रतिस्थापन भाग की लागत को उस मद की लागत धनराशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभावना हो कि उस भाग के अंदर शामिल भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त

होंगे और इसकी लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकती है। प्रतिस्थापित भाग की लागत धनराशि का विमान्यताकरण कर दिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की दिन–प्रतिदिन की सर्विसिंग की लागतों को लाभ या हुई हानि में मान्यता दी जाती है।

2.1.3 विमान्यताकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को विमान्यताकृत कर दिया जाता है, जब उनके उपयोग से या उनके निपटान पर किसी भावी आर्थिक लाभ की आशा न हो। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी मद के निपटान पर हुए लाभ और हानियाँ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत धनराशि के साथ निपटान से प्राप्त धनराशि की तुलना करके निर्धारित किए जाते हैं और इन्हें लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.1.4 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का हानिकरण

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को हानिकृत के रूप में माना जाता है, जब परिसंपत्तियों की रखाव लागत इसकी वसूलीयोग्य धनराशि से अधिक हो हानिकृत हानि को उस वर्ष में लाभ एवं हानि विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है जिस वर्ष में परिसंपत्ति की पहचान हानिकृत के रूप में की गई हो और संपत्ति की लागत धनराशि इसकी वसूलीयोग्य धनराशि से घटा दी गई हो, जब तक संबंधित परिसंपत्ति पुनर्मूल्यकृत धनराशि पर लाई गई हो, जब हानिकृत हानि को पुनर्मूल्यांकन कमी के रूप में माना गया हो। यदि ऐसा कोई संकेत मिलता है कि पहले मूल्यांकन किया गया हानिकरण हानि अब मौजूद नहीं है तो ऐसी स्थिति में वसूलीयोग्य धनराशि का पुनर्मूल्याकन किया जाता है और परिसंपत्ति को वसूलीयोग्य धनराशि के रूप मे दर्शाया जाता है।

2.1.5 मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास

I. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग ग में विनिर्दिष्ट उपयोगी जीवनकाल के अनुसार, मोबाइल फोन उपकरण को छोड़कर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है।

क्र. सं.	परिसंपत्तियों के स्वरूप	उपयोगी जीवन	दर	अवशिष्ट मूल्य
1	कंप्यूटर, लैपटाप और प्रोसेसिंग यूनिट्स	3 वर्ष	31.67%	मूल लागत का 5%
2	मोबाइल फोन उपकरण	3 वर्ष	33.33%	रु. 1/–

II. वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) से घटावों/अभिवृद्धियों पर मूल्यह्रास उस तिथि, जिसको परिसंपत्ति उपयोग/निपटान के लिए उपलब्ध है, से/तक यथा अनुपात आधार पर प्रभारित किया जाता है।

III. 0.10 लाख रूपये तक की लागत की परिसंपत्तियाँ, अवशिष्ट मूल्य के रूप में मूल लागत का 5% रखने के पश्चात खरीद के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित की जाती है, सिवाय मोबाइल फोन उपकरण के, जहाँ 1 रूपये को अवशिष्ट मूल्य के रूप में रखा जाता है।

IV. 0.10 लाख से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन उपकरण, अवशिष्ट मूल्य के रूप में 1/– रुपया रखने के पश्चात, उस वर्ष, जिसमें यह प्राप्त किया गया था, से आरंभ करके प्रबंधन के अनुसार उनके उपयोगी जीवन के अनुमान पर विचार करते हुए 3 वर्ष की अवधि में मूल्यह्रासित किया जाता है।

2.2 अमूर्त संपत्तियाँ

2.2.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

निगम द्वारा अर्जित की गई अमूर्त संपत्ति, जिनका सीमित उपयोगी जीवनकाल है, किसी भी इकाई द्वारा प्रतिपूर्ति की गई किसी भी लागत से कम के रूप में लागत के आधार पर मान्यता दी जाती हैं। बाद में माप लागत, कम संचित परिशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, के आधार पर किया जाता है। लागत में ऐसे कोई भी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार आकस्मिक व्यय भी शामिल है, जो संपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के

लिए आवश्यक है। इसके अलावा, यदि कंपनी द्वारा अमूर्त आस्तियों के विकास द्वारा खर्च की गई राशि की किसी भी इकाई द्वारा पूरी तरह से प्रतिपूर्ति की जाती है, तो अमूर्त परिसंपत्तियों को उसके अस्तित्व को दर्ज करने के लिए खातों की पुस्तकों में रु. 1 के नाममात्र मूल्य पर दर्ज किया जाता है।

2.2.2 अनुवर्ती लागतें

बाद के अनुवर्ती व्यय को परिसंपत्ति की वहन राशि में वृद्धि के रूप में माना जाता है, जब यह संभव हो कि भविष्य में होने वाली लागत से प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ उद्यम में प्रवाहित होंगे और वस्तु की लागत को उसके टिकाऊपन के आधार पर मापा जा सकता है।

2.2.3 विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियाँ

कंपनी द्वारा किए गए व्यय जो विशेष रूप से एक अमूर्त परिसंपत्ति के विकास के लिए समर्पित हों और यदि इसमें भारतीय लेखांकन मानक 38 का अनुपालन किया जाता है और विकास पूरा होने पर इनमें मान्यता और माप मानदंडों को पूरा करने की संभावना है तो इसे ''विकास के तहत अमूर्त संपत्ति'' के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। कंपनी ने एआईएफ के संचालन के लिए सेबी से एक नियामक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पर खर्च किया है और सभी प्रत्यक्ष रूप से समर्पित खर्च, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक लाभ की संभावना है, को पूंजीकृत किया गया है और विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के रूप में प्रकट किया गया है और ऐसी संपत्ति सेबी अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि से परिशोधित होगी। इसके अलावा, यदि कंपनी द्वारा किए गए किसी भी राशि की प्रतिपूर्ति किसी भी संस्था द्वारा की जाती है, तो विकास के तहत अमूर्त संपत्ति की लागत को खाता बहियों में प्रतिपूर्ति की गई राशि के साथ समायोजित किया जाता है।

2.2.4 अमान्य किया जाना

एक अमूर्त परिसंपत्ति को तब अमान्य कर दिया जाता है, जब उनके उपयोग या उनके निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है। अमूर्त संपत्ति की एक वस्तु के निपटान पर लाभ और हानि को अमूर्त परिसंपत्तियों की अग्रणी राशि के साथ निपटान से प्राप्त आय की तुलना करके निर्धारित किया जाता है और लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया जाता है।

2.3 राजस्व मान्यता

राजस्व प्राप्त किए गए और प्राप्तियोग्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है। आय/राजस्व की सभी मदें और व्यय प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिए जाते हैं जहाँ नीचे उल्लिखित वसूली के बारे में निश्चित हो:

2.3.1 ब्याज आय

सावधि जमा पर ब्याज आय समय के आधार पर, बकाया मूलधन और लागू प्रभावी ब्याज दर के संदर्भ में अर्जित की जाती है, यह वो दर है जिस पर प्रारम्भिक पहचान के बाद उस परिसंपत्ति की निवल अग्रणीत राशि पर वित्तीय आस्तियों के अपेक्षित जीवनकाल के माध्यम से अनुमानित भावी नकद प्राप्ति को सटीक रूप से छूट देती है।

2.3.2 प्रबंधन शुल्क

भारत सरकार द्वारा जारी परिचालन दिशा–निर्देशों और निधि के योगदानकर्ताओं के साथ हस्ताक्षरित योगदान समझौते के अनुसार, एनवीसीएफएल द्वारा एक निवेश प्रबंधन शुल्क ('प्रबंधन शुल्क') प्राप्त किया जा सकता है। योगदान समझौते में निर्दिष्ट प्रतिशत के रूप में एनवीसीएफएल द्वारा प्राप्य प्रबंधन शुल्क, वास्तव में निधि के निपटान में रखी गई राशि से है।

2.3.3 व्यय की प्रतिपूर्ति

ऐसी राशि जो एसआरआई फंड की ओर से कंपनी द्वारा खर्च की जाती है, निधि के दस्तावेजों के अनुसार निधि द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है और यह लाभ और हानि खाते में जमा की जाती है।

2.3.4 व्यय का आवंटन

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय प्रोद्भवन के आधार पर लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किए जाते हैं।

2.4 कर्मचारी लाभ

वर्तमान में, कम्पनी ने कोई भी कर्मचारी और कार्मिक नहीं रखा है, इसकी होल्डिंग कम्पनी एनएसआईसी से प्रतिनियुक्ति किए गए कर्मचारियों से आवश्यक कार्य करवाए जाते हैं। कम्पनी में प्रतिनियुक्ति किए गए कर्मचारियों की सैलरी, ग्रेच्युटी, दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य लाभ एनएसआईसी द्वारा प्रदान किए जाते हैं और कम्पनी द्वारा एनएसआईसी को वहनीय लागत की प्रतिपूर्ति की जाती है।

2.5 कराधान

अवधि के खर्चों में, चालू कर और आस्थापित कर शामिल होते हैं। कर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक, जिस सीमा तक यह अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, जहाँ कर को अन्य व्यापक आय या इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है।

2.5.1 वर्तमान कर

वर्तमान कर लागू होने वाली कर दरों और आय कर अधिनियम, 1961 तथा लागू होने वाले अन्य कर कानूनों के अनुसार यथानिर्धारित वर्ष के लिए करयोग्य आय पर भुगतानयोग्य कर है।

2.5.2 आस्थगित कर

आस्थगित कर को, वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देयताओं की रखाव धनराशियों के बीच अस्थायी अंतरों के संबंध में मान्यता दी जाती है और तदनुसार धनराशियों का उपयोग, कराधान उद्देश्य के लिए किया जाता है।

I. आस्थगित कर देयताओं को आमतौर पर, सभी करयोग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है।

II. आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आमतौर पर, केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जिस सीमा तक यह संभावना हो कि भावी करयोग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके प्रति परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

III. आस्थगित कर परिसंपत्तियों की रखाव धनराशि की समीक्षा, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और उस सीमा तक घटा दिया जाता है, जिस सीमा तक अब यह संभावना न हो कि संबंधित कर लाभ प्राप्त हो जाएंगे।

2.6 प्रति शेयर अर्जन

उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों से संबंधित शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या, साथ ही इक्विटी शेयरों की उस भारित औसत संख्या जो मूल कंपनी के इक्विटी शेयरों में सभी संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जाएगी, से विभाजित करके प्रति शेयर नकदी आय की गणना जाती।

2.7 नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी में, हस्तगत नकदी, हस्तगत चेक/ड्राफ्ट, बैंकों में मांग जमा राशियाँ आदि शामिल होती हैं। कम्पनी, नकदी समतुल्य को, सभी अल्पावधि शेषों (अर्जन की तिथि से तीन महीने या इससे कम की मूल परिपक्वता अवधि वाले), अत्याधिक अस्थिर निवेशों, जो नकदी की ज्ञात धनराशियों में तत्काल परिवर्तित हैं और जो मूल्य परिवर्तनों के नगण्य जोखिम के अधीन हों, के रूप में मानती है।

2.8 नकदी प्रवाह विवरण

"नकदी प्रवाह विवरण", भारतीय लेखांकन मानक–7 नकदी प्रवाह विवरण में यथाविनिर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करके, रिपोर्ट किए जाते हैं।

2.9 प्रावधान और आकस्मिक देयताएँ

2.9.1 प्रावधान

किसी प्रावधान को उस समय मान्यता दी जाती है, जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कम्पनी का कोई वर्तमान दायित्व (विधिक या रचनात्मक) हो, यह संभव है कि आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनो बहिर्वाह के लिए इस दायित्व का निपटान करना आवश्यक होगा और दायित्व की धनराशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इन अनुमानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए इन्हें नियोजित किया जाता है।

2.9.2 आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

I. एक आकस्मिक दायित्व एक संभावित दायित्व है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है जिसका अस्तित्व कंपनी के नियंत्रण अथवा किसी ऐसे वर्तमान दायित्व जिसका महत्व नहीं है, से परे भविष्य की एक या अधिक अनिश्चित घटनाओं अथवा घटना के बिना पुष्टि की जाएगी क्योंकि इस बात की संभावना नहीं है कि दायित्वों को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह (आउटफ्लो) की आवश्यकता होगी। आकस्मिक दायित्व भी अत्यंत दुर्लभ मामलों में उत्पन्न होता है, जहाँ ऐसी देयता होती है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे विश्वसनीय रूप से नहीं मापा जा सकता है। कंपनी आकस्मिक दायित्व को स्वीकार नहीं करती है, लेकिन वित्तीय स्थिति में इसके अस्तित्व का खुलासा करती है जब तक कि संसाधनों के बहिर्वाह की बहुत कम संभावना हो।

II. वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है। यदि आर्थिक लाभ का अंतर्वाह संभावित है, तो वित्तीय विवरणों में इसका खुलासा किया जाता है।

III. प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं, आकस्मिक परिसंपत्तियों और प्रतिबद्धताओं की समीक्षा की जाती है।

2.10 वित्तीय विलेख

वित्तीय विलेख, एक ऐसा अनुबंध है, जिससे किसी कम्पनी की वित्तीय संपत्ति और किसी अन्य कम्पनी की वित्तीय देयता या इक्विटी विलेख उत्पन्न होता है।

2.10.1 आरंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को आरंभ में उचित मूल्य पर मापा जाता है, सिवाय व्यापार प्राप्यों के मामले में, जिसमें इन्हें लेन–देन के मूल्य पर मापा जाता है। लेन–देन लागतें, जो प्रत्यक्ष वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं (लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्ति के अलावा) के अर्जन या निर्गमन के कारण होती हैं, आरंभिक मान्यता पर, वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं, जैसा भी उपयुक्त हो, के उचित मूल्य में जोड़ दी जाती हैं या उनमें से घटा दी जाती हैं। एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्ति के अर्जन के कारण प्रत्यक्षत लेन–देन लागतों को लाभ एवं हानि विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

2.10.2 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

I. उत्तरवर्ती मापन

वित्तीय संपत्तियों में नकद और नकद समकक्ष, नकद और नकद समकक्षों के अलावा बैंक शेष, ऋण और अग्रिम, प्राप्य निवेश और अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं हो आदि शामिल हैं। मापन, उस उद्देश्य, जिसके लिए ये परिसंपत्तियां अर्जित की गई थीं, पर निर्भर करते हुए आरंभिक मान्यता पर किसी परिसंपत्ति का वर्गीकरण निर्धारित करता है।

उत्तरवर्ती मापन के उद्देश्य के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियाँ, आरंभिक मान्यता पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत की जाती हैं:

- प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके परिशोधित लागत पर
- लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य (एफवीओसीआई) पर

एफवीटीपीएल पर परिसंपत्तियों के अलावा, अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियां, कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर हानिकरण हेतु समीक्षा के अधीन हैं।

क. परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ – कोई वित्तीय परिसंपत्ति, परिशोधित लागत पर मापी जाएगी, यदि निम्नलिखित शर्तों में से दोनों शर्तें पूरी की गई हों:

क) वित्तीय परिसंपत्ति किसी ऐसे व्यवसाय मॉडल के अंदर रखी गई हो, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह प्राप्त करने की दृष्टि से वित्तीय परिसंपत्तियाँ रखना है।

ख) वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तें, विशेष तिथि को ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न करना है, जो अनन्य रूप से मूलधन और मूलधन की बकाया धनराशि पर ब्याज के भुगतान हों।

आरंभिक मापन के पश्चात, ये वित्तीय परिसंपतियाँ बाद में प्रभावी व्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं। यह (ईआईआर) पद्धति किसी वित्तीय परिसंपति की लागत का परिकलन करने और सुसंगत अवधि में आप आबंटित करने की एक पद्धति है। प्रभावी ब्याज दर वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्ति के प्रत्याशित जीवनकाल के जरिए या जहाँ उपयुक्त हो आरंभिक मान्यता पर निवल रखरखाव धनराशि की अपेक्षाकृत अवधि की प्रत्याशित भावी नकदी प्राप्तियों (भुगतान की गई या प्राप्त की गई सभी शुल्कों सहित, जो प्रभावी ब्याज दर, लेन–देन लागते और अन्य प्रीमियमों और छूट का एक अभिन्न अंग है) में सही–सही बट्टाकृत करती है।

कंपनी की नकदी और नकदी समतुल्य, तथा नकदी से भिन्न दूसरे बैंक बैलेंस तथा नकदी समतुल्य वित्तीय विलेखों की इस श्रेणी में आते हैं।

ख. अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर (एफवीटीओसीआई) – कोई वित्तीय परिसंपति अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापी जाएगी, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी की गई हैं:

क) व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य, संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियाँ बेचकर प्राप्त किया गया हो।

ख) परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तें, विशिष्ट तिथि को ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न करना है, जो अनन्य रूप से मूलधन और मूलधन की बकाया धनराशि पर ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) हैं।

ग) उचित मूल्य संचालनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है और आरक्षित में संचित किया जाता है।

वर्तमान में, एफवीटीओसीआई वर्गीकृत करने के लिए कोई विलेख नहीं है।

ग. लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) – कोई वित्तीय परिसंपत्ति, एफवीटीपीएल पर मापी जाती है, जब तक यह लाभ एवं हानि विवरण में माने गए उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों के साथ परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई पर न मापी गई हो।

II. वित्तीय परिसंपत्तियों में हानिकरण

प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में कम्पनी साक्ष्य या सूचना, जो अनुचित लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध हो, के आधार पर हानिकरण के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह (लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर रखी गई वित्तीय

परिसंपत्तियों के अलावा) की जांच करता है। प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मूल्यांकन किया जाता है और हानिकरण क्षति को मान्यता दी जाती है, यदि वित्तीय परिसंपत्ति के क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है।

हानिकरण क्षतियों और प्रत्यावर्तनों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अंतर्गत हानिकरण मॉडल, वित्तीय विलेखों पर लागू होता है, जो नीचे सूचीबद्ध हैं:

- वित्तीय परिसंपत्तियां, जो ऋण विलेख हैं, परिशोधित लागत पर मापी जाती है। जैसे बैंक शेष।

III. वित्तीय परिसंपत्तियों की विमान्यताकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों का विमान्यताकरण तब किया जाता है जब वित्तीय परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाता है या परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकार अंतरित कर दिए जाते हैं।

पूरी तरह किसी वित्तीय परिसंपत्ति के विमान्यकरण पर परिसंपत्ति की रखाव धनराशि और प्राप्त हुए या प्राप्तियोग्य प्रतिफल तथा संचयी लाभ या हानि, जिसे अन्य व्यापक आय और इक्विटी में संचित के रूप में मान्यता दी गई थी, की रकम के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि ऐसे लाभ या हानि को उस वित्तीय परिसंपत्ति के निपटान पर लाभ एवं हानि विवरण में अन्यथा मान्यता दी गई हो।

2.10.3 वित्तीय देयताएं और इक्विटी विलेख

2.10.3.1 इक्विटी विलेख

इक्विटी विलेख ऐसा अनुबंध है जो किसी प्रतिष्ठान की सभी देनदारियों को हटाने के बाद उसकी परिसंपत्तियों में अवशिष्ट हित का प्रमाण देता है। प्रतिष्ठान द्वारा जारी किए गए इक्विटी विलेखों को प्राप्त आय पर, प्रत्यक्ष निर्गम लागतों के निवल पर मान्यता दी जाती है।

2.10.3.2 वित्तीय देयताएं

कम्पनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार तथा अन्य भुगतानयोग्य सांविधिक बकाया शामिल होता है। सभी वित्तीय देयताओं को आरंभतः उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

I. उत्तरवर्ती मापन

क. <u>परिशोधित लागतों पर वित्तीय देयताएँ–</u> आरंभिक मापन के पश्चात ये वित्तीय परिसंपत्तियाँ बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं। लाभ और हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जब ये देयताएं विमान्यताकृत कर दी गई हों और इन्हें ईआईआर परिशोधन की प्रक्रिया के जरिए मान्यता दी जाती है। परिशोधित लागत, किसी अधिग्रहण पर किसी बड़े या प्रीमियम और ऐसे शुल्कों या लागतों, जो ईआईआर का अभिन्न अंग है, को ध्यान में रखते हुए परिकलित की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ एवं हानि विवरण में वित्तपोषण लागत के रूप में शामिल किया जाता है। यह श्रेणी आमतौर पर उधारों भुगतानयोग्य राशियों और अन्य संविदात्मक देयताओं पर लागू होती है।

ख. लाभ एवं हानि विवरण के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में ट्रेडिंग के लिए रखी गई वित्तीय

देयताएं और लाभ एवं हानि विवरण के जरिए उचित मूल्य पर आरंभिक मान्यता पर नामजद वित्तीय देयताएं शामिल हैं। उन वित्तीय देयताओं, जिनका निपटान 12 महीनों के अंदर किया जाना हो, के अग्रेनीत मूल्य को उसका उचित मूल्य माना जाता है।

II. वित्तीय देयताओं का विमान्यकरण

किसी वित्तीय देयता को उस समय विमान्यताकृत किया जाता है जब देयता के अंतर्गत दायित्व का निर्वहन कर दिया गया हो या रद्द कर दिया गया हो या उसकी अवधि समाप्त हो गई हो। जब कोई वर्तमान वित्तीय देयता उत्तरवर्ती भिन्न शर्तों या किसी वर्तमान देयता की शर्तों पर उसी ऋणदाता से अन्य ऋणदाता द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाती है तो उसे बाद में संशोधित कर दिया जाता है और इस प्रकार की अदला–बदली या संशोधन को मूल देयता का विमान्यकरण और नई देयता की मान्यता माना जाता है। संबंधित रखाव धनराशियों में आए अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.11 पट्टे

पट्टाकर्ता के रूप में कम्पनी

वर्तमान में, कंपनी के साथ पट्टेदार के रूप में कोई लीज (ऑपरेटिंग या फाइनेंस लीज) करार नहीं किया गया है।

पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी ने लीज पर ऑफिस स्पेस ले लिया है जिसके लिए लीज रेंटल भुगतान किया जाता है। ये पट्टा व्यवस्था आमतौर पर पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर नवीकरणीय होती है। भारतीय लेखा मानक–116 द्वारा निर्धारित पट्टेदार द्वारा लेखांकन निम्नानुसार है:

कंपनी परिसंपत्तियों को उपयोग करने के अधिकार और सभी पट्टा व्यवस्थाओं के लिए तदनुरूप पट्टा देयता को स्वीकार करती है, जिसमें इन्हें पट्टे पर दिया जाता है। लेकिन बारह महीने या कम (अल्पकालिक पट्टों) की अवधि के संबंध में यह पट्टा स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि बिना लिखित करार और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे को स्वीकार नहीं किया जाता है।

अल्पकालिक पट्टे बारह महीने या बारह महीने से अधिक के पट्टा करारों से कम के संबंध में यह पट्टा करार लागू नहीं होता है, क्योंकि कुछ नोटिस अवधि देकर किसी भी समय इन्हें रद्द किया जा सकता है।

मानक में कम मूल्य की परिसंपत्तियों की कोई सीमा नहीं बताई गई है, लेकिन इसमें टेबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर / लैपटॉप और पीपीई की छोटी मदें आदि जैसी कम मूल्य की परिसंपत्तियाँ शामिल होती हैं।

अल्पकालिक और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के संबंध में कंपनी पट्टे की अदायगी को पट्टे की अवधि के संबंध में स्ट्रेट लाइन आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में स्वीकार करती है।

परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार को प्रारंभ में लागत पर स्वीकार किया जाता है, जिसमें पट्टा देयता की आरंभिक राशि शामिल होती है, जो ऐसे पट्टे भुगतान के संबंध में समायोजित की जाती है। जो किसी पट्टा प्रोत्साहन की प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत से कम और पट्टे की तिथि से या उससे पहले अदा की जाती है। इनका मापन बाद में ऐसी कम लागत पर किया जाता है, जिसमें संचित मूल्यह्रास/परिशोधन और हानियाँ शामिल होती हैं। परिसंपत्तियों के उपयोग का आधार भारतीय लेखांकन मानक 16–संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के अनुसार कम किया जाएगा।

शुरू में पट्टे के दायित्व को भावी पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतान पर बट्टा दिया जाता है। जिसमें पट्टे पर लागू ब्याज की दर या यदि ब्याज दर तत्काल सुनिश्चित न की जा सके, तो बढ़ोत्तरी वाली उधार की दर का प्रयोग करके तय की जाती है।

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

("एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी")
पंजीकृत कार्यालयः एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज–III, नई दिल्ली–110020
(सीआईएन नंबरः यू65990डीएल2020जीओआई368828)

31.03.2022 के यथास्थिति तुलन–पत्र

(लाख रू. में)

क्र. सं.	विवरण	नोट संख्या	31.03.2022 को यथास्थिति		31.03.2021 को यथास्थिति	
	परिसंपत्तियां					
I	**वित्तीय परिसंपत्तियां**					
(क)	नकदी एवं नकदी समतुल्य	3	329.48		10.50	
(ख)	नकदी और नकदी के अलावा बैंक शेष	4	120.00		50.00	
(ग)	ऋण और अग्रिम	5	1.25		–	
(घ)	प्राप्य	6				
	(I) व्यापार प्राप्तियां – बिल नहीं की गई		109.42		–	
(ङ)	निवेश	7	322.73		450.00	
(च)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8	7.38	890.26	9.69	520.19
II	**गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां**					
(क)	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	13क	11.80		–	
(ख)	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	9	0.68		1.00	
(ग)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	9ख	#		–	
(घ)	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	–	–		16.93	
(ङ)	अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां	10	0.83	13.31	4.90	22.83
	कुल परिसंपत्तियां			**903.57**		**543.02**
	देयताएं और इक्विटी					
	देयताएं					
I	**वित्तीय देयताएं**					
(क)	**देय**	11				
	(I) व्यापार देय					
	(i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		0.65		0.56	
	(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		77.76		–	
(ख)	अन्य वित्तीय देयताएं	12	43.08	121.49	1.61	2.17
II	**गैर–वित्तीय देयताएं**					
	(क) वर्तमान कर देयताएं (निवल)	13	52.91	52.91	1.95	1.95
	कुल देयताएं			**174.40**		**4.12**
III	**इक्विटी**					
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	14	600.00		600.00	
	(ख) अन्य इक्विटी	15	129.17	729.17	–61.10	538.90
	कुल इक्विटी			729.17		538.90
	कुल देयताएं और इक्विटी			**903.57**		**543.02**

रु. 1000 से कम के मूल्य को दर्शाता है

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं **1 से 30**

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
देवन्द्र कुमार जैन एण्ड एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं.: 007799एन

ह./–
डी के जैन
साझेदार
सदस्यता सं.: 083417
यूडीआईएन : 22083417एएनएक्सवीओआई6264
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.07.2022

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

ह./–
पी. उदयकुमार
अध्यक्ष
{ डीआईएन नं.: 03353625}

ह./–
गौरांग दीक्षित
निदेशक
{डीआईएन नं.: 08535482}

ह./–
पार्थ माझी
महाप्रबंधक (एफ एंड ए)

ह./–
राजेश मदान
विशेष कार्य अधिकारी

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
{सदस्यता सं.: ए22768}

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

("एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी")
पंजीकृत कार्यालयः एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज–III, नई दिल्ली–110020
(सीआईएन नंबरः यू65990डीएल2020जीओआई368828)

01.04.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के लिए लाभ और हानि का विवरण

(लाख रू. में)

क्रं. सं.	विवरण	नोट संख्या	31.03.2022 को यथास्थिति	31.03.2021 को यथास्थिति
I	**प्रचालनों से राजस्व**	**16**	**201.60**	–
	प्रचालनों से कुल राजस्व		**201.60**	–
II	अन्य आय	**17**	69.37	11.06
III	**कुल आय (I+II)**		**270.97**	**11.06**
IV	**व्यय**			
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**9 एवं 9क**	0.32	0.01
	अन्य व्यय	**18**	39.71	69.37
	कुल व्यय (IV)		**40.03**	**69.38**
V	**लाभ/(हानि) कर से पहले (III-IV)**		**230.94**	**–58.32**
VI	**कर व्यय**	**19**		
	वर्तमान कर		55.25	2.78
	आस्थगित कर		–11.80	–
	पूर्व वर्ष कर		–2.78	–
	कुल कर व्यय (VI)		**40.67**	**2.78**
VII	**वर्ष के लिए लाभ/(कर) (V-VI)**		**190.27**	**–61.10**
VIII	**अन्य व्यापक आय**			
क)	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		–	–
ख)	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि के लिए वर्गीकृत किया जाएगा		–	–
	कुल अन्य व्यापक आय (क + ख)		–	–
IX	**इस अवधि के लिए कुल व्यापक आय इस अवधि के लिए (VII + VIII) (सम्मिलित लाभ/हानि) और अन्य व्यापक आय**		**190.27**	**–61.10**
X	**प्रति इक्विटी शेयर आय/(हानि)**	**20**		
	मूल (रु.)		31.71	–10.18
	तनुकृत (रु.)		31.71	–10.18
संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं		**1 से 30**		

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
देवन्द्र कुमार जैन एण्ड एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं.: 007799एन

ह./–
डी के जैन
साझेदार
सदस्यता सं.: 083417
यूडीआईएन : 22083417एएनएक्सवीओआई6264
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.07.2022

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

ह./–
पी. उदयकुमार
अध्यक्ष
{ डीआईएन नं.: 03353625}

ह./–
गौरांग दीक्षित
निदेशक
{डीआईएन नं.: 08535482}

ह./–
पार्थ माझी
महाप्रबंधक (एफ एंड ए)

ह./–
राजेश मदान
विशेष कार्य अधिकारी

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
{सदस्यता सं.: ए22768}

टिप्पणी–3 : नकदी एवं नकदी समतुल्य

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2022 को यथास्थिति		31.03.2021 को यथास्थिति
बैंक में शेषः			
चालू खाते में	15,562.07		10.50
घटाएं: आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) निधि की ओर से प्राप्त राशि (टिप्पणी 29 देखें)	–15,234.37	327.70	–
हाथ में चेक, ड्राफ्ट		1.78	–
कुल		**329.48**	**10.50**

3.1 उपर्युक्त रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक रोकड़ और रोकड़ समतुल्यों के संदर्भ में प्रत्यावर्तन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

टिप्पणी–4 : नकदी और नकदी समतुल्यों के अलावा बैंक शेष

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2022 को यथास्थिति	31.03.2021 को यथास्थिति
सावधि जमा (परिपक्वता 03 महीने से अधिक परंतु 1 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए)	120.00	50.00
कुल	**120.00**	**50.00**

4.1 जमा खातों में बैंकों के साथ शेष राशि पर एक दिन से लेकर 365 दिनों तक की अवधि के लिए दैनिक बैंक जमा दरों के आधार पर निश्चित दर पर ब्याज मिलता है।

टिप्पणी–5 : ऋण और अग्रिम

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2022 को यथास्थिति	31.03.2021 को यथास्थिति
संबंधित पार्टियों / प्रमोटरों / निदेशकों / केएमपी के लिए		
आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड के लिए अग्रिम	1.25	–
कुल	**1.25**	**0.00**

5.1 ऋणों और अग्रिमों का मूल्यांकन परिशोधन लागत पर किया जाता है।

टिप्पणी–6 : प्राप्य

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2022 को यथास्थिति	31.03.2021 को यथास्थिति
व्यापार प्राप्य		
गैर–जमानती, विचारार्थ माल (देखें टिप्पणी 24)	109.42	–
कुल	**109.42**	**0.00**

6.1 व्यापार प्राप्य निधि से देय है जिसमें अध्यक्ष और निदेशक और सीईओ एक निवेश समिति के सदस्य हैं।

6.2 व्यापार प्राप्तियां काल प्रभावन अनुसूची

भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया

क्र. सं.	विवरण	6 महीने से कम	6 महीने – 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
1	अविवादित व्यापार प्राप्तियां – विचारार्थ माल	–	–	–	–	–	–
		(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)
2	अविवादित व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि	–	–	–	–	–	–
		(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)
3	अविवादित व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट क्षीणता	–	–	–	–	–	–
		(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)
4	विवादित व्यापार प्राप्तियां – विचारार्थ माल	–	–	–	–	–	–
		(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)
5	विवादित व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि	–	–	–	–	–	–
		(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)
6	विवादित व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट क्षीणता	–	–	–	–	–	–
		(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)
7	बिल नहीं किए गए व्यापार प्राप्तियां						109.42
							(–)
	कुल	–	–	–	–	–	**109.42**
		(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)

पिछली अवधि की राशियों को (कोष्ठक) में दर्शाया गया है

टिप्पणी–7 : निवेश

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2022 को यथास्थिति	31.03.2021 को यथास्थिति
परिशोधन लागत पर		
1 वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाली सावधि जमा	313.82	450.00
एसआरआई निधि में निवेश (टिप्पणी 24 और 29 देखें)	8.91	–
कुल	**322.73**	**450.00**

7.2 निधि दस्तावेज के अनुसार एआईएफ फंड में निवेश, जिसमें अध्यक्ष और निदेशक और सीईओ एक निवेश समिति के सदस्य हैं।

टिप्पणी–8 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2022 को यथास्थिति	31.03.2021 को यथास्थिति
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	7.38	9.69
कुल	**7.38**	**9.69**

टिप्पणी–9 : संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

(लाख रू. में)

विवरण	कंप्यूटर, लैपटॉप और प्रोसेसिंग यूनिट्स	मोबाइल	कुल
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए			
सकल वहन राशि			
आरंभिक शेष	0.87	0.14	1.01
वर्ष के दौरान परिवर्धन	–	–	–
वर्ष के दौरान जमा	–	–	–
31 मार्च, 2022 को यथास्थिति के अनुसार सकल वहन राशि	**0.87**	**0.14**	**1.01**

विवरण	कंप्यूटर, लैपटॉप और प्रोसेसिंग यूनिट्स	मोबाइल	कुल
संचित मूल्यह्रास और हानि			
आरंभिक शेष	–	0.01	0.01
वर्ष के लिए मूल्यह्रास व्यय	0.28	0.04	0.32
वर्ष के दौरान जमा	–	–	–
31 मार्च, 2022 को यथास्थिति के अनुसार संचित मूल्यह्रास और हानि	**0.28**	**0.05**	**0.33**
31 मार्च, 2022 को यथास्थिति के अनुसार कुल वहन राशि	**0.59**	**0.09**	**0.68**

(लाख रू. में)

विवरण	कंप्यूटर, लैपटॉप और प्रोसेसिंग यूनिट्स	मोबाइल	कुल
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए			
सकल वहन राशि			
आरंभिक शेष	–	–	–
परिवर्धन	0.87	0.14	1.01
वर्ष के दौरान जमा	–	–	–
31 मार्च, 2021 को यथास्थिति के अनुसार सकल वहन राशि	**0.87**	**0.14**	**1.01**
संचित मूल्यह्रास और हानि			
आरंभिक शेष	–	–	–
वर्ष के लिए मूल्यह्रास व्यय	#	0.01	0.01
वर्ष के दौरान जमा	–	–	–
31 मार्च, 2021 को यथास्थिति के अनुसार संचित मूल्यह्रास और हानि	**–**	**0.01**	**0.01**
31 मार्च, 2021 को यथास्थिति के अनुसार कुल वहन राशि	**0.87**	**0.13**	**1.00**

रु. 1000 से कम के मूल्य को दर्शाता है

टिप्पणी–9क : अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

(लाख रू. में)

विवरण	व्यवसाय लाइसेंस	कुल
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		
सकल वहन राशि		
आरंभिक शेष	–	–
वर्ष के दौरान परिवर्धन	#	#
वर्ष के दौरान जमा	–	–
31 मार्च, 2022 को यथास्थिति के अनुसार सकल वहन राशि	**#**	**#**
संचित मूल्यह्रास और हानि		
आरंभिक शेष	–	–
वर्ष के लिए मूल्यह्रास व्यय	–	–
वर्ष के दौरान जमा	–	–
31 मार्च, 2022 को यथास्थिति के अनुसार संचित मूल्यह्रास और हानि	**–**	**–**
31 मार्च, 2022 को यथास्थिति के अनुसार कुल वहन राशि	**#**	**#**

(लाख रू. में)

विवरण	व्यवसाय लाइसेंस	कुल
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		
सकल वहन राशि		
आरंभिक शेष	–	–
वर्ष के दौरान परिवर्धन	–	–
वर्ष के दौरान जमा	–	–
31 मार्च, 2021 को यथास्थिति के अनुसार सकल वहन राशि	–	–
संचित मूल्यह्रास और हानि		
आरंभिक शेष	–	–
वर्ष के लिए मूल्यह्रास व्यय	–	–
वर्ष के दौरान जमा	–	–
31 मार्च, 2021 को यथास्थिति के अनुसार संचित मूल्यह्रास और हानि	–	–
31 मार्च, 2021 को यथास्थिति के अनुसार कुल वहन राशि	–	–

रु. 1000 से कम के मूल्य को दर्शाता है

टिप्पणी–10 : अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2022 को यथास्थिति	31.03.2021 को यथास्थिति
सरकारी प्राधिकरणों में शेष	0.83	4.90
पूर्वदत्त व्यय	–	–
कुल	**0.83**	**4.90**

टिप्पणी–11 : देय

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2022 को यथास्थिति	31.03.2021 को यथास्थिति
व्यापार देय		
(i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की बकाया कुल देयताएं	0.65	0.56
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की बकाया कुल देयताएं	77.76	–
कुल	**78.41**	**0.56**

टिप्पणी: ऐसा कोई भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नहीं है, जिसके लिए कंपनी की बकाया राशि वर्ष के दौरान 45 दिनों से अधिक के लिए बकाया हो। ऐसी सूचना, जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकट करने की आवश्यकता हो, आपूर्तिकर्ता की स्थिति के बाप्रे में कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस तरह की पार्टियों की पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार की किसी भी पार्टी के भुगतान करने के लिए कोई भी ब्याज बकाया नहीं है। सांविधिक लेखा–परीक्षा शुल्क के प्रावधान के सूक्ष्म, और लघु उद्यम के बकाया के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि लेखा फर्म एक सूक्ष्म उद्यम हैं, तथापि, कोई भी बकाया देय नहीं है चूंकि वास्तविक भुगतान लेखा परीक्षा को पूरा होने पर चालान जारी करने पर देय हो जाएगा।

11.1 व्यापार देय काल प्रभावन

भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया

क्र.सं.	विवरण	6 महीने से कम	6 महीने – 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
1	एमएसएमई	– (0.10)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)	– **(0.10)**
2	अन्य	77.76 (–)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)	**77.76** **(–)**
3	विवादित देय बकाया – एमएसएमई	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)	– **(–)**
4	विवादित देय बकाया – अन्य	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)	– **(–)**
5	बिल नहीं किए गए बकाया – एमएसएमई						**0.65** **(0.46)**
6	बिल नहीं किए गए बकाया – अन्य						– (–)
	कुल	**77.76** **(0.10)**	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)	**78.41** **(0.56)**

पिछली अवधि की राशियों को (कोष्ठक) में दर्शाया गया है

टिप्पणी–12 : अन्य वित्तीय देयताएं

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2022 को यथास्थिति	31.03.2021 को यथास्थिति
सांविधिक बकाया देय	43.08	1.61
कुल	**43.08**	**1.61**

टिप्पणी–13 : वर्तमान कर देयताएं (निवल)

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2022 को यथास्थिति		31.03.2021 को यथास्थिति	
आय कर के लिए प्रावधान	55.25		2.78	
घटाएं: भुगतान किया गया आयकर	–2.34	52.91	–0.83	1.95
कुल		**52.91**		**1.95**

टिप्पणी–13क : आस्थगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं) (निवल)

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2022 को यथास्थिति	31.03.2021 को यथास्थिति
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
– आयकर प्रावधानों के अनुसार परिशोधित व्यय	11.81	–
सकल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (क)	11.81	–
आस्थगित कर देयताएं		
– मूल्यह्रास और परिशोधन	0.01	–
सकल आस्थगित कर देयताएं (ख)	0.01	–
मान्यता प्राप्त निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति (क–ख)	11.80	–
कुल	**11.80**	–

टिप्पणी–14 : इक्विटी शेयर पूंजी

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2022 को यथास्थिति	31.03.2021 को यथास्थिति
(क) प्राधिकृत शेयर पूंजी		
रू. 100 प्रति का 10,000,000 इक्विटी शेयर	1000.00	1000.00
कुल	**1000.00**	**1000.00**
(ख) जारी, सब्सक्राइब और भुगतान की गई शेयर पूंजी		
रू. 100 प्रति का 6,00,000 इक्विटी शेयर	600.00	600.00
कुल	**600.00**	**600.00**

(ग) वर्ष के आरंभ में अंत में बकाया शेयरों की संख्या का मिलानः

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2022 को यथास्थिति		31.03.2021 को यथास्थिति	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	600000	600.00	–	–
जोड़/(घटाएँ) : वर्ष के दौरान जारी	–	–	600000	600.00
वर्ष के अंत में शेष राशि	**600000**	**600.00**	**600000**	**600.00**

(घ) 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक के पास कंपनी में इक्विटी शेयर और धारित इक्विटी शेयरों की संख्या निम्नानुसार है:

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2022 को यथास्थिति		31.03.2021 को यथास्थिति	
	शेयरों की संख्या	कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी प्रतिशत
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी)	600000*	100	600000*	100
कुल	**600000**	**100**	**600000**	**100**

* कंपनी के नामित व्यक्ति के रूप में अन्य लोगों दवारा रखे गए 6 शेयर इसमें शामिल है।

(ङ) होल्डिंग कंपनी द्वारा रखे गए शेयरों की संख्या

विवरण	31.03.2022 को यथास्थिति	31.03.2021 को यथास्थिति
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी)	600000*	600000*
कुल	**600000***	**600000***

* कंपनी के नामित व्यक्ति के रूप में अन्य लोगों दवारा रखे गए 6 शेयर इसमें शामिल है।

(च) इक्विटी शेयरों से जुड़े नियम और अधिभारः

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है, जिसमें प्रतिशेयर 100 रू. का है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक शेयर धारक एक वोट का हकदार है।

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयर धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों दवार रखे गए इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

(छ) बोनस शेयर :

स्थापना के बाद से काई भी बोनस शेयर जारी नहीं किया गया है।

(ज) प्रमोटर और प्रमोटरों समूह का विवरण :

वर्ष के अंत में प्रमोटर और प्रमोटर समूह द्वारा धारित शेयर (लाख रू. में)

प्रमोटर और प्रमोटरों समूह का नाम	31.03.2022 को यथास्थिति		31.03.2021 को यथास्थिति		इस अवधि के दौरान परिवर्तन का प्रतिशत
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी)	600,000	100%	600,000	100%	0%
कुल	**600,000**	**100%**	**600,000**	**100%**	**0%**

टिप्पणी–15 : अन्य इक्विटी

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2022 को यथास्थिति	31.03.2021 को यथास्थिति
प्रतिधारित आय/संचित हानि		
अवधि के आरम्भ में शेष	–61.10	–
अवधि के लिए लाभ/(हानि)	190.27	–61.10
अवधि के अंत में शेष राशि	**129.17**	**–61.10**

टिप्पणी–16 : प्रचालनों से राजस्व

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2022 को यथास्थिति	31.03.2021 को यथास्थिति
एसआरआई निधि से प्रबंधन शुल्क	178.24	–
ब्याज आय	23.36	–
कुल	**201.60**	**–**

टिप्पणी–17 : अन्य आय

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए
बैंक में जमा सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	–	11.06
एसआरआई निधि की ओर से किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति (टिप्पणी 24 देखें)	69.37	–
कुल	**69.37**	**11.06**

टिप्पणी–18 : अन्य व्यय

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए
जनशक्ति समर्थन लागत #	31.32	15.94
भर्ती व्यय	4.21	14.84
विज्ञापन और प्रचार #	–	26.03
विधिक और व्यावसायिक शुल्क	1.20	0.06
यात्रा, वाहन और वाहन प्रभार #	0.77	0.57
लेखा परीक्षकों को भुगतान – सांविधिक लेखा परीक्षा व्यय *	0.51	0.50
मनोरंजन #	0.50	0.10
मुद्रण और लेखन सामग्री पर व्यय #	0.46	0.29
वेबसाइट और वेब पोर्टल पर व्यय	0.29	0.12
किराया भुगतान #	0.14	0.07
संचार व्यय #	0.11	–
विविध व्यय	0.20	0.02
कंपनी के निगमन पर भुगतान किए गए शुल्क और कर #	–	10.83
कुल	**39.71**	**69.37**

* सांविधिक लेखा परीक्षक को सांविधिक लेखापरीक्षा के अलावा कोई अन्य भुगतान नहीं किया गया है।

टिप्पणी–24 का संदर्भ लें

टिप्पणी–19 : कर व्यय

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए
वर्तमान कर		
इस अवधि की कर योग्य राशि पर वर्तमान कर	55.25	2.78
कुल वर्तमान कर	**55.25**	**2.78**
पिछले वर्ष के करों का समायोजन		
आयकर का पुनर्लिखित अतिरिक्त प्रावधान	–2.78	
कुल पूर्व वर्षों के कर	**–2.78**	
आस्थगित कर क्रेडिट		
अस्थायी विसंगतियों की उत्पत्ति	–11.80	–
कुल आस्थगित कर क्रेडिट	**–11.80**	**–**
कुल	**40.67**	**2.78**

आयकर में वर्तमान कर और आस्थिगत कर शामिल है। वर्तमान कर को आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वर्ष के लिए देय आय के संबंध में भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है और यदि को अधिकता अथवा कमी होती है तो, उसे परिसंपत्तियों को अतिम रूप देते समय समायोजित कर लिया जाता है। देशी कंपनियों को कम कर्पोरेट कर दर का लाभ देने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 115बीएए को जोड़ा गया है। धारा 115बीएए में कहा गया है कि देशी कंपनियों के पास विकल्प है कि वे वित्त वर्ष 2019–20 (मूल्याकंन वर्ष 2020–21) से 22 प्रतिशत की

दर से कर का भुगतान कर सकती हैं यदि ये देशी कंपनियों इसमें निर्दिष्ट कुछ निश्चित शर्तों का पालन करती हैं। कंपनी ने चालू अवधि के लिए इस सुविधा का लाभ प्राप्त किया है और खाता बहीं में तदनुसार कर प्रावधान किए गए हैं।

अनुबंध–19.1 : लाभ और हानि के विवरण में रिपोर्ट किए गए आयकर व्यय हेतु सांविधिक दर पर अनुमानित कर व्यय का समायोजन

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए
कर से पहले लाभ / (हानि)	230.94	–58.32
भारत में कंपनियों पर लागू होने वाली अधिनिगमित आय कर दर	25.17%	25.17%
परिकलित कर व्यय	58.12	–
लागूकरः		
कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कटौती योग्य व्यय	–3.05	–
कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कटौती न करने योग्य व्यय	0.17	2.78
चालू का प्रावधान	55.24	–
आयकर का पुनर्लिखित अतिरिक्त प्रावधान	–2.78	–
आस्थगित कर क्रेडिट	–11.80	–
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त कर व्यय	**40.67**	**–**

टिप्पणी–20 : प्रतिशेयर आय

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए
(क) इक्विटी शेयर धारको के कारण शुद्ध लाभ/(हानि)	190.27	–61.10
(ख) प्रति शेयर मूल कमाई के लिए इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या	6,00,000	6,00,000
तनुकृत की प्रभाव *		
(ग) तनुकृत आय प्रति शैयर के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	6,00,000	6,00,000
प्रति शेयर आय (मूल) (रू.) (ए/बी)	31.71	–10.18
प्रति शेयर आय (तनुकृत) (रू.) (ए/सी)	31.71	–10.18

*'प्रतिवेदन अवधि के दौरान कंपनी के पास कोई संभावित रूप से कमजोर प्रतिभूतियां नहीं थीं

टिप्पणी–21 : खंड रिपोर्टिंग

कंपनी को वित्तीय और निवेश गतिविधियों के लिए स्थापित किया गया है और वर्तमान में एक ही व्यवसाय और भौगोलिक खंड में काम करती है।

टिप्पणी–22 : आकस्मिक देयताएँ और प्रतिबद्धताएँ

(क) 31 मार्च 2022 को यथास्थिति कंपनी की कोई आकस्मिक देयता नहीं है।

(ख) भविष्य की अवधि के लिए विधि सलाहकार व्यय के प्रति प्रतिबद्धताएं 175.89 लाख रु. है।

टिप्पणी–23 : रिपोर्टिंग तिथि के बाद के कार्य

रिपोर्टिंग तिथि के बाद ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जिसके लिए इन वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की आवश्यकता हो।

टिप्पणी–24 : संबंधित पार्टियों का विवरण

क. संबंधित पार्टियों के नाम और उनसे संबंधों की प्रकृतिः

संबंध का विवरण	संबंधित पार्टी का नाम
होल्डिंग कंपनी	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
एनवीसीएफएल की पहली एआईएफ योजना (नोट 29 देखें)	आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) निधि
मुख्य प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)	श्रीमती अल्का नांगिया अरोड़ा (अध्यक्ष)
	श्री गौरांग दीक्षित (निदेशक और सीईओ)
	श्रीमती निष्ठा गोयल (कंपनी सचिव)

ख. वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के नाम और लेनदेन की प्रकृतिः

(लाख रू. में)

संबंधित पार्टी का नाम	लेन–देन की प्रकृति	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि
होल्डिंग कंपनी	कंपनी की ओर से संबंधित पार्टी द्वारा किए गए व्यय के किए की गई प्रतिपूर्ति	
	– जनशक्ति समर्थन लागत	28.57
	– भुगतान किया गया किराया	0.12
	– यात्रा, वाहन और वाहन शुल्क	0.05
	संबंधित पार्टी की ओर से कंपनी द्वारा किए गए भुगतान के लिए प्राप्त प्रतिपूर्ति	1.78
एसआरआई निधि	लिया गया अग्रिम	1.25
	निधि की ओर से किए गए व्यय	109.42
	किया गया निवेश	8.91
	प्रभारित प्रबंधन शुल्क	178.24
	निधि की ओर से कंपनी द्वारा किए गए व्यय के लिए प्राप्त प्रतिपूर्ति	194.97

(लाख रू. में)

संबंधित पार्टी का नाम	लेन–देन की प्रकृति	31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि
होल्डिंग कंपनी	प्राप्त इक्विटी आय	600.00
	कंपनी की ओर से संबंधित पार्टी द्वारा किए गए व्यय के किए की गई प्रतिपूर्ति	
	– जनशक्ति समर्थन लागत	15.94
	– भुगतान किया गया किराया	0.07
	– विज्ञापन और प्रचार	13.67
	– कंपनी निगमन पर भुगतान किया गया शुल्क एवं कर	10.83
	– अन्य व्यय (अर्थात मुद्रण और स्टेशनरी, यात्रा, वाहन और वाहन शुल्क और जलपान)	0.82
	लिया गया अग्रिम	1.00
	चुकाया गया अग्रिम	1.00

ग. **संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए बकाया राशि का विवरणः**

(लाख रू. में)

संबंधित पार्टी का नाम	लेन–देन की प्रकृति	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि
होल्डिंग कंपनी	देय व्यापार	33.33
	इक्विटी योगदान	600.00
एसआरआई निधि	लिया गया अग्रिम	1.25
	बिल नहीं की गई व्यापार प्राप्तियाँ	109.42
	निवेश	8.91

(लाख रू. में)

संबंधित पार्टी का नाम	लेन–देन की प्रकृति	31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि
होल्डिंग कंपनी	इक्विटी योगदान	600.00

घ. **संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन उन शर्तों के बराबर किया जाता है जो सामान्यतः लेनदेन में प्रचलित होते हैं। उपरोक्त सभी मूल्य (टिप्पणी संख्या 24 (ख) जहाँ लागू हो, जीएसटी के बिना हैं।**

टिप्पणी–25 : पट्टे

भारतीय लेखांकन मानक–116 के अनुसार, पट्टों के अनुसार, अल्पकालिक पट्टे और कम मूल्य की संपत्ति के मामले में मानक में निर्धारित मुख्य सिद्धांतों को लागू करना वैकल्पिक है। चूंकि कंपनी का एकमात्र पट्टा अनुबंध 12 महीने से कम की अवधि के लिए है और महत्वहीन मूल्य का है, कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक–116 में बताए अनुसार मुख्य सिद्धांतों को लागू नहीं करने का विकल्प चुना है।

लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशि

31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के दौरान, लाभ और हानि के विवरण में रु. 0.14 लाख (समावेशी कर) के परिचालन पट्टे की प्रकृति में पट्टा किराए को मान्यता दी गई है। 11 महीने के कार्यकाल के बाद कोई अनुबंध पट्टा भुगतान प्रतिबद्धता नहीं है।

टिप्पणी–26 : वित्तीय विलेख – उचित मूल्य

I. पूंजी प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य के लिए, पूंजी में कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण जारी इक्विटी पूंजी और अन्य सभी इक्विटी रिजर्व शामिल किए जाते हैं। कंपनी के पूंजी प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य शेयर पूंजी की सुरक्षा और रक्षा और शेयरधारक के धन में वृद्धि करना। कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक स्थितियों में बदलाव और वित्तीय अनुबंधों की आवश्यकताओं के आलोक में समायोजन करती है। समय–समय पर, कंपनी शेयरधारकों को पूंजी पर वापसी के लिए पूंजी संरचना की समीक्षा करती है। 31 मार्च 2022 की यथास्थिति के अनुसार कंपनी पर कोई ऋण नहीं है।

II. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में व्यापार देय और अन्य वित्तीय देनदारियां शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य है कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना और इसके परिचालनों में सहयोग हेतु गारंटी प्रदान करना। कंपनी की प्रमुख वित्तीय संपत्तियों में नकदी एवं नकदी समतुल्य, अन्य बैंक शेष, ऋण और अग्रिम, व्यापार प्राप्य, निवेश और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होती हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और चलनिधि जोखिम का सामना करती है। विदेशों में कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों का प्रबंधन करते हैं। कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियों पर प्रबंधन द्वारा निरंतर निगरानी रखी जाती है और वित्तीय जोखिम की पहचान, मापन किया जाता है और वरिष्ठ प्रबंधन निर्णयों और नीतियों के अनुसार इनका प्रबंधन किया जाता है।

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम होता है जिसमें बाजार की कीमतों में बदलाव के कारण किसी वित्तीय साधन के भावी नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में उतार–चढ़ाव आएगा। बाजार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और इक्विटी मूल्य जोखिम शामिल हैं। इक्विटी मूल्य जोखिम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनी के पास कोई उधार और विदेशी मुद्रा लेनदेन नहीं है, इसलिए ब्याज जोखिम के साथ ही मुद्रा जोखिम का सामना नहीं करना पड़ा।

ख) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम वह जोखिम है जिसके अंतर्गत यदि कोई भी कंपनी वित्तीय साधनों और ग्राहक अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर सकेगी, तो उसे वित्तीय नुकसान होगा। कंपनी अपनी परिचालन गतिविधियों, मुख्य रूप से व्यापार प्राप्य, निवेश, बैंकों के साथ अन्य शेष और अग्रिमों से ऋण जोखिम के संपर्क में है। व्यापार प्राप्यों और अग्रिमों से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम की और पिछले अनुभव और इतिहास के आधार पर भी समय–समय पर समीक्षा की जाती है। क्रेडिट जोखिम निवेश से उत्पन्न होता है और बैंकों के साथ अन्य शेष राशि सीमित होती है और इनके खिलाफ कोई संपार्श्विक नहीं होता है काउंटर पार्टियां क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा सौंपी गई उच्च क्रेडिट रेटिंग वाले बैंक हैं और कंपनी के पास समीक्षा निवेश के लिए जोखिम प्रबंधन नीति भी है। कंपनी ने किसी भी क्रेडिट खराब करने वाली परिसंपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया। किसी भी वित्तीय परिसंपत्ति में कोई संशोधन नहीं है।

ग) चलनिधि जोखिम प्रबंधन

कंपनी बैंकिंग सुविधाओं और आरक्षित उधार सुविधाओं को बनाए रखते हुए, पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की निरंतर निगरानी और वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करके चलनिधि जोखिम का प्रबंधन करती है। कंपनी के पास वित्त पोषण के पर्याप्त स्रोत है।

रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय देनदारियों की शेष संविदात्मक परिपक्वता निम्नानुसार है। यह राशि सकल राशि है और बिना रियायत के भुगतान की गई है।

(लाख रू. में)

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता 31.03.2022	1 वर्ष या उससे कम	1–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
उधारी	0.00	0.00	0.00	0.00
व्यापार देयताएं	78.41	0.00	0.00	78.41
अन्य वित्तीय देयताएं	43.08	0.00	0.00	43.08
वित्तीय आस्तियों की संविदात्मक परिपक्वता 31.03.2022	**1 वर्ष या उससे कम**	**1–3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
नकदी और नकदी समतुल्य	329.48	0.00	0.00	329.48
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष	120.00	0.00	0.00	120.00
ऋण एवं अग्रिम	1.25	0.00	0.00	1.25
व्यापार प्राप्य	109.42	0.00	0.00	109.42
निवेश	0.00	313.82	8.91	322.72
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	7.38	0.00	0.00	7.38

(लाख रू. में)

वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता 31.03.2021	1 वर्ष या उससे कम	1–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
उधारी	0.00	0.00	0.00	0.00
व्यापार देयताएँ	0.56	0.00	0.00	0.56
अन्य वित्तीय देयताएँ	1.61	0.00	0.00	1.61
वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक परिपक्वता 31.03.2021	**1 वर्ष या उससे कम**	**1–3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
नकदी और नकदी समतुल्य	10.50	0.00	0.00	10.50
नकदी और नकदी समतुल्य के	50.00	0.00	0.00	50.00
अलावा अन्य बैंक शेष	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋण एवं अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00
व्यापार प्राप्य	0.00	450.00	0.00	450.00
निवेश	9.69	0.00	0.00	9.69
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ				

क. वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों का वर्गीकरण

निम्नलिखित तालिका में वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पदानुक्रम में शामिल उनके स्तर की वहन राशि और उचित मूल्य को दर्शाया गया है। यदि वहन राशि उचित मूल्य का उचित अनुमान है, इसे उचित मूल्य पर मापा नहीं गया है, इसमें वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के लिए उचित मूल्य की जानकारी शामिल नहीं है।

(लाख रू. में)

31 मार्च, 2022 को वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएं	नोट सं.	वहन राशि			कुल
		लाभ और हानि खाते के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
नकदी और नकदी समतुल्य	3	–	–	329.48	329.48
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष	4	–	–	120.00	120.00
ऋण एवं अग्रिम	5	–	–	1.25	1.25
व्यापार प्राप्य	6	–	–	109.42	109.42
निवेश	7	–	–	322.73	322.73
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	8	–	–	7.38	7.38
वित्तीय देयताएँ					
देय					
व्यापार देयताएं	11	–	–	78.41	78.41
अन्य वित्तीय देयताएं	12	–	–	43.08	43.08

(लाख रू. में)

31 मार्च, 2021 को वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएं	नोट सं.	वहन राशि			कुल
		लाभ और हानि खाते के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
नकदी और नकदी समतुल्य	3	–	–	10.50	10.50
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष	4	–	–	50.00	50.00
ऋण एवं अग्रिम	5	–	–	–	–
व्यापार प्राप्य	6	–	–	–	–
निवेश	7	–	–	450.00	450.00
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	8	–	–	9.69	9.69
वित्तीय देयताएँ					
देय					
व्यापार देयताएं	11	–	–	0.56	0.56
अन्य वित्तीय देयताएं	12	–	–	1.61	1.61

(लाख रू. में)

31 मार्च, 2022 को वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएं	नोट सं.	उचित मूल्य			कुल
		स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3	
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
नकदी और नकदी समतुल्य	3	–	–	329.48	329.48
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष	4	–	–	120.00	120.00
ऋण एवं अग्रिम	5			1.25	1.25
व्यापार प्राप्य	6			109.42	109.42
निवेश	7			322.73	322.72
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	8	–	–	7.38	7.38
वित्तीय देयताएँ					
देय					
व्यापार देयताएं	11	–	–	78.41	78.41
अन्य वित्तीय देयताएं	12	–	–	43.08	43.08

(लाख रू. में)

31 मार्च, 2021 को वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएं	नोट सं.	उचित मूल्य			कुल
		स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3	
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
नकदी और नकदी समतुल्य	3	–	–	10.50	10.50
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष	4	–	–	50.00	50.00
ऋण एवं अग्रिम	5	–	–	–	–
व्यापार प्राप्य	6	–	–	–	–
निवेश	7	–	–	450.00	450.00
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	8	–	–	9.69	9.69
वित्तीय देयताएँ					
देय					
व्यापार देयताएं	11	–	–	0.56	0.56
अन्य वित्तीय देयताएं	12	–	–	1.61	1.61

ख. उचित मूल्य पदानुक्रम

कंपनी निम्नलिखित उचित मूल्य पदानुक्रम का उपयोग करके उचित मूल्य को मापती है, जो माप बनाने में उपयोग किए गए इनपुट के महत्व को दर्शाती है।

स्तर–1 : इनपुट जिनमें समान संपत्ति या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में बाजार मूल्य (असमायोजित) उद्धृत किए जाते हैं।

स्तर–2 : उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके सक्रिय बाजारों में कारोबार नहीं किए जाने वाले वित्तीय साधनों का मूल्य निर्धारित किया जाता है, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य बाजार डेटा के उपयोग को अधिकतम किया जाता है, जैसे कि सक्रिय बाजारों में समान संपत्ति और देनदारियों के लिए उद्धृत मूल्य, काफी हद तक वित्तीय साधन की पूरी अवधि के लिए होते हैं लेकिन स्तर 1 इनपुट के रूप में योग्य नहीं है। यदि एक उपकरण के उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट देखे जा सकते हैं, तो उपकरण को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर–3 : यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं, तो उपकरण स्तर 3 में शामिल किए जाते हैं। इस लिए, जोखिम के बारे में बाजार सहभागियों की धारणाएं और उस जोखिम को सहन करने के लिए बाजार सहभागियों द्वारा आवश्यक जोखिम प्रीमियम स्तर 3 इनपुट में शामिल किए जाते हैं। कंपनी परिस्थितियों में उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर स्तर 3 इनपुट विकसित करती है।

ग. मूल्य धारण करने के लिए मूल्यवान वित्तीय साधन

अन्य चालू बैंक शेषों, अन्य प्रतिप्राप्ति योग्य और व्यापार और अन्य भुगतानों सहित अन्य वित्तीय देनदारियों सहित नकदी समतुल्य की अग्रणीत राशियों को ऐसे शेषों की वर्तमान और अल्पावधि प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

टिप्पणी–27 : कोविड–19 महामारी का प्रभाव

नोवल कोरोना वायरस कोविड–19 महामारी भारत सहित दुनिया भर में तेजी से फैल रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड–19 के प्रकोप को वैश्विक महामारी घोषित किया गया था, कोविड–19 ने न केवल मानव जीवन, बल्कि व्यापार और वित्तीय बाजारों पर भी अपना प्रभाव डाला है, जिसकी सीमा वर्तमान में अनिश्चित है। विभिन्न सरकारों ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कई तरह के उपाय किए हैं।

कोविड–19 महामारी के दौरान अनिश्चितता के कारण, हमें यह ज्ञात नहीं है कि यह कंपनी के व्यवसाय और उसके परिणामों को किस सीमा तक प्रभावित करेगा और यह भविष्य के विकास पर निर्भर करेगा। वैश्विक स्वास्थ्य महामारी का प्रभाव कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि के अनुमान से भिन्न हो सकता है और कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी, जिसका कंपनी पर कोई वित्तीय प्रभाव हो सकता है।

टिप्पणी–28 : बिक्री के लिए धारित गैर चालू संपत्तियाँ

भारतीय लेखांकन मानक–105 के अनुसार कोई भी परिसम्पत्ति बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत नहीं की गई हैं।

टिप्पणी–29 : एसआरआई फंड की स्थापना

कंपनी को एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार की योजना – सेल्फ रिलाएंट इंडिया (एसआरआई) फंड के कार्यान्वयन हेतु स्थापित किया गया है। चूंकि कंपनी ने सेबी से श्रेणी–II वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में अनुमोदन प्राप्त किया था, एसआरआई फंड हमेशा एक ऐसी योजना के रूप में था, जिसे केवल कंपनी द्वारा प्रशासित किया जाए, लेकिन इसकी अपनी एक अलग पहचान थी। अपने कानूनी सलाहकारों के साथ विचार–विमर्श के उपरांत, कंपनी को आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार एसआरआई फंड को 'एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स' (व्यक्तियों का संघ) के रूप में स्थापित करने की सलाह दी गई, जिससे निधि में योगदानकर्ता अर्थात भारत सरकार, एनएसआईसी और कंपनी, दिनांक 12 अक्टूबर 2021 के योगदान समझौते की शर्तों के अनुसार सदस्य होंगे। जबकि कंपनी इस नियामक संरचना को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में थी, भारत सरकार ने 31 मार्च 2022 (पिछले वर्ष शून्य) को समाप्त वर्ष के दौरान रु. 18,034.58 लाख (राशि रु. 2500.00 लाख के पारगमन में प्रेषण सहित) की एक अलग राशि कंपनी द्वारा एसआरआई फंड के लिए अनुरक्षित एक अलग बैंक खाते में एसआरआई फंड में उनके योगदान के रूप में हस्तांतरित की। इसी प्रकार, राशि रु. 1.78 लाख (पिछले वर्ष शून्य) और राशि रु. 8.91 लाख (पिछले वर्ष शून्य) को भी एनएसआईसी और कंपनी द्वारा ऐसे अलग बैंक खाते में स्थानांतरित किया गया था, जो एसआरआई फंड में उनके संबंधित योगदान के रूप में था। चूंकि राशि कंपनी के बैंक खाते में प्राप्त हुई है, लेकिन केवल एसआरआई फंड के लिए अभिप्रेत है, जो एक अलग इकाई है, रु. 15,234.37 लाख की शेष राशि (एसआरआई फंड के व्यय के समायोजन के बाद) को एसआरआई फंड की ओर से कंपनी द्वारा ट्रस्ट में धारित माना गया है। तदनुसार, एसआरआई फंड की ओर से ट्रस्ट में रखी गई निधियों को कंपनी के नकद और नकद समकक्षों के विरुद्ध समायोजित कर दिया गया है और एक अलग देयता के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। एक बार ऐसा खाता स्थापित हो जाने पर, कंपनी संपूर्ण शेष राशि को एसआरआई फंड के एक अलग बैंक खाते में स्थानांतरित करने का इरादा रखती है।

टिप्पणी–30 : अतिरिक्त प्रकटीकरण

इरादतन चूककर्ता

कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान, या सरकार, या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

हड़ताल–प्रभावित/बंद कंपनियों के साथ संबंध

कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत हड़ताल–प्रभावित/बंद की गई कंपनियों के साथ कोई संव्यवहार नहीं है।

धारित बेनामी संपत्ति का विवरण

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है अथवा लंबित नहीं है।

कंपनियों के स्तरों की संख्या के संबंध में अनुपालन

यह भारत सरकार की कंपनी के रूप में पंजीकृत कंपनी है और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड (87) के तहत स्तरों की संख्या पर प्रतिबंध के संबंध में प्रावधान, जो कंपनी (स्तरों की संख्या पर निर्बंधन) नियम, 2017 के साथ पठित है, इस पर लागू नहीं हैं।

व्यवस्थापनों की अनुमोदित योजनाओं का अनुपालन

कंपनी ने व्यवस्थापन की किसी भी योजना को कार्यान्वित नहीं किया है, जिसका चालू या पिछले वित्तीय वर्ष पर लेखा प्रभाव पड़ता है।

उधार ली गई निधियों और शेयर प्रीमियम का उपयोग

(क) वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं) में, विदेशी संस्थाओं सहित ("मध्यवर्ती संस्थाएँ"), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में प्रलेखित किया गया हो या अन्यथा किसी भी फंड को अग्रिम तौर पर दिया या ऋण या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि से, या शेयर प्रीमियम, या किसी अन्य स्रोत, या किसी प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है, कि मध्यवर्ती संस्थाः

(i) प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं में (अंतिम लाभार्थियो) उधार देगा या निवेश करेगा; अथवा

(ii) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई प्रतिभूति प्रदान करेगा।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, जिसमें विदेशी संस्थाएं ('वित्त पोषक पार्टियां') शामिल हैं, इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में प्रलेखित किया गया हो या अन्यथा), कि कंपनीः

(i) प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वित्त पोषक पार्टियों द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं में (अंतिम लाभार्थियों) उधार देगा या निवेश करेगा; अथवा

(ii) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई प्रतिभूति प्रदान करेगा।

अघोषित आय

आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कर निर्धारण में चालू या पिछले वर्ष के दौरान आय के रूप में कोई भी आय अभ्यर्पण अथवा प्रकट नहीं की गई है, जिसे बही खातों में दर्ज नहीं किया गया हो।

क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी का विवरण

कंपनी ने चालू या पिछले वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार अथवा निवेश नहीं किया है।

पीपी एंड ई, अमूर्त संपत्ति और निवेश संपत्ति का मूल्यांकन

कंपनी ने चालू या पिछले वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार की संपत्तियों सहित) अथवा अमूर्त परिसंपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ शुल्क या ऋणमुक्ति का पंजीकरण

कोई शुल्क या ऋणमुक्ति नहीं है, जो अभी तक कंपनी रजिस्ट्रार के पास वैधानिक अवधि के भीतर पंजीकृत नहीं हुई है।

विश्लेषणात्मक अनुपात

वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) को दी गई विशिष्ट नियामक छूट के कारण, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एनबीएफसी नियमों की प्रयोज्यता से छूट दी गई है। सीआरएआर और नकदी प्रवाह कवरेज अनुपात, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

देवन्द्र कुमार जैन एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं.: 007799एन

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

ह./–
पी. उदयकुमार
अध्यक्ष
{ डीआईएन नं.: 03353625}

ह./–
गौरांग दीक्षित
निदेशक
{डीआईएन नं.: 08535482}

ह./–
डी के जैन
साझेदार
सदस्यता सं.: 083417
यूडीआईएन : 22083417एएनएक्सवीओआई6264
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.07.2022

ह./–
पार्थ माझी
महाप्रबंधक (एफ एंड ए)

ह./–
राजेश मदान
विशेष कार्य अधिकारी

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
{सदस्यता सं.: ए22768}

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

("एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी")
पंजीकृत कार्यालयः एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज–III, नई दिल्ली–110020
(सीआईएन नंबरः यू65990डीएल2020जीओआई368828)

01.04.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

(लाख रू. में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
	प्रचालन कार्यों से प्राप्त नकदी प्रवाहः		
	कर से पहले लाभ/(हानि)	230.94	–58.32
	समायोजन से पहले शुद्ध हानिः		
	मूल्यह्रास	0.32	0.01
	आवधिक जमा पर अर्जित ब्याज	–	–11.06
	पिछले वर्ष के लिए वसूली योग्य आयकर की मान्यता	0.83	–
	कार्यशील पूंजी प्रभारों से पूर्व परिचालन हानि	**232.09**	**–69.37**
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन		
	ऋण और अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	–1.25	–
	व्यापार प्राप्य में (वृद्धि)/कमी	–109.42	–
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	2.31	–
	अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	4.07	–4.90
	व्यापार देय में (वृद्धि)/कमी	77.85	0.56
	अन्य वित्तीय देयताओं में (वृद्धि)/कमी	41.47	1.61
	नकद (उपयोग किया गया)/संचालन से सृजित	**247.12**	**–72.10**
	भुगतान किया गया आयकर	–2.34	–0.83
I	**परिचालन गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) से उत्पन्न शुद्ध नकदी**	**244.78**	**–72.93**
	निवेश गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाहः		
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद	–	–1.01
	अमूर्त परिसंपत्तियां – व्यापार लाइसेंस	#	–
	विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों पर व्यय	–	–16.93
	विकास के तहत अमूर्त आस्तियों के लिए प्रतिपूर्ति की गई राशि	16.93	–
	सावधि जमा में निवेश – (परिपक्वता 3 महीने से अधिक लेकिन 1 वर्ष से अधिक नहीं)	–70.00	–50.00
	सावधि जमा में निवेश – (1 वर्ष से अधिक की परिपक्वता)	136.18	–450.00
	एआईएफ – एसआरआई निधि में निवेश	–8.91	–
	सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज	–	1.37
II	**निवेश गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) से उत्पन्न निवल नकदी**	**74.20**	**–516.57**
	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाहः		
	शेयर जारी करने से आय	–	600.00
III	**वित्तपोषण गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) से उत्पन्न निवल नकदी**	**–**	**600.00**
	नकद एवं नकद समतुल्यों में निवल (कमी)/वृद्धि (I+II+III)	**318.98**	**10.50**
	अवधि के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य	**10.50**	**–**
	अवधि के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	**329.48**	**10.50**

रु. 1000 से कम के मूल्य को दर्शाता है

उपरोक्त विवरण भारतीय लेखाकंन मानक–7 नकदी प्रवाह विवरण में निर्धारित 'इनडारेक्ट मैथड' करके तैयार किया गया है।

नोट 3 में नकदी और नकदी समतुल्य घटकों का खुलासा किया गया है।

संलग्न नोट वित्तीय विवरण 1 से 30 तक के अभिन्न हिस्सा हैं।

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
देवन्द्र कुमार जैन एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं.: 007799एन

ह./–
डी के जैन
साझेदार
सदस्यता सं.: 083417
यूडीआईएन : 22083417एएनएक्सवीओआई6264
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.07.2022

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

ह./–
पी. उदयकुमार
अध्यक्ष
{ डीआईएन नं.: 03353625}

ह./–
गौरांग दीक्षित
निदेशक
{डीआईएन नं.: 08535482}

ह./–
पार्थ माझी
महाप्रबंधक (एफ एंड ए)

ह./–
राजेश मदान
विशेष कार्य अधिकारी

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
{सदस्यता सं.: ए22768}

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

("एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी")
पंजीकृत कार्यालयः एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज–III, नई दिल्ली–110020
(सीआईएन नंबरः यू65990डीएल2020जीओआई368828)

01.04.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

I. इक्विटी शेयर कैपीटल

(लाख रू. में)

विवरण	31.03.2022 को यथास्थिति	31.03.2021 को यथास्थिति
रू. 100/– का अंकित मूल्य वाले शेयर		
अवधि के शुरूआत में शेयर	600.00	–
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	–	600.00
अवधि के अंत में शेष	600.00	600.00

II. अन्य इक्विटी

(लाख रू. में)

विवरण	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय	कुल
01.04.2021 को अवधि की शुरुआत में शेष राशि	**–61.10**	–	**–61.10**
अवधि के लिए लाभ/(हानि)	190.27	–	190.27
अवधि के लिए व्यापक आय	–	–	–
31 मार्च, 2022 को यथास्थिति	**129.17**	–	**129.17**
01.04.2020 को अवधि की शुरुआत में शेष राशि	–	–	–
अवधि के लिए लाभ/(हानि)	–61.10	–	–61.10
अवधि के लिए व्यापक आय	–	–	–
31 मार्च, 2021 को यथास्थिति	**–61.10**	–	**–61.10**

देवन्द्र कुमार जैन एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं.: 007799एन

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

ह./–
पी. उदयकुमार
अध्यक्ष
{ डीआईएन नं.: 03353625}

ह./–
गौरांग दीक्षित
निदेशक
{डीआईएन नं.: 08535482}

ह./–
डी के जैन
साझेदार
सदस्यता सं.: 083417
यूडीआईएन : 22083417एएनएक्सवीओआई6264
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.07.2022

ह./–
पार्थ माझी
महाप्रबंधक (एफ एंड ए)

ह./–
राजेश मदान
विशेष कार्य अधिकारी

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
{सदस्यता सं.: ए22768}

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ	प्रबंधन का उत्तर
कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। उक्त अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उक्त अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। उनकी दिनांक 28 जुलाई 2022 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जरिए बताया गया है। मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अधीन एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील दस्तावेजों को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ और कुछ लेखाकंन रिकार्डों की चयनात्मक जांच तक सीमित है। मेरे अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, इसके अलावा, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को रेखांकित करना चाहता हूँ जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरण और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ पैदा करने के लिए आवश्यक हैं।	**तथ्य का विवरण**
कंपनी का गठन एमएसएमई क्षेत्र को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई)[1] फंड के नाम पर एमएसएमई फंड स्थापित करने के निर्णय के अनुसरण में किया गया था।	सेबी एआईएफ विनियमों में एआईएफ को एक कंपनी, एलएलपी या ट्रस्ट के रूप में संगठित होने की अनुमति दी गई है और इसलिए, एसआरआई फंड को इन तीन संस्थाओं में से एक के रूप में स्थापित किया जाना था। इसलिए, एआईएफ को ट्रस्ट या एलएलपी की तुलना में एक कंपनी के लिए प्रयोज्य उच्च अभिशासन मानकों के

1. विकास पूंजी हासिल करने में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा सामना की जा रही गंभीर कमी को दूर करने के लिए फंड ऑफ फंड्स बनाया गया। फंड का एंकर इनवेस्टर भारत सरकार है।

एसआरआई फंड के लिए योजना संबंधी दिशानिर्देश में, अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान किया गया है कि मदर फंड (एसआरआई फंड) को एनएसआईसी से 100 प्रतिशत इक्विटी प्राप्त करने वाले एसपीवी द्वारा एंकर किया जाएगा (ii) एसपीवी मदर फंड को श्रेणी I अथवा II वैकल्पिक निवेश फंड के रूप में पंजीकृत करने के लिए सेबी को आवेदन करेगा, (iii) एसपीवी को 1 प्रतिशत के प्रबंधन शुल्क की अनुमति दी जा सकती है जो वास्तव में मदर फंड के अधिकार में रखे गए संचय निधि के संबंध में देय होगा। इस प्रकार, एसपीवी (एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड) को एसआरआई फंड को सेबी के साथ वैकल्पिक निवेश फंड के रूप में पंजीकृत कराना था और इसका प्रबंधन करना था, जिसके लिए इसे प्रबंधन शुल्क प्राप्त होना था। हालांकि, एसआरआई फंड को पंजीकृत करने की बजाय, एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड ने स्वयं को सेबी के साथ श्रेणी–II वैकल्पिक निवेश फंड के रूप में पंजीकृत कराया है। एसआरआई फंड इस प्रकार पंजीकृत वैकल्पिक निवेश फंड की एक योजना है।	कारण कंपनी के रूप में स्थापित करना विवेकपूर्ण माना गया और एनवीसीएफएल को एआईएफ के रूप में पंजीकृत करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, एआईएफ विनियमों में भी सेबी के साथ पंजीकृत एआईएफ को योजनाएँ चलाने की अनुमति दी गई है (उनके संविधान पर ध्यान न देते हुए)। तदनुसार, एनवीसीएफएल एसआरआई फंड का संचालन कर रहा है जो एआईएफ विनियमों के प्रावधानों के अनुसार एआईएफ की एक योजना है। यह संरचना सरकार द्वारा अधिदेशित है और सेबी विनियमों का अनुपालन करती है तथा इसे लाइसेंस प्रदान करने के समय सेबी द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके अलावा, सीएजी द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए फंड की संरचना के संदर्भ में सेबी से पुनः स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर, 'एनवीसीएफएल और एसआरआई फंड के लेखांकन के संबंध में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान' से राय मांगी जाएगी।
क. 1 लाभ और हानि का विवरण **क. 1.1 संचालन से प्राप्त राजस्व (नोट– 16)– ₹ 201.60 लाख** उपर्युक्त में एसआरआई फंड के प्रबंधन के लिए प्राप्त प्रबंधन शुल्क के रू. 1.78 करोड़ शामिल हैं। आत्मनिर्भर निधि (एसआरआई फंड) के अनुमोदित परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, एसपीवी (एनवीसीएफएल) को 1 प्रतिशत प्रबंधन शुल्क दिया जा सकता है। मदर फंड के अधिकार में वास्तव में रखे गए कॉर्पस के संबंध में प्रबंधन शुल्क देय होगा। भारत सरकार ने वर्ष के दौरान रू.155.34 करोड़ (प्रबंधन शुल्क सहित) जारी किए और इसे मदर फंड के अधिकार में रखा गया। तदनुसार, रू. 1.78 करोड़ की बजाय रू.1.53 करोड़ (जीएसटी को छोड़कर) के प्रबंधन शुल्क को आय के रूप में माना जाना चाहिए था। इसके अलावा, चूंकि प्रबंधन शुल्क कंपनी के लिए एक व्यय है, इसलिए प्रबंधन शुल्क की समान राशि को भी व्यय के रूप में माना जाना चाहिए था। व्यय को दर्ज न किए जाने के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए व्यय में ₹1.53 करोड़ की न्यूनोक्ति, आय में ₹0.25 करोड़ की अत्युक्ति और लाभ में ₹1.78 करोड़ की अत्युक्ति हुई है।	रू. 201.60 लाख की सेवाओं की बिक्री (नोटः 21) में एसआरआई फंड से रू. 178.24 लाख का प्रबंधन शुल्क और बैंक में सावधि जमा में किए गए निवेश पर ब्याज आय के रूप में रू. 23.36 लाख शामिल है। अंशदान करार के खंड संख्या 3.1.1 के अनुसार, (क) यह उल्लिखित है कि "फंड की स्थापना के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित शुल्क (समग्रतः "शुल्क" के रूप में संदर्भित) फंड के लिए प्रभार्य होगाः प्रबंधन शुल्क – एनवीसीएफएल फंड के अधिकार में वास्तव में रखी गई राशि ("प्रबंधन शुल्क") के 1: (एक प्रतिशत) की दर से प्रबंधन शुल्क लेने का हकदार होगा। आगे, खंड 3.1.6 के अनुसार। उपर्युक्त शुल्क का भुगतान (i) फंड द्वारा अंशदाता से आहरित पूंजी अंशदान, और/अथवा (ii) फंड की आय और प्राप्तियों से किया जाएगा। तदनुसार, एनवीसीएफएल को प्रबंधन शुल्क का भुगतान ड्रॉडाउन के अनुसार अंशदाताओं से पूंजी अंशदान प्राप्त होने पर होगा। इसके अलावा, एंकर निवेशक यानी एमओएसएमई द्वारा निवेश की गई कुल राशि रू. 17824.25 लाख (प्रबंधन शुल्क के बिना) और रू. 18034.58 लाख (प्रबंधन और जीएसटी के साथ) है जिसमें से वर्ष के दौरान रू. 15534.58 लाख प्राप्त हुए और शेष रू. 2500 लाख हालांकि 31.03.2022 को स्वीकृत हुए थे लेकिन 02.04.2022 को प्राप्त

	हुए। रू. 18034.58 लाख की पूरी राशि वर्ष के दौरान स्वीकृत की गई। इसलिए, रू. 178.24 लाख के प्रबंधन शुल्क को प्रोद्भवन आधार पर एनवीसीएफएल में आय के रूप में दर्ज किया गया है और इसी व्यय को एसआरआई फंड की लेखा–बहियों में दिखाया गया है। इस प्रकार, व्यय की न्यूनोक्ति नहीं हुई है और आय और लाभ की अत्युक्ति नहीं हुई है।
क.1.2 अन्य आय (नोट–17) – रू. 69.37 लाख उपर्युक्त विवरण एसआरआई फंड के संबंध में पिछले वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किए गए व्ययों से संबंधित है, हालांकि, चालू वर्ष में इसे एसआरआई फंड की ओर से व्ययों की प्रतिपूर्ति के रूप में माना गया है और आय के रूप में दर्ज किया गया है। कंपनी ने श्रेणी–II एआईएफ के रूप में कंपनी को पंजीकृत करने के लिए सेबी को भुगतान किए गए विधिक प्रभार और शुल्क पर पिछले वर्ष के दौरान रू. 16.93 लाख का व्यय भी किया और इसे 'विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति' के रूप में माना गया जो सही नहीं है क्योंकि यह राशि पंजीकरण के लिए भुगतान किए गए शुल्क से संबंधित है, न कि लाइसेंस के लिए और इसलिए इसे व्यय के रूप में लेखांकित किया जाना चाहिए था। चालू वर्ष के दौरान एसआरआई फंड से भी इसका दावा किया गया है। चूंकि एसआरआई फंड अलग निकाय नहीं है, कंपनी के लिए आवश्यक है कि वह एसआरआई फंड के संबंध में संपूर्ण व्यय को कंपनी के व्यय के रूप में दर्ज करे। एसआरआई फंड के संबंध में किए गए व्यय की अन्य आय के रूप में गलत बुकिंग के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए आय में रू. 69.37 लाख की अत्युक्ति, व्यय में रू. 16.93 लाख की न्यूनोक्ति और लाभ में ₹ 86.30 लाख की अत्युक्ति हुई है।	एनवीसीएफएल को 28.08.2020 को निगमित किया गया था और एसआरआई फंड पीपीएम को शुरू में 02.01.2021 को सेबी में दर्ज किया गया था और सेबी की मंजूरी केवल 01.09.2021 को प्राप्त हुई थी। तदनुसार, सेबी से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद 12.10.2021 को अंशदाताओं के साथ अंशदान करार पर हस्ताक्षर किए गए। एनसीवीएफएल ने एसआरआई फंड जो 31.03.2021 तक अस्तित्व में नहीं था, पर रू. 69.37 लाख (वित्त वर्ष 2020–21) का व्यय किया है। इसके अलावा, पीपीएम के अनुसार "उस सीमा तक जहाँ तक कि निवेश प्रबंधक या एनवीसीएफएल फंड की ओर से फंड के किसी भी व्यय को वहन करता है, तो फंड उचित चालान और/या रसीदों द्वारा समर्थित उचित व्यय खाते की प्रस्तुति के 30 (तीस) कैलेंडर दिनों के भीतर सुनिश्चित करेगा कि निवेश प्रबंधक या एनवीसीएफएल को विधिवत प्रतिपूर्ति की जाए।" जैसाकि पहले ही ऊपर स्पष्ट किया गया है, पिछले वर्ष में किए गए व्यय जो पहले किए गए थे और जिनकी अब एसआरआई फंड द्वारा एनवीसीएफएल को प्रतिपूर्ति की जानी है, उन्हें अन्य आय के रूप में दिखाया गया है। **रू. 16.93 लाख का व्यय–** सेबी का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से किए गए व्यय को पिछले वर्ष में विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया गया था। इस तरह के व्यय को चालू वित्त वर्ष में पूर्व अवधि के व्यय के रूप में मानने की कोई आवश्यकता नहीं है और एसआरआई फंड द्वारा रू. 16.93 लाख की प्रतिपूर्ति की गई राशि जो सेबी पंजीकरण प्राप्त करने से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय था और वित्त वर्ष 20–21 में विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में दर्ज किया गया था। इसी राशि की प्रतिपूर्ति अंशदान करार के अनुसार एसआरआई फंड द्वारा की गई है। चूंकि एसआरआई फंड द्वारा व्यय की प्रतिपूर्ति की गई है, इसलिए व्यय में ₹ 16.93 लाख की न्यूनोक्ति नहीं हुई है। आय की कोई अत्युक्ति और व्यय की कोई न्यूनोक्ति नहीं हुई है।

क1.3 अन्य व्यय (नोट संख्या 18): रू. 39.71 करोड़

उपर्युक्त में वर्ष के दौरान एनवीसीएफएल द्वारा एसआरआई फंड के संबंध में किया गया ₹1.09 करोड़ का व्यय शामिल नहीं है, जैसाकि नीचे विवरण दिया गया है:

लेखा शीर्ष	राशि (रू. करोड़ में)
खेतान एंड कंपनी को भुगतान किए गए विधिक और व्यावसायिक शुल्क	0.54
एआईएफ पंजीकरण के लिए सेबी प्रभार	0.10
बैठक व्यय	0.01
एसबीआईकैप को भुगतान किया गया प्रबंधन/ परिचालन शुल्क	0.42
विज्ञापन	0.02
कुल	**1.09**

तथापि, एसआरआई फंड के संबंध में व्यय की गई उपर्युक्त राशि को गैर–मौजूद इकाई होने के नाते एसआरआई फंड से प्राप्य राशि के रूप में दिखाया गया था। चूंकि व्यय एनवीसीएफएल द्वारा किया गया था, इसे एनवीसीएफएल के लेखा–विवरणों में 'एसआरआई फंड से संबंधित व्यय' के रूप में दिखाया जाना चाहिए था।

व्यय को मान्यता न दिए जाने के परिणामस्वरूप व्यय की न्यूनोक्ति हुई है और व्यापार प्राप्य–बिल न की गई राशि में ₹1.09 करोड़ की अत्युक्ति हुई है। परिणामतः, वर्ष के लिए लाभ में भी उसी सीमा तक अत्युक्ति हुई है।

एनवीसीएफएल को 28.08.2020 को निगमित किया गया था और एसआरआई फंड पीपीएम को आरंभ में 02.01.2021 को सेबी में दर्ज किया गया था और सेबी की मंजूरी केवल 01.09.2021 को प्राप्त हुई थी। तदनुसार, सेबी से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद 12.10.2021 को अंशदाताओं के साथ अंशदान करार पर हस्ताक्षर किए गए।

एनवीसीएफएल ने एसआरआई फंड पर रू. 109.43 लाख (वित्तीय वर्ष 21–22) का व्यय किया है, जिसे वार्षिक लेखा–विवरणों की सही स्थिति के लिए 31.03.2022 की स्थिति तक निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, पीपीएम के अनुसार "उस सीमा तक जहां तक कि निवेश प्रबंधक या एनवीसीएफएल फंड की ओर से फंड के किसी भी व्यय को वहन करता है, तो फंड उचित चालान औरध्या रसीदों द्वारा समर्थित उचित व्यय खाते की प्रस्तुति के 30 (तीस) कैलेंडर दिनों के भीतर सुनिश्चित करेगा कि निवेश प्रबंधक या एनवीसीएफएल को विधिवत प्रतिपूर्ति की जाए।"

तदनुसार, एसआरआई फंड की ओर से चालू वर्ष में किए गए व्यय को खर्च किए जाने की बजाय प्राप्य के रूप में दिखाया गया है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, व्यय की न्यूनोक्ति नहीं हुई है और व्यापार प्राप्य–बिल न की गई राशि में अत्युक्ति नहीं हुई है।

ख. 1 तुलन पत्र

ख. 1.1. परिसंपत्तियाँ–वित्तीय परिसंपत्तियाँ

नकद और नकद समतुल्य (नोट–3): ₹ 329.48 लाख (नोट–3)

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) की 100 प्रतिशत इक्विटी के साथ एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) को 28 अगस्त 2020 को आत्मनिर्भर निधि (एसआरआई फंड) को एंकर करने के लिए निगमित किया गया था। भारत सरकार ने एसआरआई फंड में अंशदान के लिए कंपनी को ₹180.34 करोड़ (31 मार्च 2022 तक ₹ 155.34 करोड़ और 2 अप्रैल 2022 को ₹ 25 करोड़) जारी किए। एसआरआई फंड का प्रायोजक होने के नाते एनएसआईसी ने भी वर्ष के दौरान ₹ 0.02 करोड़ का अंशदान दिया है। कंपनी ने भारत सरकार और एनएसआईसी को उनके द्वारा किए गए अंशदान के लिए यूनिट जारी किए। कंपनी एसआरआई फंड के लिए अलग बैंक खाता रख रहा है। कंपनी एसआरआई फंड से इतर

एसआरआई फंड एनवीसीएफएल कंपनी की एक योजना है, जिसका अलग बैंक खाता है और कर प्रयोजनों के लिए आयकर विभाग द्वारा व्यक्तियों के विशिष्ट संघ के रूप में मान्यता प्राप्त है। सेबी एआईएफ विनियमों में किसी भी एआईएफ को कंपनी, एलएलपी या ट्रस्ट के रूप में संगठित होने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, एआईएफ विनियमों में भी सेबी के साथ पंजीकृत एआईएफ को योजनाएं जारी करने की अनुमति दी गई है (उनके संविधान पर ध्यान न देते हुए)। तदनुसार, एनवीसीएफएल एसआरआई फंड का संचालन कर रहा है जो एआईएफ विनियमों के प्रावधान के अनुसार एआईएफ की एक योजना है। यह संरचना सरकार द्वारा दिया गया एक अधिदेश है और सेबी विनियमों के अनुरूप है।

अन्य लेनदेन के लिए एक और बैंक खाता भी रख रहा है और 31 मार्च 2022 तक ₹ 3.28 करोड़ की शेष राशि उपलब्ध थी। तुलन–पत्र में नकद और नकद समतुल्य का प्रकट करते समय, दोनों खातों में बैंक शेष दिखाया जाना चाहिए था जबकि कंपनी ने कुल बैंक शेष में से भारत सरकार/एनएसआईसी से प्राप्त धनराशि को समायोजित किया और एसआरआई फंड से इतर अन्य लेनदेन के लिए बैंक खाते में शेष राशि को ही दिखाया गया है।

भारत सरकार और एनएसआईसी द्वारा जारी की गई निधियों के गलत समायोजन के परिणामस्वरूप बैंक शेष में ₹152.34 करोड़[2] की, पारगमन में प्रेषण में ₹25 करोड़ की न्यूनोक्ति, और एसआरआई फंड की यूनिट पूंजी की देनदारियों में ₹177.34 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई है।

परिणामतः, इसके चलते वित्तीय कार्यकलाप से सृजित शुद्ध नकदी में ₹152.34 करोड़ की न्यूनोक्ति और नकदी प्रवाह विवरण में उसी सीमा तक नकद और नकद समतुल्य की न्यूनोक्ति हुई है।

एसआरआई फंड को एक योजना के रूप में जारी कर दिए जाने के बाद, सेबी विनियमों के अनुसार यह अनिवार्य है कि प्रत्येक योजना की परिसंपत्ति को अलग किया जाना चाहिए और उनका अलग से हिसाब लगाया जाना चाहिए क्योंकि किसी योजना की इन परिसंपत्तियों का लाभार्थी स्वयं एआईएफ नहीं है बल्कि योजना के अंशदाता हैं। इस प्रकार, एनवीसीएफएल जो एनएसआईसी की सहायक कंपनी है, से एसआरआई फंड के खातों को अलग बनाए रखना अनिवार्य है। एसआरआई फंड की परिसंपत्तियों को एनवीसीएफएल की परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाना गलत होगा क्योंकि यह इन परिसंपत्तियों का विधिक या लाभकारी स्वामी नहीं है। चूंकि, यह केवल एसआरआई फंड में अपने अंशदान की सीमा तक एक लाभकारी ब्याज धारक है, वही स्थिति एसआरआई फंड में इसके द्वारा धारित यूनिटों के माध्यम से परिलक्षित होती है।

इसके अलावा, चूंकि एसआरआई फंड एक योजना के रूप में एनवीसीएफएल से अलग है और इसमें सामान्य प्रबंधन के साथ एक विशिष्ट उद्देश्य लिए हुए एक साथ आने वाली तीन संस्थाएँ शामिल हैं, यह डिफॉल्ट रूप से एक व्यक्ति संघ (एओपी) बन जाता है। ऐसा गठन चयन से नहीं बल्कि अंशदाताओं के बीच संबंधों के स्वरूप के अनुसार होता है। संस्थाओं के बीच किए गए अंशदान करार के आधार पर कर अधिकारियों द्वारा भी इस स्थिति को मान्यता दी जाती है।

उपर्युक्त को देखते हुए, यह केवल उन खातों का सही और उचित प्रतिनिधित्व है जहाँ एनवीसीएफएल के खाते एसआरआई फंड से अलग हैं और एनवीसीएफएल के साथ एसआरआई फंड खातों को समेकित करने के लिए कोई भी कदम एआईएफ और इसकी योजनाओं की मूल संरचना के विरुद्ध होगा और साथ ही परिसंपत्तियों, देनदारियों की मिथ्या रिकॉर्डिंग माना जाएगा।

तदनुसार, एसआरआई फंड के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधि को एनवीसीएफएल के बैंक शेष से घटा दिया गया है। एनवीसीएफएल तुलन–पत्र में इसका चित्रण निम्नानुसार है–

नोटः 3 नकद एवं नकद समकक्ष	**राशि (भारतीय रुपये में)**	
विवरण	**31.03.2022 के अनुसार**	
बैंकों के पास शेष राशिः		
चालू खाते में	1,55,62,06,643	
घटाएँः निम्न पर प्राप्त राशि	–1,52,34,36,649	3,27,69,994
चेक, ड्राफ्ट प्राप्त		1,78,243
कुल		**3,29,48,237**

2. किए गए खर्चों में कटौती के बाद एसआरआई निधि का सम्मान होता है।

	इस प्रकार, बैंक शेष में रू. 152.34 करोड़ की, पारगमन में प्रेषण में रू. 25.00 करोड़ की न्यूनोक्ति, और एसआरआई फंड की यूनिट पूंजी की देनदारियों में रू. 177.34 करोड़ की कोई न्यूनोक्ति नहीं हुई है। उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि भारत सरकार और एनएसआईसी द्वारा जारी फंड का समायोजन सही तरीके से किया गया है क्योंकि एसआरआई फंड और एनवीसीएफएल दो अलग–अलग संस्थाएं हैं और इसलिए उन्हें समेकित नहीं किया गया है। यह उल्लेख करना भी उचित है कि उपर्युक्त का 31.03.2022 को परिणाम/लाभप्रदता के साथ–साथ कंपनी के मामलों की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट पर टिप्पणी **ग. 1 स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 28 जुलाई 2022** (i) उपर्युक्त टिप्पणियों का कंपनी के लाभ और हानि के विवरण में दर्शाए अनुसार ₹ 1.90 करोड़ के लाभ पर चंकं प्रभाव 196.32 प्रतिशत[3] बैठता है और उपर्युक्त टिप्पणियों के प्रभाव के परिणामस्वरूप ₹ 1.83 करोड़ की हानि होगी। इसके अलावा, वित्तीय विवरण लेखा–बहियों के अनुरूप नहीं हैं क्योंकि कंपनी के एक बैंक खाते (एसआरआई फंड प्राप्त करने के लिए नामित) के शेष को कंपनी के वित्तीय विवरणों में नहीं दिखाया गया है। इसलिए, कंपनी के वित्तीय विवरण "सत्य और निष्पक्ष चित्र" प्रस्तुत नहीं करते हैं और स्वतंत्र लेखा–परीक्षक की ओर से यह आश्वासन देना उचित नहीं था कि वित्तीय विवरण "सत्य और निष्पक्ष चित्र" प्रस्तुत करते हैं। (ii) स्वतंत्र लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट के अनुबंध 'ग' के क्रम सं. III का संदर्भ देखें, जिसमें यह उल्लिखित है कि, "कंपनी ने 12 अक्टूबर 2021 के अंशदान करार के अनुसार केंद्र सरकार से एसआरआई फंड में अपने अंशदान के रूप में निधियाँ प्राप्त की हैं। इसका ठीक से लेखा–जोखा रखा गया है और इसे अलग बैंक खाते में रखा गया है तथा तुलन–पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार, एसआरआई फंड की ओर से कंपनी द्वारा किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति को छोड़कर इसका उपयोग नहीं किया गया है।"	एसआरआई फंड एनवीसीएफएल कंपनी की एक योजना है, जिसका अलग बैंक खाता है और कर प्रयोजनों के लिए आयकर विभाग द्वारा व्यक्तियों के विशिष्ट संघ के रूप में मान्यता प्राप्त है। सेबी एआईएफ विनियमों में किसी भी एआईएफ को कंपनी, एलएलपी या ट्रस्ट के रूप में संगठित होने की अनुमति दी गई। इसके अलावा, एआईएफ विनियमों में भी सेबी के साथ पंजीकृत एआईएफ को योजनाएं जारी करने की अनुमति दी गई है (उनके संविधान पर ध्यान न देते हुए)। तदनुसार, एनवीसीएफएल एसआरआई फंड का संचालन कर रहा है जो एआईएफ विनियमों के प्रावधान के अनुसार एआईएफ की एक योजना है। यह संरचना सरकार द्वारा दिया गया एक अधिदेश है और सेबी विनियमों के अनुरूप है। एसआरआई फंड को एक योजना के रूप में जारी कर दिए जाने के बाद, सेबी विनियमों के अनुसार यह अनिवार्य है कि प्रत्येक योजना की परिसंपत्तियों को अलग किया जाए और उनका अलग से हिसाब लगाया जाए क्योंकि योजना की इन परिसंपत्तियों का लाभार्थी स्वयं एआईएफ नहीं है बल्कि योजना के अंशदाता हैं। इस प्रकार, एनवीसीएफएल जो एनएसआईसी की सहायक कंपनी है, से एसआरआई फंड के खातों को अलग बनाए रखना अनिवार्य है। एसआरआई फंड की परिसंपत्तियों को एनवीसीएफएल की परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाना सरासर गलत होगा क्योंकि यह इन परिसंपत्तियों का विधिक या लाभकारी स्वामी नहीं है। हाँ, यह केवल एसआरआई फंड में अपने अंशदान की सीमा तक एक लाभकारी हितधारक है, जो एसआरआई फंड में इसके द्वारा धारित इकाइयों के माध्यम से परिलक्षित होता है।

3. 3.73/1.90* (3.73 करोड़ रुपये = 1.78 करोड़ रुपये प्लस 0.86 करोड़ रुपये प्लस 1.09 करोड़ रुपये)

उपर्युक्त कथन इस सीमा तक सही नहीं है कि एसआरआई फंड के लिए अंशदान के रूप में भारत सरकार से प्राप्त निधियों को एसआरआई फंड के संस्वीकृति आदेश और परिचालन निर्देशों के अनुसार हिसाब में नहीं लिया गया है (जैसाकि मद संख्या ख.1.1 में टिप्पणी की गई है)।	इसलिए, कंपनी के वित्तीय विवरण "सत्य और निष्पक्ष चित्र" प्रस्तुत करते हैं तथापि, सीएजी द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए फंड की संरचना के संदर्भ में सेबी से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। एनवीसीएफएल और एसआरआई फंड के लेखांकन के संबंध में, यदि आवश्यक हो, तो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) से राय ली जा सकती है।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए और की ओर से **ह./–** **(एस. अहलादिनी पांडा)** प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (उद्योग और कार्पोरेट मामले) स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 24 नवंबर, 2022	एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड के लिए और की ओर से **ह./–** **गौरांग दीक्षित** (अध्यक्ष) स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 16 दिसंबर, 2022

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

(एनएसआईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
सीआईएनः यू65990डीएल2020जीओआई368828
एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट
नई दिल्ली–110020
वेबसाइटः www.nvcfl.co.in

सं. SIC/SEC/NVCFL/2nd AGM/2022 दिनांकः 16 दिसंबर, 2022

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल या "कंपनी") की दूसरी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) दिनांक 16 दिसंबर, 2022 को दोपहर 3.30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय एनएसआईसी भवन,ओखला औद्योगिक एस्टेट नई दिल्ली–110020 में निम्नलिखित कार्यकरने के लिए आयोजित की जाएगीः

साधारण कार्य

1. दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और उन पर निदेशक मंडल, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ–साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों, को प्राप्त करना, पर विचार करना और उन्हें अंगीकृत करना।

2. 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश घोषित करना।

3. वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी के सावंधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत करना और साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को पारित करना।

"संकल्प किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निश्चित और निर्धारित करनेके लिए कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

विशेष कार्य

निम्नलिखित पर विचार करना, तथा यथोचित पाए जाने पर, साधारण संकल्प(पों) के रूप में पारित करनाः

4. **कंपनी के निदेशक के रूप में अतिरिक्त निदेशक, डॉ. इशिता जी. त्रिपाठी (डीआईएन– 09661006) का नियमितीकरण**

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार डॉ. इशिता जी. त्रिपाठी (डीआईएन– 09661006) जिन्हें 8 जुलाई 2022 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, एतद् द्वारा कंपनी के निदेशक होने और कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

5. **कंपनी के निदेशक के रूप में अतिरिक्त निदेशक, श्री सरवण कुमार अनणथन (डीआईएन सं. 09769378) का नियमितीकरण**

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार श्री सरवण कुमार अनणथन (डीआईएन सं. 09769378) जिन्हें 19 अक्टूबर, 2022 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, एतद् द्वारा कंपनी के निदेशक होने और कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

ह/–
(निष्ठा गोयल)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 दिसंबर, 2022

टिप्पणियाँ:

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 102 के अनुसार संलग्न सूचना के मद संख्या 4 और 5 के तहत कार्यवाही से संबंधित भौतिक तथ्यों को निर्धारित करते हुए, व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न किया गया है।

1. वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार कोई सदस्य, अपने बदले बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए कोई प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार है और प्रतिनिधि का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

2. यदि कोई सदस्य इस बैठक के कारोबार की किसी मद (मदों) के संबंध में सूचना प्राप्त करना चाहें, तो उनसे अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक की तारीख को पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को अपने प्रदत्त भेजें, ताकि अपेक्षित सूचना बैठक के समय उपलब्ध करवाई जा सकें।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार रखा जाने वाला सांविधिक रजिस्टर कंपनी की वार्षिक आम बैठक के स्थान और समय पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण करने के लिए उपलब्ध रहेगा।

4. खाली प्रोक्सी फार्म इसके साथ भेजा जा रहा है।

5. विधिवत मुहर लगा हुआ और भरा हस्ताक्षरित प्रोक्सी नियुक्त करने संबंधी लिखत, बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार आम बैठकों पर सचिवीय मानक (एसएस–2) के साथ पठित व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 4

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अनुमोदित सेल्फ रिलायंट इंडिया (एसआरआई) फंड (अर्थात् एनवीसीएफएल की पहली योजना) के दिशा–निर्देशों के अनुसार, कंपनी का एक स्वतंत्र बोर्ड होगा, जिसमें दो सरकारी नामित निदेशक शामिल होंगे। भारत सरकार, एमएसएमई मंत्रालय ने पत्र संख्या 1(64)/आईएंडएफ/दिशानिर्देश/2020–21 भाग–II–1206–1207 (सी.नं.4019058) दिनांक 23 जून, 2022 के माध्यम से डॉ. इशिता जी. त्रिपाठी, अतिरिक्त विकास आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई), एमएसएमई मंत्रालय को श्री राजीब कुमार सेन के स्थान पर एनवीसीएफएल के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नामित किया है।

तदनुसार, डॉ. इशिता जी. त्रिपाठी को आपकी कंपनी के निदेशक बोर्ड में कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 161(1) के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार 8 जुलाई 2022 से इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तदनुसार, निदेशक के रूप में डॉ. इशिता जी. त्रिपाठी की नियुक्ति पर इस वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा विचार किया जा सकता है।

आपकी कंपनी का निदेशक बोर्ड कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन हेतु निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की सिफारिश करता है।

डॉ. इशिता जी. त्रिपाठी को छोड़कर कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और/अथवा उनके रिश्तेदार उक्त प्रस्ताव को पारित करने में इच्छुक अथवा सम्मिलित, वित्तीय अथवा अन्यथा नहीं हैं, जैसा कि नोटिस के मद संख्या 4 में निर्धारित किया गया है।

बैठक की तिथि तक सभी कार्य दिवसों/समय पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा उक्त मद के संबंध में संबंधित दस्तावेज निरीक्षण के लिए खुले हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, नोटिस के मद संख्या 4 में साधारण संकल्प बाबत निर्धारित किया गया है, सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है।

मद संख्या 5

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अनुमोदित सेल्फ रिलायंट इंडिया (एसआरआई) फंड (अर्थात एनवीसीएफएल की पहली योजना) के दिशा–निर्देशों के अनुसार, कंपनी का एक स्वतंत्र बोर्ड होगा जिसमें एक पेशेवर सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) शामिल

होगा। श्री सरवण कुमार अनणथन ने 17 अक्टूबर 2022 को सीईओ, एनवीसीएफएल के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया है। उन्हें आपकी कंपनी के निदेशक बोर्ड में अधिनियम 2013 के धारा 161(1) के प्रावधानों और कंपनी अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार 19 अक्टूबर 2022 से इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। तदनुसार, इस वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में श्री सरवण कुमार अनणथन की नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है।

उनके पास एनएसआईसी लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) के नामिती के रूप में कंपनी का रु.100/– का 1 इक्विटी शेयर है। आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन हेतु निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की सिफारिश की है।

श्री सरवण कुमार अनणथन को छोड़कर कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और/अथवा उनके रिश्तेदार उक्त प्रस्ताव को पारित करने में इच्छुक अथवा सम्मिलित, वित्तीय अथवा अन्यथा नहीं हैं, जैसा कि नोटिस के मद संख्या 5 में निर्धारित किया गया है।

श्री सरवण कुमार अनणथन, निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति की सीमा तक इस संकल्प में रुचि रखते हैं।

बैठक की तिथि तक सभी कार्य दिवसों/समय पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा उक्त मद के संबंध में प्रासंगिक दस्तावेज निरीक्षण के लिए खुले हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, नोटिस के मद संख्या 5 में साधारण संकल्प बाबत निर्धारित किया गया है, सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली – 110020, भारत

Website: www.nsic.co.in

क्र. सं.	एनएसआईसी कार्यालय	पता	फोन/फैक्स	ई मेल
1	**पंजीकृत कार्यालय**	एनएसआईसी भवन ओखला इंडस्ट्रीयल एस्टेट नई दिल्ली–110020	011-26926275, 26926370	info@nsic.co.in, dpu@nsic.co.in
2	**नार्थ–I** **जोनल कार्यालय**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड सी–41 सेक्टर–58 नोएडा–201301 (उत्तर प्रदेश)	0120-4546198, 4546197	zgmnorth1@nsic.co.in
3	**नोएडा**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय III–बी/118 सैक्टर–18, शोपिंग काम्पलैक्स, नोएडा–201301 (उत्तर प्रदेश)	0120-4595000 से 4595045, 2511798 फैक्स-0120-4556450, 4556453	bonoida@nsic.co.in
4	**देहरादून**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय निरंजनपुर सब्जीमंडी के पास, सहारनपुर रोड़, देहरादून –248001 (उत्तराखण्ड)	0135-2520501 फैक्स-2520501	bodehradun@nsic.co.in
5	**आगरा**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय 307/टी–6, तीसरी मंजिल, मारूित प्लाजा, (संजय टाकीज के पीछे) संजय पैलेस, आगरा–282002 (उत्तर प्रदेश)	0562-2527862, 2525567 फैक्स-0562-2524842	boagra@nsic.co.in
6	**कानपुर**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय 112/1, दूसरी मंजिल बेनाझाबर रोड़, कानपुर–208002	0512-2535049, 2556379 फैक्स-0512-2543217	bokan@nsic.co.in
7	**नैनी**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय इंडस्ट्रियल एस्टेट, पी.ओ–उद्योग नगर, नैनी, इलाहाबाद–211 009 (उत्तर प्रदेश)	0532-2697218, 2697050, 2695847 फैक्स-0532-2697218	boallahabad@nsic.co.in
8	**गोरखपुर**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उप शाखा कार्यालय डीआईसी कैम्पस, गोरखनाथ, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, गोरखपुर–273015 (उत्तर प्रदेश)	09451442414	rishishukla@nsic.co.in
9	**वाराणसी**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उप शाखा कार्यालय मानसरोवर कॉम्पलेक्स, सी–30/35–बी, द्वितीय तल मालदहिया, वाराणसी–221001 (उत्तर प्रदेश)	542-2370223 फैक्स-0542-2370223	bovaranasi@nsic.co.in
10	**नार्थ–II** **जोनल कार्यालय**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड गुरू गोबिंद सिंह टावर,नियर ढोलेवाल चौक, जी टी रोड़ लुधियाना–141003 (पंजाब)	0161-2541946, 2530940, 2546523 फैक्स-0161-2531946	zgmnorth2@nsic.co.in
11	**लुधियाना**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय गुरू गोबिंद सिंह टावर, नियर ढोलेवाल चौक, जी टी रोड़ लुधियाना–141003 (पंजाब)	0161-2541946, 2530940, 2546523 फैक्स-0161-2531946	boludh@nsic.co.in
12	**चंडीगढ़**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय भूतल, बीएसएनएल प्रशासन बिल्डिंग, सेक्टर 34–ए, चंडीगढ़ –160022	0172-2620538/39, 2610537 फैक्स-0172-2600858	bochd@nsic.co.in
13	**जालंधर**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय प्रथम तल, 55 एक्रेड बी–1–823/4, टांडा रोड़ केएमवी कॉलेज के सामने, जलांधर – 144004 (पंजाब)	0181-2292242, 2295533, 6570257 फैक्स-0181-2299242	bojal@nsic.co.in

क्र. सं.	एनएसआईसी कार्यालय	पता	फोन/फैक्स	ई मेल
14	**एनसीआर जोन जोनल कार्यालय**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एनटीएससी कैम्पस गोविंद पुरी मेट्रो स्टेशन के पास, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली–110020	011-40584930 फैक्स-011-26382350	zgmncr@nsic.co.in
15	**दिल्ली**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय एनटीएससी कैम्पस गोविंद पुरी मेट्रो स्टेशन के पास, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली–110020	011-26382568-69, 41002319 फैक्स-011-26382568, 41002319-20	delhinsic@nsic.co.in
16	**गुड़गांव**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय प्लाट नं. 69, प्रथम तल आई.डी.सी. सेक्टर–16, एम.जी. रोड गुरूग्राम–122001 (हरियाणा)	0124-2308913	bogur@nsic.co.in
17	**फरीदाबाद**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय प्लाट नं. 107, निशान हट, एनएच–5, रेलवे रोड, फरीदाबाद–121 001 (हरियाणा)	0129-4311249/52/ 92/93 फैक्स-0129-4311293	bofaridabad@nsic.co.in
18	**नारायणा**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय सीबी–326, द्वितीय तल, रिंग रोड, नारायणा, नई दिल्ली–110 028	011-64611484, 25775787 फैक्स-011-25775166	bonaraina@nsic.co.in
19	**दक्षिण–1 जोनल कार्यालय**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड नं. 6 एण्ड 7 आईएसआईसीओएस बिल्डिंग, वेस्ट ऑफ चोर्ड रोड़, राजाजीनगर इंडस्ट्रीयल एस्टेट, बैगलुरू, कर्नाटका–560010	080-23109059, 23307791, 23147858 फैक्स-080-23300070	zgmsouth1@nsic.co.in
20	**बेंगलुरू**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय नं. 25 फर्स्ट मेन रोड़ केएसएसआईडीसी इंडस्ट्रीयल एस्टेट, 6वां ब्लॉक राजाजीनगर, बेंगलुरू–560058	080-23109059, 23307791, 23147858	boban@nsic.co.in
21	**बेलगांव**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय प्लाट नं. 60 अनुजय बिल्डिंग, 5वां क्रास, सुभाष चन्द्रा नगर, बेलगाांव फाउन्ड्री कलस्टर बिल्डिंग, नियर उत्सव होटल, बेलगांव–590006	0831-2449922	belgaum@nsic.co.in
22	**पीनिया**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय सी– 424, पीनिया इंडस्ट्रीयल एस्टेट फर्स्ट स्टेज, पीनिया पुलिस स्टेशन के पीछे, बेंगलुरू–560058	080-28374676, 28394576, 28372977 फैक्स-080-28374676	bopeenya@nsic.co.in
23	**कोचीन**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय एस–67 जीसीडीए कर्मशियल काम्पलेक्स, मरीन ड्राइव शनगुमन रोड़, कोच्ची, कोचीन – 682031 (केरला)	0484-2381850/2368149 फैक्स-0484-2380155	bococh@nsic.co.in
24	**दक्षिण–।। जोनल कार्यालय**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड 201, 203 श्री दत्तासाई काम्पलेक्स, आरटीसी क्रोस रोड़, हैदराबाद–500020 (तेलगांना)	040-27615761, 27622097 फैक्स-040-27617777	zgmsouth2@nsic.co.in
25	**हैदराबाद**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय 301, 303 श्री दत्तासाई काम्पलेक्स, आरटीसी क्रोस रोड़, हैदराबाद–500020 (तेलगांना)	040-27615764, 27615761, 27622097 फैक्स-040-27617777	bohyd@nsic.co.in
26	**बालानगर**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय 6–3–144 एण्ड 144/1, जहांनारा करीम कॉम्पलेक्स, तृतीय तल बाला नगर हैदराबाद–500037, (आन्ध्र प्रदेश)	040-23324769, 23344769	bobalanagar@nsic.co.in

क्र. सं.	एनएसआईसी कार्यालय	पता	फोन/फैक्स	ई मेल
27	**विजयवाड़ा**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय डोर नं. 59ए–8/8–6बी/1, तृतीय तल, मेन रोड़ गुरू नानक कालोनी, कृष्णा जिला विजयवाड़ा – 520008	0866-2541055 फैक्स-0866-2545055	bovijayawada@nsic.co.in
28	**विशाखापट्नम**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय 6–67–27/2/3 पुलिस स्टेशन के सामने, गजुवाका, विशाखापट्नम–530026	0891-2768554, 2758554	visakhapatnam@nsic.co.in
29	**साउथ–।।। जोनल कार्यालय**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, मॉड्यूल नं. 201, एनएसआईसी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बिजनेस पार्क, गुइंडी इंडस्ट्रीयल एस्टेट, एक्काथुगंल, चैन्नई–600032	044-2829 1943, 2829 4541 फैक्स-044-2829 5791	zgmsouth3@nsic.co.in
30	**चैन्नई**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, मॉड्यूल नं. 201, एनएसआईसी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बिजनेस पार्क, गुइंडी इंडस्ट्रीयल एस्टेट, एक्काथुगंल, चैन्नई–600032	044-28293347, 28294541 फैक्स-044-28295791, 28293347	bochen@nsic.co.in
31	**अम्बाटूर**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय 309 एसआईडीसीओ–एमा टावर्स, फर्स्ट मेन रोड़, अम्बाटूर इंडस्ट्रीयल एस्टेट, चैन्नई–600058	044-26243984, 28291292 फैक्स-044-26246826	boambattur@nsic.co.in
32	**पुडुचेरी**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग इंडस्ट्रीयल एस्टेट, थट्टानचावड़े पुडुचेरी–605009	0413-2248970, 2248940 फैक्स-0413-2248970	bopon@nsic.co.in
33	**कोयम्बतूर**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय 1055/10 गौथाम सेंटर, अविनाशी रोड़, कोयम्बतूर–641018 (तमिलनाडु)	0422-2244618, 2247757 फैक्स-0422-2247764	bocomb@nsic.co.in
34	**मदुरै**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय 74, एडीआर टावर प्रथम तल, कलावसल, थेणी मेन रोड़, मदुरै – 625016	0452-2609992, 2609993, 2604322 फैक्स-0452-2380323	bomadu@nsic.co.in
35	**पूर्व–। जोनल कार्यालय**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड 20–बी, सातवां तल, अब्दुल हमीद स्ट्रीट, सांतवा तल कोलकाता– 700 069 (पश्चिम बंगाल)	033-22480015 फैक्स-033-22487359	zgmeast@nsic.co.in
36	**कोलकाता**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय 20–बी, सातवां तल, अब्दुल हमीद स्ट्रीट, सांतवा तल कोलकाता– 700 069 (पश्चिम बंगाल)	033-2213-7084 033-2248-8288 फैक्स-033-2248-7359	bocal@nsic.co.in
37	**कोलकाता (साल्ट लेक)**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय प्लाट नं– 7/7 एण्ड 7/8, ब्लॉक–सीपी, साल्ट लेक सेक्टर–V कोलकाता– 700 091 (पश्चिम बंगाल)	033-23671471, 23670155, 23672416	bosaltlak@nsic.co.in
38	**पटना**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय फ्लैट नं. 403, चतुर्थ तल, श्याम किशोरी होम्स, राजस्थान रेस्टोरेंट के पीछे, डॉक बेगलो चौराहा, फ्रेजर रोड़, पटना–800001	0612-2354222, 3212403 फैक्स-0612-2354222	bopatna@nsic.co.in
39	**कोलकाता एल एण्ड आर**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड लीगल एण्ड रिकवरी सेल कमरा नं– 2/1 द्वितीय तल, हुडको टावर, न्यू मार्केट, 15 एन, नेली सेनगुप्ता सरनी, लिंडसवे स्ट्रीट कोलकाता–700 0087	033-22522232	lrcellkol@nsic.co.in

क्र. सं.	एनएसआईसी कार्यालय	पता	फोन/फैक्स	ई मेल
40	**पूर्व–।। जोन जोनल कार्यालय**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 304–बी, तृतीय तल, एनएसआईसी–आईएमडीसी धर्मपद भवन, आईडीसीओ प्लॉट नं. 6 ब्लॉक–डी मंचेश्चर इंडस्ट्रीयल एस्टेट, भुवनेश्वर–751010	0674-2548875, 6510189 फैक्स-0674-2549780	zgmeast2@nsic.co.in
41	**भुवनेश्वर (शाखा कार्यालय)**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 304–बी, तृतीय तल, एनएसआईसी–आईएमडीसी धर्मपद भवन, आईडीसीओ प्लॉट नं. 6 ब्लॉक–डी मंचेश्चर इंडस्ट्रीयल एस्टेट, भुवनेश्वर–751010	0674-2548875, 2549781	bobhubaneswar@nsic.co.in
42	**राउरकेला**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय प्लाट नं. जेजेजे–16, सिविल टाउनशिप राउरकेला–769004	0661-2665059 फैक्स-0661-2664559	rourkela@nsic.co.in
43	**जमशेदपुर**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय फ्लैट नं. ए2/1, द्वितीय तल, निरोड अपार्टमेंट, एल–रोड़,पी.ओ. एण्ड पी.एस. बिस्तुपुर जमशेदपुर–831001 (झारखण्ड)	0657-6004051, 6999000	bojms@nsic.co.in
44	**रांची**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय उद्योग भवन, कोकर औद्योगिक क्षेत्र रांची–834001 (झारखण्ड)	0651-2543921	nsshoranchi@nsic.co.in
45	**बोकारो**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उप शाखा प्लॉट नं. 7018 खाता नं. 566, नियर वैभव होटल, बाय पास रोड़, चौस बोकारो–834001 (झारखण्ड)	827012-9431923065	bojam@nsic.co.in
46	**आईएमडीसी भुवनेश्वर**	आईडीसीओ प्लॉट नं. 6 ब्लॉक डी, मचेश्वर इंडस्ट्रीयल एस्टेट, भुवनेश्वर –751010	0674-2548875	imdcbbsr@nsic.co.in
47	**नार्थ ईस्ट जोनल कार्यालय**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड बाय लेन नं– 3, इंडस्ट्रीयल एस्टेट बामूनीमैडम, गुवाहाटी–781021	0361-2657952, 2730219 फैक्स-0361-2558948	zgmne@nsic.co.in
48	**गुवाहाटी**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय (प्रशिक्षण केंद्र सहित) बाय लेन नं. 3 इंडस्ट्रीयल स्टेट, बामुनीमैडम, गुवाहाटी– 781021	0361-2657947 फैक्स-0361-2657948	bogwh@nsic.co.in
49	**इम्फाल**	उप शाखा उरीपोक अचोम लेकाई, इम्फाल (मणिपुर)– 795001	0385-2414270 08794362325	libetombidevi@nsic.co.in
50	**पश्चिम जोन जोनल कार्यालय**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड 505 पांचवा तल, मित्तल कर्मशियल बिल्डिंग, विंग–बी, गांव मरोल, कार्यालय एम.वी. रोड़, अंधेरी (ई) मुम्बई–400059	022-28500377 फैक्स-022-2850 0375	zgmwest@nsic.co.in
51	**नवी मुम्बई**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय पी–104, एमआईडीसी खरैना, टीटीसी इंड. एरिया, कोपरखरानै, नवी मुम्बई–400710	022-23740268 23740272, 23740116 फैक्स-022-23741989	bomum@nsic.co.in
52	**अंधेरी मुम्बई**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय 3ए, तृतीय तल ए–विंग गंडेचा आनक्लेव खैराने रोड़, साकीनाका अंधेरी (ई), मुम्बई–400072	022-2850 9915 / 16 फैक्स-022-28509917	boandheri@nsic.co.in
53	**नागपुर**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय न्यू सचिवालय बिल्डिंग प्रथम तल, पूर्व विंग, वीसीए स्टेडियम के सामने नियर उरसुला स्कूल सिविल लाइनस, नागपुर–440001	0712-2543254, 2552023 फैक्स-0712-2543255	bonagpur@nsic.co.in

क्र. सं.	एनएसआईसी कार्यालय	पता	फोन/फैक्स	ई मेल
54	**पुणे**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय 211/212, द्वितीय तल, टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग पुणे–सतारा रोड़, नियर साईबाबा मंदिर, पुणे–411037 (महाराष्ट्र)	020-24497303 फैक्स-020-24440546	bopune@nsic.co.n
55	**औरांगाबाद**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय पी–15, मासई, मोर चौक एमआईडीसी, वलुज, औरांगाबाद–431136 (महाराष्ट्र)	0240-2552300 फैक्स-0240-2563799	boaurangabad@nsic.co.in
56	**रायपुर**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय 204, द्वितीय तल ब्लाक–ए क्रिस्टल अक्रेड नियर लोधीपारा चौक, शंकर नगर, रायपुर– 492007 (छत्तीसगढ़)	0771-4035388, 4006070	boraipur@nsic.co.in
57	**नासिक**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय गली नं. 13 तृतीय तल, उद्योग भवन, एमआईडीसी सतपुर, नासिक – 422007	0253-2365059 फैक्स-253-2365061	bonasik@nsic.co.in
58	**गोवा**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उप शाख कार्यालय श्रीजी कॉम्पलेक्स चतुर्थ तल, नियर मनोशांति होटल, डॉ. दादा वैदया रोड़, पानाजी–403001	0832-2220540	bogoa@nsic.co.in
59	**सेंट्रल जोन जोनल कार्यालय**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड 202, 203 समृद्धि बिल्डिंग, गुजरात हाईकोर्ट के सामने, अहमदाबाद–380014 (गुजरात)	079-27543228, 27544893, 27544254 फैक्स-079-27540159	zgmcentral@nsic.co.in
60	**अहमदाबाद**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय 202, 203 समृद्धि बिल्डिंग,गुजरात हाईकोर्ट के सामने, अहमदाबाद–380014 (गुजरात)	079-27543228, 27544893, 27544254 फैक्स-079-27540159	boamd@nsic.co.in
61	**इंदौर**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय 10, पोलोग्राउंड इंडस्ट्रीयल एस्टेट, इंदौर (मध्य प्रदेश) – 452015	0731-2424408, 2424409, 2422248 फैक्स-0731-2421566	boindore@nsic.co.in
62	**भोपाल**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय 110, मालवीय नगर, प्रथम तल, भोपाल–462003 (मध्य प्रदेश)	0755-2766205, 4295152, 2766205 फैक्स-0755-2553183	bobpl@nsic.co.in
63	**जयपुर**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय एनएफ/0/2 नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर–302015	0141-2740191, 2742991, 2742372, 2744899 फैक्स-0141-2741277, 2740334	bojai@nsic.co.in
64	**वीकेआईए जयपुर**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय 513, अलंकार प्लाजा, सेंट्रल स्पाइन, सेक्टर–02 विद्याधर नगर जयपुर–302039	0141-2231594, 2231573 फैक्स-0141-2231572	bovkijaipur@nsic.co.in
65	**कोटा**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उप शाखा एसएसआई एसोसिएशन पुरुसारथा भवन, आईपीआईए, रोड़ नं. 5 कोटा–324005	0744-2426104	sokota@nsic.co.in
66	**वड़ौदरा**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उप शाखा (जिंक प्रोडेक्ट) सी/ओ सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, नियर रानोली फलाईओवर, ब्रिज काराचाइया, वड़ौदरा–391350	0265-2241430	intikafalam@nsic.co.in

एनटीएससी

क्र. सं.	एनएसआईसी कार्यालय	पता	फोन/फैक्स	ई मेल
67	**चैन्नई**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र (एलबीआई शामिल) सेक्टर–बी–24 गिन्डी औद्योगिक क्षेत्र इक्कादुथुंगल चैन्नई–600032	044-22252335/6/7 फैक्स-044-22254500	ntscche@nsic.co.in
68	**हावड़ा**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, जापानी गेट, बालटिकुरी हावड़ा–711113	033-26530304, 26532962, 26534280 फैक्स-033-26531314	ntschow@nsic.co.in
69	**ओखला**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, ओखला औद्योगिक क्षेत्र नई दिल्ली–110020	011-26826801, 26826847, 26826846 फैक्स-011-26826783	ntscok@nsic.co.in
70	**हैदराबाद**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, कमलानगर ईसीआईएल पोस्ट, हैदराबाद–500062	040-27121422, 27126646, 27134025, 27124597 फैक्स-040-27122303	ntschy@nsic.co.in
71	**राजकोट**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एलबीआई शामिल) एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, भाव नगर रोड, अजी औद्योगिक क्षेत्र, राजकोट–360003	0281-2387396/97/98 फैक्स-0281-2387729	ntscraj@nsic.co.in
72	**राजपुरा**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, डी–82/83, फोकल प्वाइंट, राजपुरा–140401	01762-232669 फैक्स-01762-232669	ntsec.rjp@nsic.co.in
73	**राउरकेला**	एनएसआईसी–लिवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन केन्द्र, सेक्टर–15 राउरकेला, ओडिशा–769003	0661-2913931, 9456276705	lbirourkela@nsic.co.in
74	**अलीगढ़**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, ए–1, औद्योगिक क्षेत्र, अलीगढ़–202001	0571-2403552	ntsecalig@nsic.co.in
75	**नीमका**	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एलबीआई शामिल) एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, टीगांव रोड, नीमका, फरीदाबाद–121004	0129-2401101	ntscneemka@nsic.co.in
76	**मंडी (टीसी)**	210/12, रामनगर (पालघराट) मनडी–175001	01905-226471	nsic.mandi@gmail.com
77	**देवरिया (एलबीआई)**	प्लॉट नं. 18, सोंडा मोजा, नियर मंडी समिति, देवरिया–274001	05568-651120	ticdeoria@nsic.co.in
78	**काशीपुर (एलबीआई)**	एनएसआईसी ट्रेनिंग कम इंक्यूबेशन सेंटर बी–5 इंडस्ट्रीयल एरिया, बाजपुर रोड़ काशीपुर, डिस्ट्रिक्ट–उद्यम सिंह नगर– 244713	05947-262453	punitkumar@nsic.co.in
79	**नवादा (एलबीआई)**	प्लॉट नं. 1619, गुरूदेव नगर नियर सरकारी आईटीआई, गोनावा रोड़ नवादा, बिहार–805130	06324-8539038073	lbinawada@nsic.co.in
80	**नैनी–एलबीआई**	एलबीआई–नैनी, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, उद्योग नगर, नैनी इलाहाबाद	0532-2697218, 2697050	bonaini@nsic.co.in

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब कार्यालय (एनएसएसएचओएस)

क्र. सं.	एनएसआईसी कार्यालय	पता	फोन/फैक्स	ई मेल
81	**सूरत**	राष्ट्रीय एससी–एसटी हब शाखा कार्यालय 306, तीसरा तल राजहंस बिल्डिंग जे.के. टॉवर के सामने रिंग रोड सूरत–395002	0261-2345733, 4029735	nsshosurat@nsic.co.in
82	**आगरा**	यूनिट नं. 202, दूसरा तल सेक्टर–12 ए, पदम बिजनेस पार्क आवास विकास सिकन्दरा योजना आगरा–282007 उत्तर प्रदेश	0562-2603131	nsshoagra@nsic.co.in
83	**भुवनेश्वर**	इंटिग्रेटेड मार्केटिंग डेवलपमेंट सेन्टर (आईएमडीसी) बिल्डिंग, धर्मपदा भवन, तृतीय तल आईडीसीओ प्लॉट नं. 6, तीसरा तल ब्लॉक–डी मनचेश्वर औद्योगिक क्षेत्र, भुवनेश्वर–751010	0674-2586780, 2580630	nsshobhub@nsic.co.in
84	**बंगलुरू**	नं. 6 एवं 7, इस्कोस बिल्डिंग, वेस्ट ऑफ चार्ड रोड, राजाजीनगर औद्योगिक टॉउन बंगलुरू – 560044	080-23147791, 29777790	nsshoban@nsic.co.in
85	**चैन्नई**	एमएसएमई–डीआई, कैम्पस नं. 65/1 जी.एस.टी रोड, गिन्डी, चैन्नई तमिलनाडु–600032	044-48631200	nsshochen@nsic.co.in
86	**गुवाहाटी**	औद्योगिक क्षेत्र, बाई लेन नं. 3, बमुनीमेडम गुवाहाटी–781021	0361-2558947	nsshogwh@nsic.co.in
87	**हैदराबाद**	एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पलेक्स, कमलानगर हैदराबाद–50062	040-29559801	nsshohyd@nsic.co.in
88	**जलुन**	राष्ट्रीय एससी/एसटी हब ऑफिस, सी/ओ उदय किरन निरंजन, गेट नं.212, नियर बंशीधर कॉलेज, झांसी रोड, ओरी, जिला जलुन, उत्तर प्रदेश–285001	9926071861	
89	**कोलकाता**	प्लॉट नं. 7/7 एवं 7/8, ब्लॉक सीपी सेक्टर –5, सॉल्ट लेक, कोलाकाता (पश्चिम बंगाल) –700091	033-23672001, 29861253	nsshokol@nsic.co.in
90	**लखनऊ**	503, श्रीराम टॉवर, 5वां तल 13 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001	0522-2288589, 2288803	nssholucknow@nsic.co.in
91	**लुधियाना**	पहला तल, फ्रंटियर टॉवर, जीटी रोड मिल्लर गंज (फायर ब्रिगेड ऑफिस के पास) लुधियाना–141003	0161-4100939	nssholudh@nsic.co.in
92	**मुम्बई**	ऑफिस नं. 505, पांचवा तल, बी विंग मित्तल कर्मशियल बिल्डिंग, गांव मरोल, एम.वी. रोड़, मरोल नका, अंधेरी (ईस्ट) मुम्बई–400059	022-49710065, 23728902	nsshomum@nsic.co.in
93	**पुणे**	213, दूसरा तल, पुणे–सतारा रोड, नियर साईबाबा मंदिर, स्वारगेट पुणे–411037	020-48620209	nsshopune@nsic.co.in
94	**शिलोंग**	डीआईसी कॉम्पलेक्स, शार्ट राउंड रोड़, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, शिलोंग–793001	0364-8100799171 09859486048	bhupendas@nsic.co.in
95	**सिंधुदुर्ग**	राष्ट्रीय एससी/एसटी हब ऑफिस प्लॉट नं.–16 नवानगर विकास प्राधिकरण, रेवानाथ अपार्टमेंट, प्रथम तल, नियर बैंक ऑफ महाराष्ट्रा, ओआरओएस, जिला– सिंधुदुर्ग महाराष्ट्रा–416812	09673511536	-
96	**हैदराबाद (ईएमडीबीपी)**	मोडुल न. 207, कमलानगर ईसीआईएल पोस्ट, हैदराबाद–500062	040-27141422, 27125802	emdbphyd@nsic.co.in
97	**एसटीबीपी चैन्नई**	बी–24, गुंडी इंडस्ट्रीयल एस्टेट, एकाडूतंगल, चैन्नई–600032	044-22250444, 22250445 फैक्स-044-22250343	stpchennai@nsic.co.in

टिप्पणी

टिप्पणी

विज़न

वैश्विक चैंपियन बनने के लिए इक्विटी मार्ग के माध्यम से एमएसएमई के विकास को उत्प्रेरित करना।

मिशन

निवेश का एक पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करने हेतु और सकारात्मक विकास गति रेखा वाले एमएसएमई हेतु विकास पूंजी उपलब्ध कराना, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिल सके।

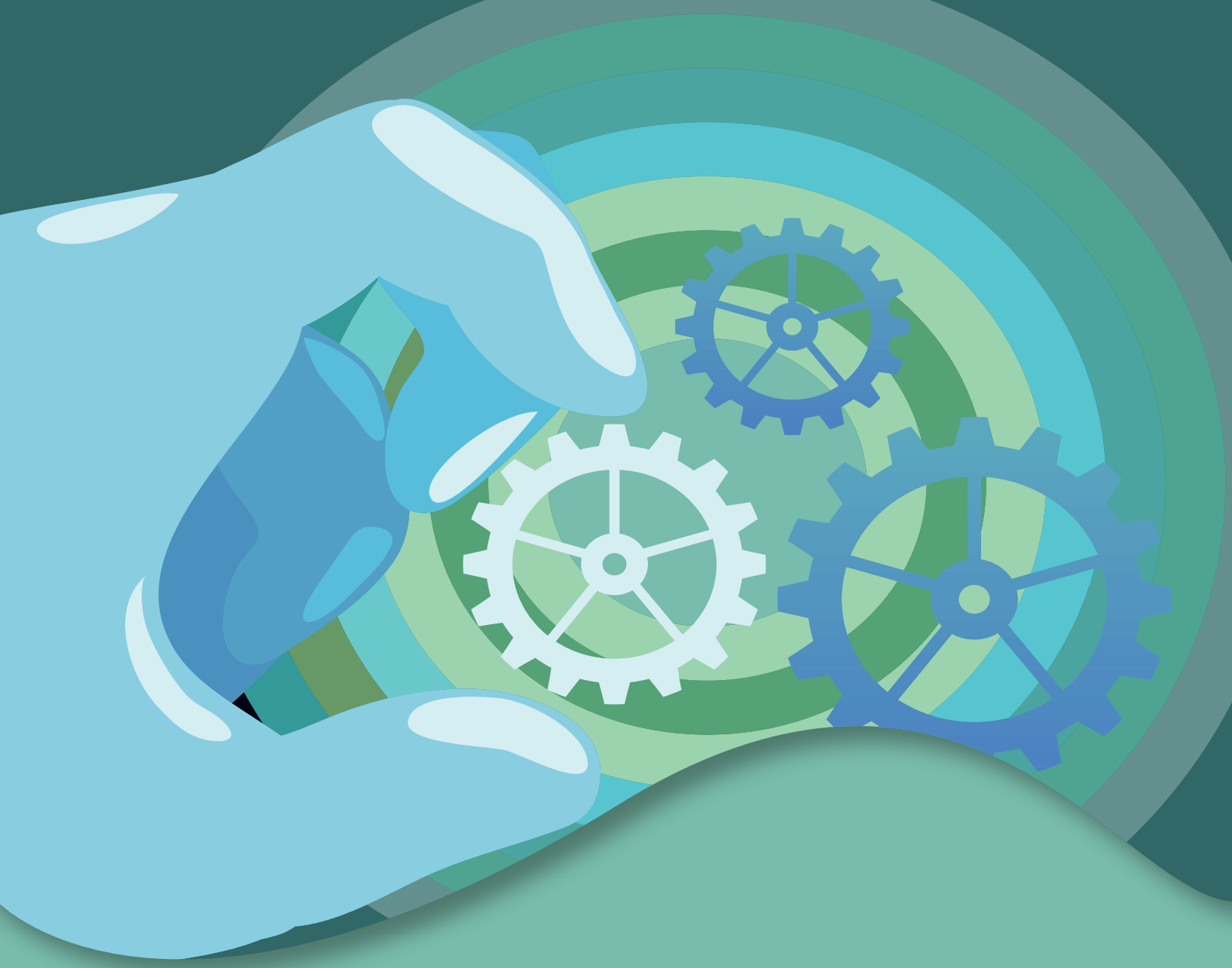

एन एस आई सी
N S I C

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली–110020
फोन : 011–26926275, वेबसाइट : www.nsic.co.in